रचनाएं आमंत्रित हैं -

खुदरा बैंकिंग और विपणन (रिटेल बैंकिंग और मार्केटिंग)

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन का अक्तूबर-दिसम्बर 2005 का अंक ''रिटेल बैंकिंग और मार्केटिंग विशेषांक'' होग जिसके लिए रचनाएं आमंत्रित हैं। बैंकिंग के बदलते स्वरूप में आज ''रिटेल बैंकिंग'' की अवधारणा सबसे ज्यादा चर्चित विषय हो गया है और जहाँ रिटेल बैंकिंग होगी वहाँ मार्केटिंग का होना बहुत ही जरूरी है। इस प्रकार रिटेल बैंकिंग और मार्केटिंग से जुड़े सभी पहलुओं पर सारगर्भित रचनाएं आमंत्रित हैं। रचनाएं पत्रिका के स्वरूप के अनुकूल और मौलिक होनी चाहियें और पहले कहीं प्रकाशित नहीं होनी चाहियें। प्रकाशित रचनाओं पर उचित मानदेय का भी प्रावधान है। **रचनाएं हमें 15 जुलाई 2005 तक मिल जानी चाहिये।**

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

विषय सूची

संपादकीय		2
अनुचिंतन		4
साक्षात्कार		6
लेख		
♦ विलयन और अधिग्रहण	विनय बंसल	10-15
♦ मूलभूत संरचना का विकास	डॉ. रमाकांत गुप्ता	16-21
♦ इस्लामी बैंकिंग	डॉ. सुरेशकुमार	22-27
♦ बैंकों की ऋण वसूली	रविनाथ टंडन	28-33
♦ भारतीय बैंकिंग : भावी चुनौतियां	डॉ. नरेन्द्र पाल सिंह	34-37
♦ चीनी मुद्रा की प्लवमान पद्धति - भारत पर प्रभाव	प्रल्हाद सबनानी	38-39
इधर–उधर से	सावित्री सिंह	40-41
बैंकिंग परिदृश्य		42-46
पुरस्कृत निबंध	♦ ओमप्रकाश गैरोला	47-53
	♦ संदीप खानवलकर	54-57
पुस्तक समीक्षा		58-59
लेखकों से/ पाठकों से		60

पंजीकरण सं. 470 43/88

- मूलभूत सुविधा (संरचना) के लिये अक्तूबर 1998 में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कार्यदल का गठन
- अगले पांच वर्षों में मूलभूत आर्थिक सुविधाएं जुटाने में 7,00,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा

इस्लामिक वित्तपोषण का तुलनात्मक विश्लेषण

विशेषताएं	मुरबह	मुदरबह	मुशरफ	इस्तिस्ना	इजरा
वित्तपोषण का स्वरूप	व्यापार वित्तपोषण	पूंजी और कौशल कार्य को साथ जोड़ते हुए ईक्विटी वित्तपोषण	ईक्विटी वित्तपोषण भागीदारी पर आधारित	निर्माण / विनिर्माण पूर्व-वित्तपोषण	पट्टेदारी वित्तपोषण
वित्तपोषण का प्रकार	आस्थगित बिक्री	ट्रस्टी-लाभ हिस्सेदारी	संयुक्त उपक्रम-लाभ हिस्सेदारी	आस्थगित बिक्री	पट्टेदारी
अवधि	लघु अवधि 1 माह से 2 वर्ष	मध्यावधि 1 से 3 वर्ष	ह्रासमान मुशरक को छोड़कर दीर्घावधि 3 से 10 वर्ष	लघु अवधि से दीर्घावधि - 6 माह से 7 वर्ष	मध्यावधि 2 से 5 वर्ष
प्रतिफल दर	करार के अनुसार सहमत मूल्यवृद्धि	करार के अनुसार लाभ की हिस्सेदारी जिसमें हानि की संपूर्ण जिम्मेदारी पूंजी निवेशक की होती है ।	करार के अनुसार लाभ-हानि की हिस्सेदारी । इसमें वार्षिक लाभांश और पूंजी अभिवृद्धि, यदि कोई हो, शामिल होती है ।	करार के अनुसार सहमत मूल्यवृद्धि अथवा किराया आय	करार के अनुसार किराया आय और पट्टे पर दी गई आस्तियों का अवशिष्ट मूल्य

बुद्धौ शरणमन्विच्छ

बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुम्बई 400 028

इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में दिये गये विचार संबंधित लेखकों के हैं । यह आवश्यक नहीं है कि भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय उन विचारों से सहमत हों । इसमें प्रकाशित सामग्री को उद्धृत करने पर बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय को कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया गया हो।

संपादक - मंडल

प्रबंध संपादक

करुणासागर

प्रधानाचार्य और मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

सदस्य

संदीप घोष

प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

मृदुलकुमार चतुर्वेदी

महाप्रबंधक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक

डॉ. सुरेश कुमार

उप महाप्रबंधक (राजभाषा), भारतीय स्टेट बैंक, मुंबई

एम. एस. आनंद

उप मुख्य प्रबंधक, ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

प्रभुता व्यास

उपाध्यक्ष-प्रचार एवं राजभाषा, भारतीय बैंक संघ, मुंबई

आर. डी. धुर्वे

महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

आशा वशिष्ठ

महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

डॉ. अमरेन्द्र साहू

उप प्रधानाचार्य, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

डॉ. शरद कुमार

महाप्रबंधक,भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

कार्यकारी संपादक

पुष्प कुमार शर्मा

सहायक महा प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

सदस्य-सचिव

सावित्री सिंह

प्रबंधक,भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय

भारतीय रिज़र्व बैंक, वीर सावरकर मार्ग

दादर (पश्चिम), मुंबई - 400 028.

श्री करुणासागर द्वारा बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, वीर सावरकर मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई - 400 028 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा मयूर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, मुंबई - 400 001 में मुद्रित ।

इंटरनेट http://www.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध | E mail : btcrajbhasha@rbi.org.in फैक्स नं. - 2430 3882

मुखपृष्ठ : सुधाकर वरवडेकर

संपादकीय

प्रिय पाठको

छान्दोग्योपनिषद् में कहा गया है कि -

**"यो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति भूमैव सुखं
भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति"** (7/23/1)

अर्थात जो पूर्ण है, वह सुख है, अल्प में कोई सुख नहीं है, पूर्ण ही सुख है अत: हमें पूर्ण को ही जानना चाहिये जो सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है । जीवन का उ-ेश्य पूर्णता को ही पाना है परन्तु समस्या यह बनी रहती है कि हम अपने को पूर्ण मानकर पूर्णता की कामना करते हैं और फिर अधूरे से ही रह जाते हैं । ज्ञान और अज्ञान के बीच की यही यात्रा अपूर्ण से पूर्ण होने की प्रक्रिया है । वस्तुत: न केवल जीवन में बल्कि बैंकिंग सहित अन्य क्षेत्रों में भी हम अपूर्णता से प्रारंभ करते हैं और पूर्णता की कामना करते हैं ... और अक्सर पूर्णता का दावा करने लगते हैं ।

बैंकिंग के बदलते स्वरूप और भावी स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बैंकिंग से जुड़े हम सभी को अपूर्णता का अहसास होते रहना चाहिये ताकि पूर्णता के प्रयास किये जा सकें । परन्तु हमारी मानसिकता जो अक्सर परिवर्तन को अपना शत्रु मानती है, आड़े आती है और हम यह मानकर चलते हैं कि नया क्या होगा, अब तक जो होता रहा है - वही तो होगा - पर हम उन चुनौतियों को नकार देते हैं जो हमारे अपने ही भीतर धीरे-धीरे पनप रही होती हैं क्योंकि बदलता रूप बिना चुनौती के तो होगा ही नहीं ... भले ही वह बैंकिंग जगत का ही क्यों ना हो । और हम असहाय से देखते रह जाते हैं ।

यह सच है कि बैंकिंग सहित कोई संस्थान सिर्फ भौतिक संसाधनों से सफल नहीं होता, सफल होता है तो भौतिक संसाधनों के साथ मानवीय संवेदनाओं को जोड़ने से अर्थात, मानव संसाधन के सही नियोजन, सही प्रशिक्षण, सही मूल्यांकन और सही मानव कल्याण से । कोई स्वीकार करे या न करे पर सच तो यही है कि मानव संसाधन का सही मंथन ही सफलता रूपी रत्नों को जन्म देता है । इस प्रकार के मंथन के लिये जरूरी है एक ऐसा दृष्टिकोण जो मानव संसाधन को अपूर्णता से पूर्णता की तरफ ले जाये । बहुत से संस्थानों में इसी दृष्टिकोण की कमी होती है और वहाँ नीति दर नीति बनाये जाने के बावजूद सफलता हाथ नहीं आती ।

अपूर्णता-दृष्टिकोण की हो सकती है, नियोजन की हो सकती है, प्रशिक्षण की हो सकती है, मानव कल्याण की हो सकती है और यह सब न भी हो तो ऐसी अपूर्णता, अपने आपमें ''पूर्णता के भ्रम'' की भी हो सकती है जिसका निराकरण असंभव तो नहीं पर कठिन अवश्य है । देखा जाए तो इस अपूर्णता को प्रशिक्षण की नकेल से साधा जा सकता है अर्थात् दूसरे शब्दों में कहें तो शिक्षण और प्रशिक्षण हमें पूर्णता के भ्रम से हटा कर अपनी अपूर्णता का अहसास कराते हैं हममें पूर्ण होने की जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं । प्रशिक्षण की तरह यह एक सतत प्रक्रिया है और हमें इसे नकारना नहीं चाहिये । हमें मन के तमाम दरवाजे और खिड़कियां खुली रखनी चाहिये ताकि हमारे भीतर की जिज्ञासा निरंतर जागृत बनी रहे और हम अपनी मानव संसाधन की नीतियों को तदनुसार रूप प्रदान करते रहें ।

अपूर्णता की दूसरी सीढ़ी होती है, किसी भी कार्य को पूर्ण मान लेना । ऋण देकर, वसूली को दूसरा कार्य मान लेना या एक क्षेत्र को किये गये वित्त पोषण से समग्रता की इच्छा करना वैसा ही है जैसा एक गढ्ढे को भरने के लिये दूसरे गढ्ढे से मिट्टी निकाल कर भरना । यह स्थितियों को यथावत स्वीकार करने की अपूर्णता है और आज बैंकिंग जगत में इस प्रकार की अपूर्णता बढ़ती जा रही है । पूरे बैंकिंग परिप्रेक्ष्य में, इस प्रकार की अपूर्णता बढ़ने से हमें सही प्रशिक्षण रूपी सेतुओं की आवश्यकता है, और साथ ही, आवश्यकता है प्रशिक्षण में भी व्याप्त अपूर्णता को ज्ञान के गहरे शोध से पाटने की ताकि पूर्णता को पाने में सफलता या असफलता का दोष किसी पर भी थोपा ना जा सके ।

अत: हमें अपूर्णता से पूर्णता की तरफ निरंतर बढ़ते रहने को अपना गुरू मंत्र बना लेना चाहिये/मनन करते रहना चाहिये क्योंकि कहते हैं ना - ''मननात, त्रायते इति मंत्र'' अर्थात मनन करने पर जो रक्षा करे वही मंत्र है ।

बैंकिंग जगत में हिन्दी में उपलब्ध सामग्री की अपूर्णता को पाटने का दायित्व आपकी इस पत्रिका ने ले रखा है और इसी क्रम में हम इस अंक में बैंकिंग के कई पहलुओं को छूते हुए मूलभूत संरचनाओं के एक पक्ष की चर्चा के साथ-साथ आपका परिचय इस्लामी बैंकिंग से भी करा रहे हैं जो आपकी सोच को व्यापक क्षेत्र देंगे । साक्षात्कार, जो आपको वरिष्ठतम बैंकरों से सीधे जोड़ता है, की कड़ी में हम आपको इस बार मिलवायेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंध निदेशक श्री एस. सी. बसु से जिन्होंने अपनी बेबाक शैली में कई उल्लेखनीय बातें कही हैं ।

सदैव की तरह आपकी प्रतिक्रियाएं हमें प्रेरित करती रहेंगी ।

सादर

आपका

अनुचिंतन

पत्रिका का अक्तूबर-दिसंबर, 2004 अंक प्राप्त हुआ, धन्यवाद ! इधर दो-तीन वर्षों से पत्रिका उन हाथों में भी पहुंचने लगी है जो इसकी हसरत लिए मायूस रहते थे । पत्रिका के इधर के कई अंक देखने को मिले, हर अंक संग्रहणीय है । कोई इसे इंटरव्यू के लिए, कोई परीक्षा की दृष्टि से, कोई उद्धरण के लिए तो कोई व्याख्यान की तैयारी के लिए सहेज कर रख लेता है । पत्रिका श्रेष्ठतर होती जा रही है । संपादकीय अब बिल्कुल नए अंदाज़ में आने लगा है । आदर्शों की बातें दादी मां की परियों की कहानी की तरह हो गई थीं लेकिन संपादकीय में समुद्र की गहराइयों से मोती तलाश कर लाए गए उच्च नैतिकतापरक आदर्श, कृत्रिमतापूर्ण जीवन के पैबंद में मखमली एहसास जगा देते हैं । कितने व्यावहारिक हैं ऋचाओं, वेदों, उपनिषदों के वे मूलमंत्र जिन्हें अपनाकर व्यक्ति जीवन सार्थक कर सकता है । जो बातें हमारे ग्रंथों में हज़ारों साल पहले कह दी गई हैं आज विश्व उसी में गोते लगा रहा है । कार्पोरेट गवर्नेंस विशेषांक विषय विशेष की सारी तहें खोलकर रख देता है । दुर्लभ किंतु ज्वलंत विषय पर उत्कृष्ट सामग्री प्रस्तुत की गई है । इसके पहले भी सूचना प्रौद्योगिकी, जोखिम-प्रबंधन, लाभप्रदता आदि विशेषांक देकर संपादकीय मंडल ने अपने नवोन्मेषी दृष्टिकोण का परिचय दे दिया है । पत्रिका के कवर पेज पर दिए गए कार्पोरेट गवर्नेंस के चार आधार स्तंभ की कल्पना अद्वितीय है । प्रस्तुत सभी लेख विषद जानकारी के स्रोत बन गए हैं । बीटीसी का 50 वर्षों का सफर, षोडशी बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन पाठक की जिज्ञासा बन जाते हैं । साक्षात्कार स्तंभ लाजवाब है । पत्रिका के पिछले कई अंकों में तरक्की की बुलंदी पर पहुंचे बैंकिंग जगत के दानिशवरों के साक्षात्कार हर बार नवीनता लिए होते हैं । खज़ानों के मालिकों (रखवालों) के पुख्ता अनुभवों की इबारतें हमारे लिए इल्म व हुनर की लाज़वाब दौलत बन जाती हैं । सधी हुई कलम से इनकी प्रस्तुति पाठक से 'वाह' कहलवा लेती है । पत्रिका अपने कमाल पर है, इसे संवारने, रूप देने में जिन हाथों और दिमागों का योगदान है वे शायद कृत-संकल्प हैं शानदार के, लाजवाब के । संपादकीय मंडल से हम यह जानना चाहते हैं कि कहां है तमन्ना का दूसरा कदम----

✳ काजी मुहम्मद ईसा
प्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक
मुंबई

इस त्रैमासिक पत्रिका के स्थापना वर्ष से अब तक के सफर को यदि इस नज़र से देखा जाए तो निश्चय ही इसकी उपलब्धियां एवं सफलताएं प्रमुख रूप से दिखाई देती हैं और असफलताएं नगण्य हैं । यदि गहन रूप से विश्लेषण किया जाए तो इस पत्रिका ने पाठकों को नई दिशा प्रदान की है तथा अपनी सेवाओं को आज संपूर्ण राज्य एवं देश में स्थापित कर इस त्रैमासिक पत्रिका ने सराहनीय योगदान दिया है । मुझे आशा है कि यह पत्रिका अपनी सभी नवीनतम जानकारियों के माध्यम से आगामी वर्षों में उन सभी ऊंचाइयों को छू सकेगी जो एक विश्व स्तरीय पत्रिका के लिए आवश्यक है ।

✳ रजनीश कुमार सिंह
वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता
गो. व. पंत कृषि विश्वविद्यालय
पंतनगर (उत्तरांचल)

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन पत्रिका का स्वरूप अंक दर अंक परिष्कृत होता जा रहा है । पत्रिका का कलेवर आकर्षक एवं लेख समसामयिक, सारगर्भित तथा लाभप्रद हैं । हम हिंदी भाषी क्षेत्र के बैंकरों के लिए इसकी उपादेयता अकथनीय है । संपादक मंडल को पत्रिका के सफल संपादन के लिए साधुवाद एवं शुभकामनाएं । जुलाई-सितंबर 2004 अंक में प्रकाशित साक्षात्कार काफी रोचक लगा । विगत तिमाही में बैंकिंग व वित्त के क्षेत्र में हुए परिवर्तनों को स्तंभ रूप में शामिल करने पर पत्रिका की उपयोगिता बढ़ जाएगी ।

✳ डी. सी. तिवारी
उप प्रबंधक
भारतीय स्टेट बैंक
अल्मोड़ा (उत्तरांचल)

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन पत्रिका के अक्तूबर-दिसम्बर 2004 अंक का आवरण पृष्ठ अति सुन्दर एवं प्रभावशाली है । पत्रिका में प्रकाशित सभी लेख ज्ञानवर्द्धक एवं अत्यंत उपयोगी हैं । इस अंक में बैंकिंग एवं अन्य क्षेत्रों में नवीनतम तकनीकी विधा ''कार्पोरेट गवर्नेंस'' के बारे में प्रकाशित समस्त सामग्री अत्यंत उपयोगी है, इससे न केवल बैंकिंग क्षेत्र में कार्पोरेट गवर्नेंस के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी बल्कि अन्य विधाओं / क्षेत्रों में कार्यान्वयन के बारे में भी ज्ञान प्राप्त होगा । इस प्रशंसनीय प्रयास के लिये सम्पादक मंडल को हमारी ओर से हार्दिक बधाई । यह समस्त लेख वास्तव में ही राजभाषा के प्रचार-प्रसार में बहुत सहायक सिद्ध होंगे । पत्रिका की निरंतर प्रगति के लिये हमारी हार्दिक शुभ कामनायें।

✳ के. एल. पहूजा
मुख्य अधिकारी (राजभाषा)
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
मुंबई

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन का ''कार्पोरेट गवर्नेंस एवं मानव संसाधन विशेषांक-2004'' प्राप्त हुआ । कार्पोरेट गवर्नेंस पर अब तक स्तरीय सामग्री प्रायः अंग्रेजी में ही सुलभ थी, परन्तु इस अभिनव विषय पर उच्चस्तरीय सामग्री हिन्दी में उपलब्ध करवाकर आपने इसे सहज ही संग्रहणीय बना दिया है । हिन्दी माध्यम से कार्पोरेट गवर्नेंस पर अध्ययन/शोध कर रहे पाठकों के लिए यह अंक संजीवनी के तुल्य है । सम्पादक मण्डल को बधाई एवं शुभकामनाएं !

✳ एन. मुनिरत्नम नायडू
सहायक महाप्रबंधक
इंडियन बैंक
विजयवाड़ा

मेरे पास बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन के पहले अंक से लेकर अब तक के सारे अंक सुरक्षित हैं और शायद मेरे इस खज़ाने में आगे भी वृद्धि होती रहेगी । अपनी ये धरोहर मैं आनेवाले समय के नाम वसीहत कर जाऊंगा ।

✳ पवन कुमार शाण्डिल्य
लखनऊ, उत्तरप्रदेश

✳ इस पत्रिका के माध्यम से बैंकिंग परिदृश्य में होनेवाले दिन-प्रतिदिन के परिवर्तन एवं नए-नए आयामों से हमें अवगत कराते हैं ।

- ऋषि श्रीवास्तव
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
जस्सोवाल

✳ पत्रिका में बदलते परिवेश में बैंकिंग, जोखिम प्रबंधन, सूचना तकनीकी आदि जैसे विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में पत्रिका सहायक सिद्ध होती है ।

- शकुन्तला
पंजाब नैशनल बैंक
पानीपत

✳ पत्रिका से मुझे बैंकिंग तथा कंप्यूटर परिभाषा, ऋण खाता प्रबंधन, विश्व व्यापार आदि की जानकारी मिलती है । ....ज्ञानवर्धक एवं संग्रहणीय है ।

- सी. एम. मेश्राम
केनरा बैंक
अकोला

✳ पत्रिका बैंकिंग विषयों पर हिंदी में स्तरीय सामग्री उपलब्ध कराती है ।

- ओमप्रकाश गैरोला
देहरादून

✳ लेख उच्चस्तर के होते हैं तथा इससे बैंकिंग की अच्छी जानकारी प्राप्त होती है जिससे बैंक का कार्यसंपादन करने में बहुत सहायता होती ।

- सतीश बाकलीवाल
जयपुर

साक्षात्कार

'बैंकिंग एक जीवंत प्रक्रिया है ...'

संपादकीय कार्यालय में प्राप्त ढेरों पत्र इस बात के साक्षी हैं कि साक्षात्कार का यह स्तंभ अपनी पूरी सार्थकता सिद्ध कर रहा है। वास्तव में देखा जाए तो प्रत्येक साक्षात्कार एक नई चुनौती के रूप में होता है क्योंकि हर बार यह एक नए रूप में आता है। और शायद यही कारण है कि जब भी किसी वरिष्ठ बैंकर से साक्षात्कार के लिए संपर्क किया गया तो उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दे दी क्योंकि आप जैसे पाठकों से सीधे संपर्क करने का इससे बढ़िया ज़रिया और क्या हो सकता है ?

इस बार हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री सुकमल चंद्र बसु से जो अपनी बात को खुले तौर पर बेबाक रूप में कहने के लिए मशहूर हैं। श्री बसु ने अपना कैरियर एक सनदी लेखाकार (सीए) के रूप में आरंभ किया और वर्ष 1970 में युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया से जुड़कर वे बैंकर बन गए। इसके बाद का उनका सफर अलग-अलग बैंकों में विभिन्न क्षेत्रों का अनुभव बटोरते हुए वर्ष 1999 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कार्यपालक निदेशक के रूप में एक पड़ाव पर पहुंचा। उन्होंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र को एक नई दिशा देनी शुरू की और वर्ष 2000 में वे बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए। श्री बसु अपने क्षेत्र में एक चर्चित व्यक्तित्व हैं और एआईबीए, आईबीए आदि की विभिन्न समितियों से सक्रिय रूप में जुड़े हैं। वे क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर परामर्शदात्री समिति के भी सदस्य हैं। अपने साक्षात्कार में वे अपने बैंक, अपनी नीतियों और वर्तमान बैंकिंग परिदृश्य पर बहुत खुलकर बोले। लीजिए प्रस्तुत है उनसे हुई बातचीत ....

आप अपने बैंक को "कॉमन मैन" का बैंक कहते हैं . . . क्यों - और क्या सिर्फ आम आदमी के सहारे बैंक चल सकता है ?

✳ देखिए, इससे हमारा मतलब क्लास बैंकिंग की बजाए मास बैंकिंग करना है। आप तो जानते ही हैं कि कार्पोरेट सेक्टर में मार्जिन बहुत ही कम होता है जबकि व्यक्ति के मामले में जो मार्जिन होता है वह लाभदायक होता है। इसी से जुड़ी हुई दूसरी बात यह है कि कॉमन मैन के संदर्भ में जोखिम कई हिस्सों में बंटा रहता है और उनका अलग तरह का "इंटरेस्ट स्ट्रक्चर" रहता है। यही कारण है कि हमारा एप्रोच कॉमन मैन के बैंक का है पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम कार्पोरेट को उपेक्षित कर रहे हैं। "एक्सटेंडेड विंगवाला" पक्षी ज्यादा लंबी उड़ान भर सकता है और हम यही करना चाहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो कार्पोरेट और व्यक्तिगत खातों का उचित मिश्रण ही लाभदायक सिद्ध होता है। इस प्रकार की "ब्लेंडिंग" से बैंक का जोखिम न केवल विभाजित होता है बल्कि तत्संबंधी समाधान ढूंढने में बैंक को सुविधा भी होती है। हमारे बैंक का दृष्टिकोण परिवार आधारित बैंकर का रहा है। हम किसी व्यक्ति की आवश्यकता को ही नहीं समझना चाहते बल्कि उसके पूरे परिवार की वित्तीय आवश्यकताओं का मूल्यांकन करके ग्राहक को अपने साथ जोड़ते हैं।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र संकट से उबरा है . . . अपनी साख को पुनः प्राप्त कर रहा है . . . क्या आपने इसके लिये

कोई विशेष प्रयास किये हैं ?

✳ बस ! केवल एप्रोच बदला है । जैसाकि हमने कहा कि हम अपने आपको टोटल फैमिली बैंकर कहलाना पसंद करते हैं । उसी के आधार पर हमने अपने बैंक का, अपने कर्मचारियों का दृष्टिकोण बदला है । हमने स्टाफ से जुड़ी वेलफेयर योजनाओं में इस प्रकार के संशोधन किए कि लोगों को प्रेरणा मिल सके । बात चाहे स्थानान्तरण की हो या फिर कोई अन्य बात । हमने इसका ध्यान रखा कि हमारे लोगों को हर प्रकार का परिवर्तन सुविधाजनक लगे । आप कह सकते हैं कि अपने लोगों को ''मोटिवेट'' करने के लिए हमने ''गिव एंड टेक'' की नीति को अपनाया और आप जानते ही हैं कि जिस संस्था के प्रति किसी का ''अपनापन'' जुड़ता है तो वह संस्था लाभदायक स्थिति में आ ही जाती है । इसके अलावा हमने हर स्तर पर नियमित बैठकें आयोजित कीं और बैंक तथा जनता की आवश्यकताओं का सही तालमेल बिठाने के लिए वातावरण तैयार किया । हम यह मानते हैं कि स्टाफ को ''फ्रीडम'' हो लेकिन नियंत्रण के साथ और हमने इसी फिलॉसफी को अपने यहां आजमाया और हम सफल रहे ।

आपके बैंक को एक क्षेत्र विशेष का बैंक ही समझा जाता है । क्या आपने कभी इस छवि को बदलने की कोशिश की ?

✳ आप सही कह रहे हैं । इसे हमने भी महसूस किया है । पर आपको बताएं कि इस प्रकार के असन्तुलन को खत्म करने के लिए पिछले 3-4 वर्षों में हमने जो प्रयास किए उनके परिणाम सुखद रहे । आज हमारी शाखाएं गुवाहाटी से गोवा और कन्याकुमारी से जम्मू तक फैली हैं । इसलिए हमारी ही तरह किसी अन्य बैंक को भी क्षेत्र विशेष का बैंक कहना ठीक नहीं होगा ।

एक तरफ तो आपके बैंक की अधिकांश शाखायें (586/1276) ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और दूसरी तरफ आपके बैंक की यह फिलॉसफी कि ''टेक्नॉलॉजी विथ पर्सनल टच'' - दोनों में कैसे तालमेल बिठाते हैं ?

✳ सही सवाल है । देखिए हम टेक्नॉलॉजी को केवल शहरों एवं महानगरों तक ही सीमित करेंगे तो उसका फायदा न तो जनता को मिलेगा और न ही बैंक को । इसलिए जरूरी है कि टेक्नॉलॉजी को जनता की भाषा में, जनता तक पहुंचाया जाए । बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हमने यही किया । हमने ''टच स्क्रीन फेसिलिटी'' के साथ अपनी बैंकिंग की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाई और वह भी क्षेत्रीय भाषा में । आज महाराष्ट्र के 32 जिलों और मध्यप्रदेश के 7 जिलों में टच स्क्रीन सुविधा उपलब्ध है और इसीलिए हमारी यह फिलॉसफी है कि ''टेक्नॉलॉजी विथ पर्सनल टच'' । हमने अपने बैंक की अनुषंगी संस्था महाबैंक कृषि अनुसंधान एवं ग्रामीण विकास फाउंडेशन (मारडेफ) के माध्यम से किसानों में बैंक के प्रति रूचि पैदा की, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की और साथ ही साथ अपनी स्थिति भी मजबूत की । इसके हमें बहुत ही सकारात्मक परिणाम मिले हैं । आप इसे हमारी मार्केटिंग रणनीति भी कह सकते हैं । 'मारडेफ' के माध्यम से हमने गांवों को अपनाया और वहां न केवल उनकी बैंकिंग आवश्यकताओं की पूर्ति की बल्कि उस गांव विशेष के संपूर्ण विकास से हम पूरी तरह से जुड़े । वहां उत्पादन की पहचान और उसके विकास में टेक्नॉलॉजी का योगदान, आप कह सकते हैं कि एक निरन्तर चलनेवाली प्रक्रिया बन गई । संक्षेप में कहें तो टेक्नॉलॉजी को हमने लोगों से जुड़ने का एक जरिया बना दिया ।

आपके बैंक के प्रतीक चिन्ह में तीन ''एम'' - अर्थात Mobilisation of Money, Modernisation of methods and Motivation of Staff की बात कही गयी है जबकि लोग ''एम'' से केवल महाराष्ट्र का ही अर्थ निकालते हैं - आपका क्या कहना है ?

✳ आपको नहीं लगता कि किसी भी संस्था की सफलता के लिए इन तीनों का होना कितना जरूरी है । मैं तो यह कहता हूं कि हमारे ''लोगो'' में एक ''एम'' और है जो यह कहता है ''मुद्रेयं लोकमंङगला'' अर्थात् मुद्रा लोकमंगल के लिए है ।

आपके बैंक में एनपीए का स्तर पिछले तीन वर्षों में बढ़ता ही जा रहा है, हाँ पिछले वर्ष नेट एनपीए में कमी आई है । कृपया अपने बैंक की इस स्थिति के साथ-साथ पूरे बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए के प्रभाव पर अपने विचार बतायें ?

* आपको इतना तो मानना ही पड़ेगा कि हमारा नेट एनपीए 3 % के अंक से कम ही रहा है और यह कोई कम उपलब्धि नहीं है । जहां तक एनपीए के बढ़ने की बात आप कर रहे हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे छोटे अग्रिमों ने एनपीए को बढ़ाने में योगदान दिया और आप तो जानते हैं कि महाराष्ट्र के 9-10 जिलों में पिछले कई वर्षों से अकाल की स्थिति बनी हुई है ।

हम मानते हैं कि एनपीए बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक असाध्य बीमारी है और यह भी सच है कि केवल उधारकर्ता ही एनपीए नहीं पैदा करता बल्कि कभी-कभी उधार देनेवाला भी उसके लिए दोषी होता है । इस बात को और स्पष्ट करने के लिए हम यूं कह सकते हैं कि हर उत्पाद, हर इंडस्ट्री का एक जीवनचक्र होता है और हमको अर्थात् बैंकरों को उस जीवनचक्र को बहुत गहनता से समझना चाहिए अन्यथा अति उत्साह में बिना उस जीवनचक्र को समझे दिया गया ऋण कब एनपीए बन जाएगा हम समझ नहीं पाएंगे । स्पष्ट शब्दों में कहूं तो हम बैंकरों को इस एनपीए के दुष्चक्र को समझने के लिए अभिमन्यु की दृष्टि पैदा करनी होगी । एक नए तरह के ''कल्चर'' का विकास करना होगा जिसमें तमाम ''रिस्क फैक्टरों'' को देखते हुए समग्र प्रक्रिया को संशोधित करना होगा । सच कहा जाए तो बैंकिंग का प्रशिक्षण जो अब तक केवल ''आपरेशनल पार्ट'' को देखता रहा है उसमें ''एरिथमेटिकल एप्रोच'' लाना होगा । बैंकरों में ''फोरसाइट'' के साथ-साथ नए सिस्टम और नए तरीकों को आत्मसात् करते हुए बाजार की ताकतों को समझने की दृष्टि पैदा करनी होगी । तभी इस एनपीए जैसे राक्षस पर अंकुश लगाया जा सकेगा ।

बाज़ार की ताकतों ने बैंकों में विविधता पैदा कर दी है । बैंक अपने पारंपरिक स्वरूप को बदल रहे हैं - क्या यह सही हो रहा है ? - ऐसे में जो पारंपरिक ग्राहक हैं उन्हें आप कैसे जोड़े रख सकते हैं ?

* मेरा यह मानना है कि ''मार्केट फोर्स'' न केवल हमें अनुशासित करती है बल्कि अपने *आघातों* से हमें अपने आपको तैयार करने के लिए प्रेरित भी करती है इसलिए बहुत जरूरी है, बाजार की ताकतों को सही तरीके से और सही परिप्रेक्ष्य में समझना । मार्केट फोर्स से पहुंचनेवाले आघातों से बचाव के लिए हमें संगठनात्मक पुनर्गठन और कारोबारी प्रक्रिया के पुनर्गठन पर ध्यान केन्द्रित करना होगा । इसमें से कारोबारी प्रक्रिया के पुनर्गठन की गति धीमी रही है । इसके लिए यह जरूरी है कि टेक्नॉलॉजी और बैंकिंग दोनों साथ-साथ चलें ।

यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि कारोबारी प्रक्रिया के पुनर्गठन के साथ-साथ कार्पोरेट गवर्नेंस को ताल से ताल मिलाकर चलना होगा और उन्हें कहीं न कहीं एक बिन्दु पर आकर एक दूसरे से जुड़ना होगा । आप इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते कि भारत में बैंकिंग जगत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है बल्कि जरूरत है उनकी क्षमताओं का पूरी तरह से दोहन करने की ।

''कमर्शियल बैंक'' और ''रेग्युलेटरी एथॉरिटी'' हमारे यहां बैंकिंग के दो स्तंभ हैं जरूरत है इन दोनों में उचित तालमेल की । बासल् II के परिप्रेक्ष्य में इनकी महत्ता और भी बढ़ गई है । इस दिशा में आदर्श स्थिति में पहुंचने में हमें अभी 3-4 वर्ष लग सकते हैं लेकिन कारोबारी प्रक्रिया के पुनर्गठन को हमें अभी से पूरी तरह से लागू कर देना होगा ।

क्या आपको लगता है कि आज के इस बदलते बैंकिंग परिदृश्य में बैंकों का विलयन / अधिग्रहण जरूरी है ?

* जी हां । क्योंकि आज के इस प्रतिस्पर्धा वाले युग में बैंकों का आकार अपने आपमें बहुत मायने रखता है । इसके लिए छोटे-छोटे बैंकों का विलयन/अधिग्रहण होना चाहिए लेकिन यह सुचारू रूप से होना चाहिए । ऐसा

करते समय हमें भारत की बहुविध संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराओं को ध्यान में रखना होगा। विलयन करते समय क्षेत्र, प्रान्त और वर्ग विशेष की भावनाओं को हम चोट न पहुंचने दें इसका हमें ख्याल रखना होगा।

आपके बैंक की यह योजना है कि आप 10 प्रतिशत के लक्ष्य से अपने ग्राहकों में बढ़ोत्तरी करना चाहते हैं - क्या आपने कोई खास योजना बनाई है ?

✳ इस दिशा में हमने ''कस्टमर इंडेक्सिंग'' का फार्मूला अपनाया है। इसमें ग्राहक की व्यक्तिगत रूचियों के साथ-साथ उसकी उम्र, उसके पेशे, उसकी ''रिपेइंग कॅपॅसिटी'' आदि का पूरा इंडेक्स बनाया जाता है और उसके साथ अपनापन जोड़ने का निरन्तर प्रयास किया जाता है। दूसरा कदम हमने यह उठाया कि हम स्टूडेंट्स के खाते ज्यादा से ज्यादा खोलेंगे। इससे उन्हें न केवल बैंकिंग शिक्षा प्राप्त होगी बल्कि वे भविष्य के हमारे बड़े ग्राहक भी सिद्ध होंगे। तीसरे कदम के रूप में हम शैक्षणिक संस्थाओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं ताकि हमारा ग्राहक आधार और व्यापक हो। इस दिशा में हमारा अगला कदम है विभिन्न सामाजिक गतिविधियों को प्रायोजित करना। इस प्रकार हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम प्रतिवर्ष 10% की ग्राहक वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। हां ! एक बात और महत्वपूर्ण है, हमने ''लॉबी मैनेजर'' की संकल्पना पर भी कार्य प्रारंभ कर दिया है, जो बैंक परिसर में आनेवाले हरेक ग्राहक से सम्पर्क कर उसकी सभी जिज्ञासाओं को शान्त करेगा। है ना नई बात !

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन के पाठकों के लिये कोई संदेश?

✳ पाठकों को समझना चाहिए कि बैंकिंग एक जीवन्त प्रक्रिया है और उन्हें उसी जीवन्तता और सक्रियता के साथ उसके साथ जुड़ना होगा ताकि बैंकिंग का निरन्तर विकास होता रहे और वह उन्हें सहज एवं सरल रूप में उपलब्ध हो सके।

प्रस्तुति - **पुष्प कुमार शर्मा**

बैंक ऑफ महाराष्ट्र - आंकड़ों की नज़र में

	31 मार्च 2004 (लेखा परीक्षा की गई) (लाख रुपए में)
क. कुल आय	2,66,862
ख. कुल व्यय	1,99,213
ग. परिचालनगत लाभ	67,649
घ. शुद्ध लाभ	30,455

विलयन एवं अधिग्रहण

● विनय बंसल
भारतीय स्टेट बैंक
आंचलिक कार्यालय
आगरा

सरकार द्वारा आईएफसीआई को कई बार वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के बावजूद आईएफसीआई की वित्तीय स्थिति नाजुक बनी हुई है । अतः केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के एक बड़े बैंक में इसका विलय करने का फैसला किया है । आईएफसीआई और पंजाब नैशनल बैंक दोनों के संचालक मंडलों ने आईएफसीआई के पंजाब नैशनल बैंक में विलय को मंजूरी दे दी है ।

योजना के अनुसार आईएफसीआई को दो भागों में विभाजित किया जाएगा । पहले भाग को **आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी** के रूप में गठित किया जाएगा जबकि दूसरे भाग का पंजाब नैशनल बैंक में विलय कर दिया जाएगा । इस विलय के बाद पंजाब नैशनल बैंक सही मायने में एक यूनिवर्सल बैंक के रूप में स्थापित हो जाएगा । इससे उसे काफी प्रतिस्पर्धी हो चुके बैंकिंग व्यवसाय में मजबूती मिलेगी । आईएफसीआई का पंजाब नैशनल बैंक में यह विलय भारतीय वित्तीय क्षेत्र में अभी तक का सबसे बड़ा विलयन होगा ।

> दो इकाइयों का विलय तब होता है, जब वे दोनों इकाइयां यह महसूस करती हैं कि उनका नवीन संगठन बृहत्तर हो जाएगा तथा उनका संयुक्त लाभ उनके अलग-अलग लाभ के कुल योग से अधिक होगा ।

सरकार आयकर अधिनियम में संभवतः फरवरी 2005 में एक संशोधन लाएगी । इस संशोधन के आने से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के साथ विलय का रास्ता खुल जाएगा । पंजाब नैशनल बैंक में आईएफसीआई के विलय का मामला इसलिए रुका पड़ा है कि आईएफसीआई एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है और पंजाब नैशनल बैंक एक बैंकिंग संस्था है ।

इसी प्रकार आईडीएफसी की भी वित्तीय स्थिति खराब है । इसकी खस्ताहाल वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु सरकार द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है । लेकिन हालत में सुधार के कोई संकेत न मिलने के कारण सरकार ने इसका भारतीय स्टेट बैंक में विलय करने का फैसला किया है । इस प्रकार के कई अन्य उदाहरण भी है ।

विलयन क्या है ?

दो इकाइयों का इस प्रकार सम्मिश्रण जिसमें एक इकाई का अस्तित्व समाप्त हो जाए, विलयन कहलाता है । विस्तृत अर्थ में विलयन में **अधिग्रहण** एवं **समामेलन** सम्मिलित रहते हैं लेकिन संकीर्ण अर्थ में विलयन, अधिग्रहण और समामेलन से भिन्न होता है । एक इकाई की अंश पूंजी में नियंत्रण हित का क्रय, अधिग्रहण कहलाता है । दो इकाइयों का इस प्रकार सम्मिश्रण जिससे तीसरी नई इकाई बन जाए, समामेलन कहलाता है ।

विलयन के प्रकार

मौटे तौर पर विलयन निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं -- ***क्षैतिज*** *(हॉरिजाँटल)* ***विलयन*** । क्षैतिज विलय से अभिप्राय दो ऐसी इकाइयों के विलय से है जो किसी क्षेत्र विशेष में प्रवीण हों । उदाहरणार्थ -- विदेशी विनिमय व्यापार विशेषज्ञ दो बैंकों का विलयन ।

ऊर्ध्वाधर *(वर्टिकल)* ***विलयन*** -- ऊर्ध्वाधर विलयन से अभिप्राय दो ऐसी इकाइयों के विलय से है जो दो पूर्णतः भिन्न कार्य करती हों । उदाहरणार्थ -- किसी बीमा कंपनी

कुछ प्रमुख विलयन-अंतर्राष्ट्रीय

क्रमांक	वित्तीय इकाई जिसका विलय किया गया	वित्तीय इकाई जिसमें विलय किया गया
1	बैंक ऑफ एशिया	एबीएन एमरो
2	नेशंश बैंक कॉर्प	बैंक अमेरिका कॉर्प
3	बांको रीयल	एबीएन एमरो
4	हनिल बैंक	कॅमर्शियल बैंक ऑफ कोरिया
5	बैंकर्स ट्रस्ट कॉरपोरेशन	बैंक एजी
6	फर्स्ट चिकागो एनवीडी कॉरपोरेशन	बैंक वन कॉरपोरेशन
7	सिटी कॉरपोरेशन बैंक	ट्रेवलर्स ग्रुप
8	फ्लीट फाइनेंशियल ग्रुप	बैंक बोस्टन कॉर्प
9	ट्राइग बाल्टिका	यूनिडेनमार्ग
10	डिल्लों रीड	स्विस बैंकिंग कॉरपोरेशन
11	कुकमिन बैंक	लांग टर्म क्रेडिट बैंक
12	बैंक ऑफ टोक्यो मित्सुबिशी	मित्सुबिशी टोक्यो फाइनेंशियल ग्रुप
13	सकुरा बैंक	सुमिटोमो बैंक
14	सानवा बैंक	टोकाई बैंक
15	ड्रेस्डनर बैंक एजी	डेटसे बैंक एजी
16	डाइ इची कांग्यो	मिजूहो फाइनेंशियल ग्रुप
17	टोकाई बैंक	यूएफजे बैंक

का किसी बैंक में विलय । इस प्रकार के विलयन को **कार्यात्मक विलय** भी कहते हैं ।

संपीडन** (कॉंग्लोमरेट) **विलयन -- संपीडन विलयन से अभिप्राय दो ऐसी इकाइयों के विलय से है जो अलग-अलग क्षेत्रों में निपुण हों । उदाहरणार्थ मित्सुबिशी बैंक (घरेलू बैंकिंग कार्यों में विशेषज्ञ बैंक) का बैंक ऑफ टोक्यो (अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग व्यवसाय में विशेषज्ञ बैंक) में विलय ।

संकेन्द्रित** (कॉन्सेंट्रिक) **विलयन -- एक इकाई का दूसरी ऐसी इकाई में विलय जो **संबद्ध उत्पादों** का उत्पादन या **विपणन** करती हो, संकेन्द्रित विलयन कहलाता है । उदाहरणार्थ- एसबीआई गिल्ट्स लि. का डीएफएचआई में विलयन ।

समेकन** (कन्सॉलिडेटेड) **विलयन -- समानुषंगी और मूल इकाई का विलयन समेकन विलयन कहलाता है । उदाहरणार्थ-- आईसीआईसीआई का आईसीआईसीआई बैंक में विलयं ।

विलयन से लाभ

दो इकाइयों का विलयन तब होता है, जब वे दोनों इकाइयां यह महसूस करती हैं कि उनका नवीन संगठन बृहत्तर हो जाएगा तथा उनका संयुक्त लाभ उनके अलग-अलग लाभ के कुल योग से अधिक होगा । विलयन से संगठन को होनेवाले प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं--

1. अधिक उत्पादन
2. विस्तार एवं विविधीकरण

3. **प्रौद्योगिकी उन्नयन**
4. जोखिम में कमी
5. लागत में कमी
6. संसाधनों का बेहतर **विदोहन**
7. प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम
8. बाजार अंश में वृद्धि
9. प्रबंधकीय क्षमता में सुधार
10. कर भार में कमी
11. लाभप्रदता में वृद्धि
12. वित्तीय सुदृढ़ता

विलयन से संबद्ध जोखिम

1. विलयन का परिणाम तुरंत नहीं (परिणाम मिलने से पहले **संक्रमण काल** होता है ।)
2. दोनों इकाइयों की **कार्यसंस्कृति** के समायोजन में कठिनाइयां
3. कर्मचारियों में खिन्नता एवं उदासी
4. शेयरों के मूल्यांकन की समस्या
5. नई इकाई के नाम एवं ब्रांड की समस्या
6. कमजोर इकाई का मजबूत इकाई में विलय करने से मजबूत इकाई के कमजोर होने की आशंका
7. बेरोजगारी की समस्या

वैश्विक वित्तीय परिदृश्य

वित्तीय क्षेत्र की **पुनर्संरचना** के एक भाग के रूप में विश्व के अनेक देशों में विलयन एवं अभिग्रहण के माध्यम से समेकन की प्रवृत्ति बढ़ रही है । मित्सुबिशी टोक्यो फाइनेंशियल ग्रुप (जापान का तीसरा सबसे बड़ा बैंक) तथा यूएफजे बैंक (जापान का चौथा सबसे बड़ा बैंक) आपस में विलय करके विश्व का सबसे बड़ा बैंक बनाने हेतु प्रयासरत हैं।

भारतीय वित्तीय परिदृश्य

वर्ष 1990 से पहले हमारे देश में स्वैच्छिक आधार पर ही बैंकों का अधिग्रहण किया जा सकता था । वर्ष 1960 में बैंककारी विनियमन अधिनियम में धारा 45 जोड़ देने से भारतीय रिज़र्व बैंक को यह अधिकार मिल गया कि वह बैंकिंग उद्योग को मजबूती प्रदान करने के उ-ेश्य से किसी भी बैंक का विलयन या अधिग्रहण कर सकता है ।

वर्ष 1960 से अब तक हमारे देश में बैंकों के विलयन एवं अधिग्रहण की अनेक घटनाएं हुई हैं । इनमें प्रायः एक निजी क्षेत्र के बैंक का दूसरे निजी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में विलय किया गया । लेकिन 4 सितंबर 1993 को 'न्यू बैंक ऑफ इंडिया' का 'पंजाब नैशनल बैंक' में विलयन एक ऐसी घटना है जिसमें एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का दूसरे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में विलयन किया गया । इसी प्रकार 1 फरवरी 1999 को 'टाइम्स बैंक' का 'एचडीएफसी बैंक' में विलयन एक ऐसी घटना है जिसमें निजी क्षेत्र के एक नये बैंक का निजी क्षेत्र के दूसरे नये बैंक में विलयन हुआ । 1 जुलाई 2002 को आईसीआईसीआई बैंक ने स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक की शिमला एवं दार्जिलिंग शाखाओं का अधिग्रहण किया ।

क्या भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में विलयन आवश्यक है ?

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में विलयन के संबंध में विभिन्न अर्थशास्त्रियों के विचार अलग-अलग हैं । जहां एक ओर नरसिम्हम समिति की राय है कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए विलयन आवश्यक है, वहीं एम. एस. वर्मा समिति ने बैंक कर्मचारियों की संख्या में कमी करने की **संस्तुति** की है । वर्मा समिति के अनुसार विलयन केवल अंतिम विकल्प के रूप में ही प्रयुक्त किया जाना चाहिए ।

विलयन के प्रबल पक्षधरों में भी मतांतर है । ऐसे लोगों का एक वर्ग इस पक्ष में है कि कमजोर बैंकों का सुदृढ़ बैंकों में विलयन किया जाए, जबकि दूसरे वर्ग का मानना है कि कमजोर बैंक का सुदृढ़ बैंक में विलयन करने से सुदृढ़ बैंक की वित्तीय हालत भी कमजोर हो सकती है ।

कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त

व्यवस्था की चुनौतियों का सामना करने तथा विदेशी बैंकों को कठिनाई में डालने यह आवश्यक है कि देश के कुछ बैंकों का भारतीय स्टेट बैंक में विलयन कर दिया जाए । इसके विपरीत, कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ऐसा करने से बैंकों की कई शाखाएं आस-पास हो जाएंगी जिससे संसाधनों का अनुकूलतम विदोहन नहीं हो सकेगा ।

भारतीय बैंक संघ द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सम्मेलन में यह बात सामने आयी कि यद्यपि भारतीय रिज़र्व बैंक और वित्त मंत्रालय दोनों ही विलयन के पक्षधर हैं, तथापि बैंक विलयन के मामले में इन दोनों के दृष्टिकोण अलग-अलग हैं । जहां एक ओर भारतीय रिज़र्व बैंक बड़े विलयन का समर्थन करता है, वहीं दूसरी ओर वित्त मंत्रालय बड़े विलयन के पक्ष में नहीं है ।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी होने के लिए भारतीय बैंकों में प्रौद्योगिकी उन्नयन आवश्यक है । इसके लिए भारी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता पड़ती है । लघु और मध्यम आकार के बैंकों के लिए भारी भरकम निवेश कर पाना आसान कार्य नहीं है ।

वित्तीय क्षेत्र सुधारों पर गठित नरसिम्हम समिती (प्रथम) की संस्तुतियों के आधार पर लागू **विवेकपूर्ण मानदण्डों** पर खरा उतरने तथा तुलनपत्र को साफ-सुथरा रखने हेतु आवश्यक प्रावधान करने के लिए बैंकों का पूंजी आधार सुदृढ़ होना चाहिए । विलयन से बैंकों का पूंजी आधार सुदृढ़ होता है ।

बासल समिति की संस्तुतियों के आधार पर **पूंजी पर्याप्तता** संबंधी अनिवार्यताओं के कठोर होते जाने के कारण मितव्ययिता का लाभ लेने के लिए भी विलयन आवश्यक है ।

भारत में उदारीकरण और वैश्वीकरण के कारण बाजार के विस्तार हेतु और बैंकों की **बाजार हिस्सेदारी** में वृद्धि हेतु विलयन आवश्यक है । वित्तीय क्षेत्र सुधार लागू कर दिए जाने के बाद बैंकों की लाभप्रदता पर दबाव बढ़ गया है । विलयन से लाभप्रदता पर दबाव कम होगा और लाभप्रदता में वृद्धि होगी ।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी होने के लिए भारतीय बैंकों में प्रौद्योगिकी उन्नयन आवश्यक है । इसके लिए भारी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता पड़ती है । लघु और मध्यम आकार के बैंकों के लिए भारी भरकम निवेश कर पाना आसान कार्य नहीं है । अतः बैंकिंग परिचालनों के लिए उपयुक्त प्रणाली की स्थापना के लिए विलयन आवश्यक है ।

आधुनिक परिवेश में बैंकों को जहां एक ओर पर्यवेक्षी अपेक्षाओं एवं विनियमों का अनुपालन करने की आवश्यकता है वहीं दूसरी ओर उन्हें प्रबंधन की दक्षता बढ़ाने के उपाय करने की भी आवश्यकता है । इसके लिए एक ही बाजार में प्रतिस्पर्धा करने वाले बैंकों का विलयन करने से **उपरिव्ययों** में कमी की जा सकती है । विलयन से बैंकों के बेहतर अर्जन क्षमता के साथ उभरने की संभावना है जो उनके पूंजी आधार में धारित आय की तुलना में अधिक वृद्धि करेगा । पूंजी में वृद्धि होने से बैंकों को ईक्विटी हामीदारी का वित्तपोषण करने, निवेश एवं बीमा उत्पादों का वितरण करने, आस्ति आधारित प्रतिभूतियां जारी करने और अपने उत्पादों के लिए नये वितरण माध्यम प्रदान करने जैसे नये विविधीकृत कार्यकलाप अपनाने में सहायता मिलेगी ।

उदारीकरण की प्रक्रिया ने भारतीय बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय वित्त व्यवस्था की कठोर चुनौतियों के सामने ढकेल दिया है । भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में विलयन एवं अधिग्रहण के जरिए इस प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है । बैंकों का विलयन बैंक जमाओं व अग्रिमों की अस्थिरता को कम कर सकता है, प्रबंध व उत्पादन स्तर पर प्रयासों का द्विगुणीकरण होने से बचा जा सकता है तथा उत्पादकता एवं लाभप्रदता में वृद्धि की जा सकती है । विलयन से निधि-प्रवाह के चक्रीय उतार-चढ़ाव में कमी आती है जिससे कार्यशील पूंजी की मांग में कमी हो जाती है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने तीन मानदण्डों (जोखिम आधारित आस्ति अनुपात, शुद्ध अनर्जक आस्ति अनुपात तथा आस्तियों से आय) के आधार पर **त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई** योजना शुरू की है । इस योजना के अंतर्गत जब जोखिम आधारित अनुपात 3 प्रतिशत से कम हो तो बैंकों को चाहिए कि वे

कुछ प्रमुख विलय-राष्ट्रीय

विलय का वर्ष	बैंक जिसका विलय किया गया	बैंक जिसमें विलय किया गया
1961	बैंक ऑफ बघेलखंड	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
1961	मयूरभंज स्टेट बैंक	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
1962	भोर स्टेट बैंक	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
1962	बैंक ऑफ देवदास	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर
1963	स्टेट बैंक ऑफ जयपुर	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर
1963	बैंक ऑफ औंध	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
1963	रामदुर्ग बैंक	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
1963	वासुदेव विलास बैंक	स्टेट बैंक ऑफ त्रावनकोर
1964	चंपाकुलम कैथोलिक बैंक	स्टेट बैंक ऑफ त्रावनकोर
1965	देवास सीनियर बैंक	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर
1966	हिमालय बैंक	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
1967	रायकुट इंडस्ट्रियल बैंक	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
1970	नेशनल बैंक ऑफ लाहौर	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
1974	कृष्णराम बल्देव बैंक	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
1976	बेलगाम बैंक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
1985	लक्ष्मी कमर्शियल बैंक	केनरा बैंक
1985	बैंक ऑफ कोचीन	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
1985	मिराज स्टेट बैंक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
1986	हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक	पंजाब नेशनल बैंक
1988	ट्रेडर्स बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा
1990	यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक	इलाहाबाद बैंक
1990	बैंक ऑफ तमिलनाडु	इंडियन ओवरसीज बैंक
1990	बैंक ऑफ तंजावुर	इंडियन बैंक
1990	परूर सेण्ट्रल बैंक	बैंक ऑफ इंडिया
1991	पूर्वांचल बैंक	सेण्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
1993	बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
1994	बैंक ऑफ कराड	बैंक ऑफ इंडिया
1996	काशीनाथ सेठ बैंक	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
1997	बड़ी दाओव बैंक	ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
1997	पंजाब कॉपरेटिव बैंक	ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
1998	बरेली कॉरपोरेशन बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा
1999	टाइम्स बैंक	एसडीएफसी बैंक
1999	सिक्किम बैंक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
2001	बैंक ऑफ मदुरा	आईसीआईसीआई बैंक
2002	बनारस स्टेट बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा
2003	नेडुंगडी बैंक	पंजाब नेशनल बैंक
2004	ग्लोबल ट्रस्ट बैंक	ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

सर्वोत्तम स्तर की संरचनात्मक कार्रवाइयां प्रारंभ करें । यदि बैंक 1 वर्ष (अथवा स्वीकृत विस्तारित अवधि) के भीतर कोई सुधार नहीं करता है तो भारतीय रिज़र्व बैंक उस बैंक के विलयन अथवा समामेलन अथवा परिसमापन हेतु कदम उठाएगा ।

देश के बैंकिंग उद्योग में विदेशी कंपनियों की रुचि बढ़ने लगी है । ब्लू चिप कंपनियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिति दर्ज कराने के प्रयास किए जा रहे हैं । इसके चलते अगले दो-तीन वर्षों में बैंकिंग उद्योग में विलयन एवं अधिग्रहण की गतिविधियां तेज होने की उम्मीद की जा रही है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाई गई एक विशेषज्ञ समिति ने पंजाब एंड सिंध बैंक का किसी दूसरे बैंक में विलय करने की संस्तुति की है । वित्त मंत्रालय आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईआईबीआई, तथा आईडीएफसी के विलय के विकल्प पर विचार कर रहा है । विदेशी बैंकों को निजी बैंकों के अधिग्रहण की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है ।

लेकिन विलयन का कोई निर्णय लेने से पूर्व यह आवश्यक है कि सभी उपलब्ध विकल्पों का उचित मूल्यांकन किया जाए । ऐसा निर्णय लेने हेतु आवश्यक समंकों का संग्रहण, वर्गीकरण और विश्लेषण किया जाना चाहिए । इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि विलयन वित्तीय क्षेत्र पुनर्संरचना का एक विकल्प मात्र है, *एकमात्र* विकल्प नहीं ।

प्रयुक्त शब्दावली

विलयन	Merger
आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी	Assets - Reconstruction Company
अधिग्रहण	Acquisition
समामेलन	Consolidation
क्षैतिज विलयन	Horizontal merger
ऊर्ध्वाधर विलयन	Vertical merger
कार्यात्मक विलयन	Functional merger
संपीडन विलयन	Conglomerate merger
संकेन्द्रित विलयन	Concentric merger
संबद्ध उत्पाद	Allied products
विपणन	Marketing
समेकन विलयन	Consolidated merger
प्रौद्योगिकी उन्नयन	Technology upgradation
विदोहन	Utilization
संक्रमण काल	Incubation period
कार्यसंस्कृति	Work-culture
पुनर्संरचना	Restructuring
संस्तुति	Recommendation
विवेकपूर्ण मानदण्ड	Prudential norms
पूंजी पर्याप्तता	Capital adequacy
बाजार हिस्सेदारी	Market share
उपरिव्यय	Overheads
त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई	Prompt corrective action

मूलभूत संरचना का विकास

● डॉ. रमाकान्त गुप्ता
सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक
चेन्नै

देश की आर्थिक प्रगति सीधे कृषि और उद्योग की प्रगति पर निर्भर रहती है, परन्तु कृषि और उद्योग का विकास काफी सीमा तक **मूलभूत संरचना**, जिसमें परिवहन सेवाओं का उल्लेखनीय स्थान है, पर निर्भर होता है । परिवहन सेवाओं में सड़क परिवहन को कतई अनदेखा नहीं किया जा सकता । आज यह माना जाने लगा है कि देश की आर्थिक प्रगति को अवरुद्ध करने में सड़कों की खराब हालत काफी सीमा तक जिम्मेवार है । फलस्वरूप, सड़कों का विकास देश में मूलभूत संरचना के विकास का एक प्रमुख अंग है । भारत सरकार ने सड़कों का विकास प्राथमिकता के आधार पर करने का निर्णय लिया है ताकि देश के भीतर वस्तुओं की आवाजाही में आनेवाली अड़चनों को दूर किया जा सके । राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास संबंधी कार्यों की देखरेख के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को **केन्द्रीय अभिकरण** के रूप में स्थापित किया गया है ।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मूलभूत संरचना के विकास तथा देश की आर्थिक प्रगति के बीच अटूट संबंध है । साथ ही इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि राजमार्गों का विकास देश की मूलभूत संरचना के विकास की एक मजबूत कड़ी है । देश में राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई की दृष्टि से कुल सड़क नेटवर्क का मात्र 2 प्रतिशत हैं, परन्तु इनका महत्व इतना अधिक है कि इनके माध्यम से कुल 40 प्रतिशत ट्रैफिक का आवागमन होता है । सड़कों का महत्व इस बात से आंका जा सकता है कि आज 85 प्रतिशत यात्री तथा 70 प्रतिशत माल की ढुलाई सड़कों के माध्यम से की जाती है । सड़कों का महत्व निम्नलिखित बातों से महसूस किया जा सकता है : -

क) *सड़कों का विकास तथा उत्पादन लागत* - अच्छी सड़कों का विकास होने से कच्चा माल आदि फैक्टरी तक आसानी से तथा अविलंब पहुंचाया जा सकता है, इससे ट्रकों के पहियों की घिसावट आदि से होने वाली क्षति में अत्यधिक कमी आती है तथा इन सब का प्रभाव विभिन्न वस्तुओं की उत्पादन लागत पर पड़ता है । इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के बाद लगभग आठ हजार करोड़ रुपयों की हर साल बचत हो सकती है ।

ख) *माल के वितरण और विपणन में सुविधा* - 'यदि कृषि और उद्योग को अर्थव्यवस्था का कंकाल माना जाए तो परिवहन और संचार को, जो व्यक्तियों और वस्तुओं की आवाजाही में मदद करता है, उस कंकाल का स्नायु माना जाना चाहिए । परिवहन प्रणाली वस्तुओं के बाजार को व्यापक बनाती है तथा इस प्रकार बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव होता है ।'[1] उत्पादित माल को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए अंततः सड़कों का सहारा लेना ही पड़ता है क्योंकि परिवहन ही एकमात्र ऐसा साधन है जो हर रिहाइशी इलाके से किसी न किसी रूप में जुड़ा रहता है । 'रेलगाड़ियां एक निश्चित मार्ग से ही चल सकती हैं । यदि उनकी पटरियों पर कोई रुकावट हो तो उन्हें रूक जाना पड़ेगा । किन्तु सड़क परिवहन के साथ ऐसी बाधाएं नहीं हैं । .. सड़क परिवहन का क्षेत्र विस्तृत होता है ।.. मोटरें अच्छी सड़क पर उतने ही समय में रेलों की अपेक्षा साढ़े तीन गुना अधिक माल ढो सकती हैं ।'[2]

ग) *माल के निर्यात में सुविधा* - आज भारत का निर्यात

[1] Indian Economy, रुद्रदत्त

[2] भारत का आर्थिक इतिहास, प्रो. श्रीधर पांडेय

तेजी से बढ़ रहा है। उत्पादित माल को बंदरगाहों तक ले जाने में अच्छी सड़कें महत्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं। इसीलिए केन्द्र सरकार ने बंदरगाहों को मुख्य राजमार्गों से जोड़ने की भी **महत्वाकांक्षी योजना** बनायी है।

घ) *सड़क और रेल परिवहन की तुलना* - योजना आयोग द्वारा परिवहन की लागत के जो अनुमान लगाये गये हैं, उनके अनुसार यद्यपि लंबी दूरी पर लागत ट्रकों की अपेक्षा माल-गाड़ियों में कम बैठती है, फिर भी यदि माल थोड़ी मात्रा में हो तो 200 किलो मीटर तक तो लागत ट्रकों की अपेक्षा रेलों में ज्यादा बैठती है। अतः कम दूरी के लिए निश्चय ही सड़क बेहतर विकल्प है।

सड़कों की आर्थिक प्रगति में इस महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में प्राचीन काल से ही सरकारों द्वारा इस ओर पूरा ध्यान दिया जाता रहा है। 'कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मौर्यकाल की सड़कों और उनकी व्यवस्था पर अच्छा प्रकाश पड़ा है। उस समय नगर की सड़कें 24 फीट चौड़ी, गांव और लड़ाई के मैदान को ले जाने वाली सड़कें 48 फीट चौड़ी और जंगल को जाने वाली सड़कें 24 फीट चौड़ी हुआ करती थीं। .. शेरशाह को भारत के आर्थिक इतिहास में सड़क-निर्माता भी कहा जाए तो अनुचित न होगा।'[3]

राजमार्गों का निर्माण-विधिक पहलू

देश के आर्थिक विकास में राष्ट्रीय राजमार्गों के इस महत्व को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी अनदेखा नहीं किया गया तथा हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत संघ-सूची की 23वीं मद में इसे इस प्रकार से शामिल किया -'ऐसे राजमार्ग, जिन्हें संसद द्वारा बनायी गयी विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है।'[4] इस प्रकार राष्ट्रीय राजमार्गों की पहचान तथा उनके विकास की जिम्मेदारी संविधान के तहत केन्द्र सरकार को सौंपी गयी तथा केन्द्र सरकार ने भी उस जिम्मेदारी का अहसास किया। प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में सड़क विकास पर लगभग 155 करोड़ रुपये व्यय किये गये तथा 1952 में केन्द्रीय सड़क गवेषणा संस्थान की स्थापना की गयी।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण - गठन और परिचय

राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास में हुई मंद प्रगति का असर उद्योग जगत पर स्पष्ट दिखायी देने लगा था। अतः सरकार ने **भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम**, 1988 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किया। यह एक स्वायत्त संस्था है तथा इसे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देश के राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए कार्यपालक अधिकार दिये हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 में की गयी अपेक्षानुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के निम्नलिखित कार्य हैं -

क) बाह्य (बहुपक्षीय एजेंसियों से) सहायता-प्राप्त राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का कार्यान्वयन करना।

ख) मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव करना।

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास-वित्तीय आवश्यकताएं

स्वर्णिम चतुर्भुज एवं अन्य महत्वपूर्ण राजमार्गों के निर्माण जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना को साकार करने के लिए अत्यधिक बड़ी मात्रा में राशि की आवश्यकता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुमान के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के वित्तपोषण के लिए 54,000 करोड़ रुपयों की आवश्यकता है।

उक्त राशि निम्नलिखित स्रोतों से जुटायी जा रही है -

क) 20,000 करोड़ रुपये राष्ट्रीय राजमार्ग निधि से प्राप्त किये जाएंगे।

[3]भारत का आर्थिक इतिहास, प्रो. श्रीधर पांडेय
[4] भारत का संविधान

ख) 20,000 करोड़ रुपये उपकर से प्राप्त किये जाएंगे ।

ग) 10,000 करोड़ रुपये राष्ट्रीय राजमार्ग बांडों के जरिये जुटाये जाएंगे तथा

घ) शेष 4,000 करोड़ रुपये बिल्ड, ऑपरेट एण्ड ट्रांसफर योजना के माध्यम से प्राप्त किये जाएंगे ।[5]

निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित नीतिगत निर्णय लिये हैं -

i) जमीन की खरीद आदि प्रारंभिक कार्य सरकार स्वयं करेगी ।

ii) एन एच ए आई / सरकार कुल परियोजना लागत के 40 प्रतिशत तक पूंजीगत अनुदान उपलब्ध कराएगी ।

iii) पांच वर्ष तक कर में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी तथा अगले पांच वर्ष तक 30 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी ।

iv) राजमार्गों के निर्माण के लिए आधुनिकतम उपकरणों के निःशुल्क आयात की अनुमति प्रदान की जाएगी ।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण - वित्तीय स्रोत और मूलभूत-संरचनागत वित्तपोषण

राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए सतत आधार पर वित्त की जरूरत रहेगी - सड़कों के निर्माण के दौरान भी तथा उसके बाद उनके रखरखाव के लिए भी । अतः भारत की वित्तीय संस्थाओं को इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी । आइये देखें कि ये जरूरतें किस तरह से पूरी की जा सकेंगी -

क) *वित्तपोषण तथा करों में छूट* - भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्राप्त सांविधिक हैसियत की वजह से उसकी राशि जुटाने की शक्ति बढ़ जाती है । इसके फलस्वरूप यह बांड जारी कर बाजार से काफी मात्रा में प्रतिस्पर्धात्मक दर पर राशि जुटा सकता है । इस कार्य के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जारी किये जानेवाले कुछ बांडों में निवेश करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 54 ईसी के तहत कर में छूट भी प्रदान की है ।[6] इसका महत्व इसे देखते हुए और बढ़ जाता है कि भारत सरकार ने उक्त कर छूट सिर्फ पांच संस्थाओं के लिए (उक्त के अलावा, नाबार्ड, आरईसी, एनएचबी और सिडबी) प्रदान की है ।

ख) *बहुपक्षीय एजेंसियों से ऋण* - भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बहुपक्षीय एजेंसियों से ऋण प्राप्त कर सकता है । भारत सरकार सड़क परियोजनाओं के लिए बहुपक्षीय एजेंसियों से प्राप्त निधियों का 80 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान के रूप में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रदान करती है तथा शेष 20 प्रतिशत की राशि दीर्घावधि ऋणों के रूप में प्रदान की जाती है । 31 मार्च 2002 तक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को बहुपक्षीय एजेंसियों से कुल 20.9 मिलियन रुपये प्राप्त हो चुके थे । ऐसी आशा की जाती है कि पहले चरण के लिए अपेक्षित राशि का 25 प्रतिशत इस स्रोत से प्राप्त होगा ।

ग) *भारत सरकार से बजटीय समर्थन* - भारत सरकार से इस प्रयोजन के लिए बजटीय समर्थन भी प्राप्त है । भारत सरकार डीजल और पेट्रोल पर 1 रुपये की चुंगी लगाती है, जिसमें से 32 प्रतिशत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्राप्त होता है । उक्त चुंगी की वसूली पेट्रोल पर 2 जून 1998 से तथा डीजल पर 1 मार्च 1999 से की जा रही है । 2001-02 में इस स्रोत से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 21 मिलियन डॉलर प्राप्त हुआ तथा 2002-03 में लगभग 22 मिलियन डॉलर प्राप्त होने का अनुमान है ।[7]

घ) *निधिगत समर्थन* - इसे भारत सरकार से ईक्विटी आदि के रूप में **निधिगत समर्थन** भी मिलता रहता है । 31 दिसंबर 2001 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग

[5]स्रोत - The Financial Express, Chennai, 26th July 2002, पृ.13
[6]स्रोत - आयकर अधिनियम,
[7]स्रोत - एफ ई इन्वेस्टर, चेन्नै, 7 जुलाई 2002

प्राधिकरण की कुल मालियत 70.21 मिलियन डॉलर थी ।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति काफी अच्छी है । 31 दिसंबर 2001 को नकदी एवं बैंक शेष के रूप में उसके पास कुल 33.3 मिलियन डॉलर थे । यह संस्था पूंजीगत कार्यों पर 1 प्रतिशत तथा रखरखाव संबंधी व्यय पर 3 प्रतिशत एजेंसी प्रभार लेती है तथा इन परिचालनगत स्रोतों से इसे 31 दिसंबर 2001 को समाप्त 9 महीनों की अवधि के दौरान कुल 0.15 मिलियन डॉलर की परिचालनगत आय हुई । निवेशों पर प्राप्त ब्याज इसकी गैर-परिचालनगत आय का स्रोत था । इस प्रकार उक्त अवधि में इसे कुल 1.47 मिलियन डॉलर का शुद्ध लाभ हुआ ।[8]

राजमार्ग - प्रस्तावित रूपरेखा

सरकार स्वर्णिम चतुर्भुज द्वारा देश के चारों महानगरों अर्थात् दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तथा चेन्नै को जोड़ना चाहती है तथा साथ ही पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण कॉरीडोर के जरिये श्रीनगर से कन्याकुमारी और सिलचर से पोरबंदर तक को जोड़ना चाहती है ।

कार्यान्वयन के विभिन्न चरण

i) पहले चरण में 5,846 किलोमीटर लंबे चारों महानगरों को जोड़नेवाले अत्यधिक व्यस्त राजमार्ग को सशक्त एवं चौड़ा करने का कार्य पूरा किया जाएगा। इसके अलावा प्रमुख बंदरगाहों को इन सड़कों से जोड़ा भी जाएगा । निश्चय ही इससे उत्पादित माल के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा । इसमें कुल 303 मिलियन रुपये खर्च होने का अनुमान है । 31 मार्च 2004 तक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस स्वर्णिम चतुर्भुज (गोल्डेन क्वैड्रिलेटरल) के 2,083 कि.मी. का कार्य पूरा कर लिया था ।[9]

ii) दूसरे चरण में दिसंबर 2007 तक 7300 कि.मी. लंबे उत्तर-दक्षिण-पूर्व-पश्चिम गलियारे का कार्य पूरा किया जाएगा, जिस पर कुल 340 मिलियन डॉलर खर्च होने का अनुमान है ।

iii) इनके अलावा बंदरगाहों को उनके पृष्ठप्रदेश के साथ जोड़ने के लिए 363 कि.मी. लंबी सड़क भी निर्माणाधीन है ।

उक्त परियोजना के तहत लगभग 14,000 कि.मी. के राजमार्ग को 4 एवं 6 लेन में बदलने का भी प्रस्ताव है ।

31 मार्च 2004 को निर्माणाधीन स्वर्णिम चतुर्भुज की स्थिति[10]

	दिल्ली-कोलकाता	मुंबई-चेन्नै	कोलकाता-चेन्नै	दिल्ली-मुंबई	कुल
कुल लंबाई (कि.मी.)	1453	1290	1684	1419	5846
निर्मित सड़क की लंबाई (कि.मी.)	322	425	446	890	2083

क) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए भारत सरकार ने 1998-99 में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एन एच डी पी) शुरू की । भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को कहा गया कि वह छः-सात वर्ष की अवधि के दौरान उक्त परियोजना दो चरणों में पूरा करे-

संभावनाएं एवं आर्थिक-वित्तीय क्षेत्र को होनेवाले फायदे

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को भारत में राजमार्गों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है । इसके लिए सरकार से निधिगत और गैर-निधिगत सहायता सतत आधार पर मिलती रहेगी, ताकि उसकी वित्तीय स्थिति मजबूत बनी

[8]स्रोत - एफ ई इन्वेस्टर, चेन्नै, 7 जुलाई 2002
[9]स्रोत - वेबसाइट
[10]स्रोत - वेबसाइट

मूलभूत संरचनागत वित्तपोषण-कुछ प्रमुख बातें

क) वित्तपोषण के प्रयोजन के लिए मूलभूत संरचना की परिभाषा को व्यापक बनाना

रिज़र्व बैंक ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23) में की गयी परिभाषा के अनुरूप मूलभूत संरचना की परिभाषा को व्यापक बनाते हुए इसमें पावर, सड़क, राजमार्ग, पुल, बंदरगाह, एयरपोर्ट, रेल-प्रणाली, जल-आपूर्ति, सिंचाई, सफाई एवं मल-निस्सारण प्रणाली, दूरसंचार, आवास, औद्योगिक पार्क अथवा समय-समय पर राजपत्र में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अधिसूचित इसी तरह की अन्य लोकोपयोगी सुविधाओं को शामिल कर लिया। रिज़र्व बैंक ने यह भी स्पष्ट किया कि जहां मूलभूत संरचनाओं के वित्तपोषण संबंधी अनुदेश मूलभूत संरचना के सभी क्षेत्रों पर लागू होंगे, वहीं 'समूह एक्सपोजर' संबंधी मानदण्ड में की गयी शिथिलताएं सिर्फ चार क्षेत्रों अर्थात् सड़क, पावर, दूरसंचार और बंदरगाह पर ही लागू होंगी।

ख) एकल परियोजना के लिए दी जानेवाली मीयादी ऋण की अधिकतम सीमा को समाप्त करना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मूलभूत संरचना के विकास में आनेवाली वित्तीय बाधाओं को दूर करने के लिए एकल परियोजना के लिए बैंकों द्वारा स्वीकृत की जानेवाली मीयादी ऋण की अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया है। वर्ष 1999-2000 की मौद्रिक एवं ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा में रिज़र्व बैंक ने अलग-अलग पावर परियोजनाओं के लिए 1,000 करोड़ रुपये तथा अन्य परियोजनाओं के लिए 500 करोड़ रुपये ऋण की अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया। अब बैंक विवेकपूर्ण एक्सपोजर मानदण्डों की समग्र अधिकतम सीमा के भीतर मूलभूत संरचना संबंधी परियोजनाओं के लिए ऋण स्वीकृत कर सकते हैं। मूलभूत क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए बैंकों को 50 प्रतिशत के ग्रुप एक्सपोजर मानदण्ड को 10 प्रतिशत तक लांघने की भी अनुमति दे दी गयी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पावर क्षेत्र के लिए निधि की मांग काफी अधिक थी और बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं पुराने दिशा-निर्देशों के तहत इस क्षेत्र की पूरी आवश्यकता के लिए वित्तपोषण करने में असमर्थ महसूस कर रही थीं।

ग) स्थायी समन्वय समिति का गठन

मूलभूत संरचना एवं अन्य क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने में होनेवाली देरी को कम करने के लिए तथा इस क्षेत्र को वित्तपोषण संबंधी मसलों के समाधान के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा गठित बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों की स्थायी समन्वय समिति द्वारा विचार किया जाता है।

घ) मूलभूत संरचना संबंधी परियोजनाओं का वित्तपोषण और बाह्य वाणिज्यिक उधार

बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) में बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (वाशिंगटन), एशियाई विकास बैंक, एएफआइसी, कामनवेल्थ डेवलपमेंट कार्पोरेशन आदि से लिये जाने वाले ऋण, वाणिज्य बैंक ऋण, खरीददार ऋण, आपूर्तिकर्ता ऋण, फ्लोटिंग रेट नोट, फिक्स्ड रेट बांड जैसी लिखतें आदि शामिल हैं। सरकार द्वारा इसकी अनुमति भारतीय कंपनियों के विस्तार के लिए दी जाती है।

* भारतीय कंपनियां विदेशी मुद्रा में ऋण जुटा सकती हैं, बशर्ते उसकी न्यूनतम औसत अवधि 3 वर्ष हो।
* देशी ईक्विटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धारक कंपनियां अथवा प्रवर्तक 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) जुटा सकते हैं।
* एकल परियोजना के लिए एकाधिक प्रवर्तकों द्वारा ऋण जुटाये जाने की स्थिति में ऋण की कुल मात्रा 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ङ) 'टेक-आउट' वित्तपोषण

टेक-आउट वित्तपोषण के तहत मूलभूत संरचना संबंधी परियोजनाओं का वित्तपोषण करने वाली संस्थाएं/बैंक ऋण की बकाया राशियां पूर्वनिर्धारित शर्तों पर किसी वित्तीय संस्था को अंतरित करने का समझौता कर सकते हैं। इससे बैंकों को आस्ति-देयता प्रबंधन में भी मदद मिलती है क्योंकि मूलभूत संरचना के लिए लंबे समय के लिए ऋण देना पड़ता है जबकि उनके पास जमा राशियां अल्पकालिक होती हैं।

रहे । निधियों के अधिकाधिक उपयोग के साथ जहां इसकी खजाना प्रबधंन संबंधी आय में कमी आयेगी, वहीं अतिरिक्त परियोजनाएं पूरी होने के साथ इसकी परिचालनगत आय में वृद्धि होने की संभावना है । इस कार्य में प्रगति के साथ-साथ देश में चहुंमुखी आर्थिक प्रगति भी होगी ।

1) सड़क निर्माण और उनका रखरखाव अपने आप में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सकता है, हालांकि यह उसका मुख्य उ-ेश्य नहीं है परन्तु देश में व्याप्त बड़े पैमाने की बेरोजगारी को देखते हुए इसकी अनदेखी भी नहीं की जा सकती ।

2) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार 'वर्तमान में प्रतिवर्ष 80,000 मौतें होती हैं और उक्त सड़क परियोजनाओं के पूरा होने पर इन दुर्घटनाओं की दरों में भी काफी सीमा तक कमी आएगी ।'[11]

3) भारतीय अर्थव्यवस्था आज भी प्रमुख रूप से ग्राम-आधारित अर्थव्यवस्था है और ऐसी अर्थव्यवस्था में परिवहन प्रणाली में सड़कों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है । ''रेल, आंतरिक जलमार्ग, बंदरगाह आदि अन्य परिवहन प्रणालियों का महत्व उस समय और भी बढ़ जाता है, जब वे सड़क परिवहन प्रणाली से संबद्ध हो जाते हैं ।''[12] भारत सीमेंट उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है तथा इसका एक बड़ा भाग निर्यात किया जाता है । इस प्रकार के उद्योगों के विकास में सड़क परिवहन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है ।

4) सड़कें अच्छी होने से न सिर्फ समय की बचत होती है बल्कि पेट्रोल की भी बचत होती है । भारत अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पेट्रोल का आयात करता है, अतः राजमार्गों की हालत बेहतर होने पर आयात बिल में भी भारी कमी आ सकती है ।

5) सड़कों का निर्माण और उनका रखरखाव एक निरंतर चलनेवाली आर्थिक एवं वित्तीय प्रक्रिया है तथा इसमें बड़े पैमाने पर वित्तपोषण की आवश्यकता बनी रहेगी, अतः वित्तीय संस्थाएं भी इस प्रक्रिया से निरंतर जुड़ी रहनेवाली हैं । यह उनके लिए वित्तपोषण का बहुत बड़ा स्रोत होगा तथा विज्ञापन, कर आदि के रूप में होनेवाली आय से ऋण की चुकौती के लिए पर्याप्त राशियां भी जुटायी जा सकेंगी ।

निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि देश में परिवहन प्रणाली की खस्ता हालत आर्थिक विकास में बहुत बड़ा रोड़ा बनी हुई थी । अच्छी सड़कों के अभाव में उत्पादित माल (कृषिगत माल तथा औद्योगिक माल दोनों) समय पर उपभोक्ताओं तथा बंदरगाहों तक नहीं पहुंच पाते थे । इसी तरह कच्चा माल/आयातित वस्तुएं आदि भी फैक्टरियों/उपभोक्ताओं तक समय पर नहीं पहुंच पाती थीं । अतः राजमार्गों का विकास सही दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है तथा इस परियोजना के पूरा होने पर आर्थिक विकास की गति और भी तीव्र होगी ।

[11]स्रोत - The Financial Express, Chennai, 26th July 2002. पृ.13

[12]स्रोत - Indian Economy, रुद्रदत्त (हिन्दी अनुवाद)

प्रयुक्त शब्दावली

मूलभूत संरचना	Infrastructure
केंद्रीय अभिकरण	Central Board
महत्त्वाकांक्षी योजना	Ambitious scheme
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम	Indian National Highway Authority Act
स्वर्णिम चतुर्भुज	Golden quardrilateral
निधिगत समर्थन	Fund support

इस्लामी बैंकिंग

● डॉ. सुरेश कुमार
उप महाप्रबंधक
भारतीय स्टेट बैंक
मुंबई

किसी भी रूप में ब्याज लेना इसलाम में पूर्णतः वर्जित है, क्योंकि उसे अन्याय का कारण समझा जाता है । ब्याज की मनाही शरीयत के सिद्धांतों पर आधारित है, जो किसी भी रूप में ऋणियों के शोषण के खिलाफ हैं ।

> *जो लोग सूद खाते हैं, वे (कयामत में कब्रों से उठकर) खड़े नहीं हो सकेंगे या होंगे भी तो शैतान के स्पर्श से पागल की तरह और वह इसलिए कि वे कहते हैं कि व्यापार सूद जैसा ही है, जबकि अल्लाह ने व्यापार को तो जायज कहा है पर सूद को निषिद्ध किया है ।*
>
> **- कुरान**
>
> *सूरा 2, आयत 275*

ब्याजरहित बैंकिंग, जिसे इस्लामी बैंकिंग के नाम से ज्यादा जाना जाता है, वर्ष 1963 के आसपास मिस्र में शुरू हुई । यह 15 प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ते-बढ़ते आज लगभग 200 बिलियन डॉलर की परिसंपत्ति वाली हो गई है । मिस्र के इलाके में अपनी शुरुआत के बाद इस्लामी बैंकिंग ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा । 1975 में जे-ाह में एक इस्लामी विकास बैंक स्थापित हुआ और दुबई इसलामी बैंक, कुवैत फायनेंस हाउस तथा बहरीन इस्लामी बैंक जैसे अनेक वाणिज्यिक बैंक भी सत्तर और अस्सी के दशक में अस्तित्व में आए । पाकिस्तान और ईरान की बैंकिंग-प्रणाली भी काफी हद तक इस्लामीकृत ही है । इस समय बैंकों सहित लगभग 203 इस्लामी वित्तीय संस्थाएँ हैं । इन पूर्णतः इस्लामी वित्तीय संस्थाओं के अलावा भी पश्चिम के कुछ बैंक मुस्लिम समुदाय को उनके धार्मिक सिद्धांतों के मुताबिक सेवा प्रदान करते हैं ।

अवधारणा

इस्लामी बैंकिंग में समाज-कल्याण के उन्नयन की भावना निहित है । इस्लामी बैंकों के लिए वह एक धार्मिक दायित्व समझा जाता है । फलतः बैंक सामाजिक गतिविधियों का वित्तपोषण करते हैं, जिनमें सामाजिक उत्थान से जुड़े कार्यों के लिए संपदा-कर के भुगतान हेतु ऋण और दान देना शामिल है ।

इस्लामी बैंकिंग इस मान्यता पर आधारित है कि ''ब्याज'' की अवधारणा से चलित वित्तीय मध्यस्थता पूर्ण रोजगार, आय और संपत्ति के समान वितरण तथा आर्थिक स्थिरता जैसे मानवीय लक्ष्यों की पूर्ति नहीं कर सकती । उसका विश्वास है कि ऋण का आसानी से मिलना लोगों को अपनी चादर से बाहर पैर निकालकर जीने के लिए प्रेरित करता है, जिससे समष्टि-आर्थिक यानी मैक्रो-इकनॉमिक असंतुलन की समस्याएँ पैदा होती हैं और उत्पादक निवेश में कमी आती है । वैश्विक भाईचारे को बढ़ाने के अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए इस्लाम धर्म सहभागितापूर्ण वित्तपोषण को बढ़ावा देता है और किसी भी रूप में ब्याज या सूदखोरी को निषिद्ध करता है । अतः इस्लामी बैंकिंग और वित्त मुख्यतः लाभ और हानि आपस में बाँटने की विधियों पर आधारित हैं ।

इस्लामी बैंकिंग इस मान्यता पर आधारित है कि ''ब्याज'' की अवधारणा से चलित वित्तीय मध्यस्थता पूर्ण रोजगार, आय और संपत्ति के समान वितरण तथा आर्थिक स्थिरता जैसे मानवीय लक्ष्यों की पूर्ति नहीं कर सकती ।

औचित्य

इस्लामी बैंकिंग के समर्थकों के अनुसार ''ब्याज-आधारित बैंकिंग-प्रणाली'' उपलब्ध नकदी-निधियों का फर्मा और सामाजिक गतिविधियों में दक्षता, उत्पादकता और **संवृद्धि** के मुताबिक विनियोजन करने में पूर्णतः समर्थ नहीं हो सकती। इसके मुख्य कारण हैं जमाकर्ताओं को ब्याज के रूप में न्यूनतम प्रतिलाभ की गारंटी, **आरक्षित निधियों** के रूप में एक बड़ी राशि अवरूद्ध रखना और **निदेशित ऋणदान** यानि निदेशानुसार (न कि आवश्कतानुसार) उधार देना । प्रायः विश्वभर की बैंकिंग-प्रणाली आज इन्ही सिद्धांतों का अनुसरण कर रही है । समर्थक मानते हैं कि लाभ/हानि को आपस में बाँटकर वित्तपोषण करने की पद्धतियों पर आधारित इस्लामी बैंकिंग-प्रणाली मौजूदा अंतराल को पाटने का काम करेगी और वर्तमान बैंकिंग-प्रणाली की पूरक बनेगी । ब्याज-प्रणाली आय के वितरण का एक पैटर्न कायम रखती है, जो ब्याज अदा कर सकने योग्य व्यक्तियों और व्यवसाइयों के पक्ष में रहता है । दूसरी ओर इस्लामी वित्त-प्रणाली आय के वितरण के उस पैटर्न की वकालत करती है, जो केवल आर्थिक क्षमता, उत्पादकता और अर्थव्यवस्था के कुल मूल्य में योगदान करने वाले अन्य वास्तविक कारकों को बढ़ावा देता है ।

लाभ और हानि को आपस में बाँटने की पद्धतियों को बढ़ावा देकर इसलामी बैंकिंग-प्रणाली **निधि-प्रदाताओं** को उस व्यवसाय की जोखिम में हिस्सा बँटाने और उसमें सक्रिय सहभागिता करने के लिए प्रेरित करती है, जिसमें वे निवेश करते हैं। ब्याज का निषेध बचत/निवेश या निधियों के संग्रहण को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि वह धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित है और धार्मिक लोगों द्वारा अधिक नैतिक समझा जाता है ।

जमा-खाते

जमा-संग्रहण के लिए इसलामी बैंक दो तरह के जमा-खाते प्रस्तावित करते हैं : चालू खाता और निवेश-खाता । चालू खाते की जमाराशियाँ कमोबेश परंपरागत बैंक-जमाराशियों की तरह ही होती हैं । जमा की गई पूँजी ग्राहक को माँग पर उपलब्ध कराई जाती है और ऐसी जमाराशियों पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता । वे मुख्यतः लेनदेन और सुरक्षा के लिए होती है । बैंक इन जमाराशियों का निवेश-खातों के जरिये सक्षम परियोजनाओं को ऋण देने में इस्तेमाल करते हैं। जमाकर्ता इन परियोजनाओं के **वित्तदाता साझेदारों** के रूप में और बैंक **प्रबंधनकर्ता साझेदार** के रूप में कार्य करते हैं । ये खाते **न्यास-वित्तपोषण** पर आधारित होते हैं । निवेश पर होने वाला लाभ लगभग ईक्विटी-निवेशों के तरीके से ही बाँटा जाता है । अलबत्ता बैंक अपनी सेवाओं के लिए कुछ फीस वसूल कर सकता है क्योंकि निवेशों के प्रबंधन में उसकी कुछ **परिचालन-लागत** लग सकती है ।

वित्तपोषण की विधियाँ

इसलामी बैंकों के पास अपनी कार्य-पद्धति चुनने का विकल्प उपलब्ध है । वे चाहें तो लाभ और हानि आपस में बाँटकर वित्तपोषण कर सकते हैं, **व्यापार-वित्तपोषण** कर सकते हैं या फिर उधार देने का काम कर सकते हैं । इनके बारे में संक्षेप में नीचे बिचार किया जा रहा है । लाभ और हानि आपस में बाँटकर वित्तपोषण करने में उठाए जाने वाले कदम इस प्रकार हैं : 1) ग्राहक (जो कोई उद्यमी हो सकता है या कोई कंपनी) बैंक को विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, 2) बैंक प्रस्ताव का मूल्यांकन करता है और निर्णय लेता है कि उसमें सहभागिता करे या नहीं, 3) यदि बैंक सहभागिता करने का निर्णय लेता है, तो वह ऐसा न्यास-वित्तपोषण के आधार पर करता है और आरंभिक चरण में वित्तदाता साझेदार बन जाता है, और 4) ग्राहक और बैंक के बीच इस आशय के एक संविदा पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, जिसमें साझेदारों की जिम्मेदारी और किस अनुपात में लाभ बाँटा जाएगा, इसका स्पष्ट उल्लेख होता है । शरीयत के सिद्धांतों के अनुसार ये दोनों अनिवार्य हैं । इसलामी बैंकिंग की संविदाएँ उतनी **शब्दबहुल** नहीं होती, जितनी परंपरागत बैंकिंग के दस्तावेज होते हैं जिनमें अनेक खंड और **प्रतिसंदर्भ** रहते हैं । तथापि उनमें कुछ विशिष्ट खंड रहते हैं, जो ग्राहकों द्वारा निधियों के दुरुपयोग को प्रतिबंधित करते हैं और सतत आधार पर **तथ्यात्मक सूचना-प्रणाली** को अनिवार्य बनाते हैं ।

इस्लामी बैंकिंग और परंपरागत बैंकिंग-प्रणाली की तुलना

लक्षण	इस्लामी बैंकिंग-प्रणाली	परंपरागत बैंकिंग-प्रणाली
व्यावसायिक रूपरेखा	शरीयत के कानूनों पर आधारित-शरीयत के विद्वान इस्लामी कानूनों का पालन सुनिश्चित करते हैं और मार्गदर्शन देते हैं ।	धार्मिक कानूनों या मार्गदर्शन के बजाय केवल धर्मनिरपेक्ष कानूनों पर आधारित ।
नैतिक और भौतिक अपेक्षाओं के बीच संतुलन	भौतिक परिसंपत्तियों का वित्तपोषण अपेक्षित, जिनकी पुनः बिक्री से पहले बैंक सामान्यतः उनका स्वामित्व ग्रहरण कर लेते हैं और ऋण की अतिवृद्धि में कमी लाते हैं ।	ऋण का अत्यधिक प्रयोग और कर्ज का वित्तपोषण वित्तीय समस्याएँ खड़ी कर सकता है ।
पूँजी की जोखिम सहित ईक्विटी-वित्तपोषण	उपलब्ध है । इस्लामी बैंक सहित विभिन्न पार्टियों को ईक्विटी-पूँजी प्रदान करने की अनुमति है । हानि ईक्विटी-सहभागिता के आधार पर बाँटी जाती है, जबकि लाभ पहले से तय किए गए अनुपात में बाँटा जाता है । उद्यम का प्रबंध अनेक रूपों में हो सकता है, जो इस पर निर्भर है कि वित्तपोषण मुदरब के मार्फत है या मुशरक आदि के ।	सामान्यतः वाणिज्यिक बैंकों के जरिये उपलब्ध नहीं, पर जोखिम पूँजी कंपनियों और निवेश बैंकों के जरिये उपलब्ध है जो प्रारंभिक वित्त प्रदान करने के लिए किसी उद्यम के ईक्विटी स्टेक्स और प्रबंधन अपने हाथ में ले लेते हैं ।
ग़रर का निषेध	ग़रर समझे जाने वाले लेनदेन निषिद्ध हैं । ग़रर किसी पार्टी द्वारा अन्य के खर्च पर प्राप्त वस्तुओं के मूल्य और गुणवत्ता के संबंध में छल की विभिन्न मात्राएँ सूचित करता है । डेरिवेटिव-व्यापार, जैसे कि आप्शंस, में ग़रर के तत्व माने जाते हैं ।	विभिन्न प्रकार के डेरिवेटिव्स के व्यापार की अनुमति है ।
लाभ और हानि आपस में बाँटना	सारे लेनदेन इसी सिद्धांत पर आधारित होते हैं । प्रतिलाभ अलग-अलग होता है, जो बैंक के निष्पादन पर आधारित होता है और उसकी कोई गारंटी नहीं होती । किंतु जमा-खातों से बेहतर प्रतिलाभ सुनिश्चित करने के लिए जोखिम-प्रबंधन किया जाता है । उपभोक्ता पूर्वनिर्धारित प्रतिलाभ प्राप्त करने के बजाय ज्यादा समतापूर्ण तरीके से सीधे लाभ में सहभागिता कर सकते हैं ।	यह सिद्धांत लागू नहीं होता । जमाकर्ताओं को प्रतिलाभ बैंक के निष्पादन या लाभप्रदता से निरपेक्ष होता है । जमाकर्ता के रूप में ग्राहक ऋणदाता की तरह होता है, जो नियत दर से पूर्वनिर्धारित ब्याज प्राप्त करने के अलावा उद्यम की सफलता में हिस्सा नहीं बँटाता । इस्लामी प्रणाली के विपरीत जमाकर्ता बैंक के अच्छे निष्पादन से सिद्धांततः लाभान्वित नहीं हो सकता ।

स्रोत : http://www.adib.co.ae

इस्लामी बैंकों द्वारा ऋणदान चालू खाते में ओवरड्राफ्ट या ब्याजरहित ऋणों के रूप में होता है । कुछ बैंक ओरवरड्राफ्ट की अनुमति नहीं देते, तो कुछ ओवरड्राफ्ट-सुविधा देने के लिए कुछ फीस लेते हैं जो शरीयत के अंतर्गत निषिद्ध है । ब्याजरहित ऋणों के संबंध में मुस्लिम विद्वान अलग-अलग राय रखते हैं । वे बैंकों को इन ऋणों के संबंध में अपनी परिचालन-लागत की पूर्ति के लिए फीस लेने की अनुमति देने पर सहमत नहीं । रूढ़िवादी विद्वान ऐसे ऋणों के पक्ष में नहीं, जिन पर फीस ली जाती हो । व्यवहार में इस्लामी बैंक मानवीय और कल्याणकारी प्रयोजनों के लिए केवल लागतरहित ऋण प्रदान करते हैं, जो उनके प्राथमिक उ-श हैं । वित्तीय संकट या दिवाले जैसे वाजिब मामलों को छोड़कर ऋण की मीयाद खत्म होने पर ऋणी को ऋण चुकाना पड़ता है । शरीयत के सिद्धांतों के अनुसार लाभ और हानि आपस में बाँटकर वित्तपोषण करना वित्तपोषण की सबसे स्वीकार्य पद्धति है । ऋणदान और व्यापार-वित्तपोषण दूसरी और तीसरी प्राथमिकताएँ हैं ।

एजेंसी-सेवाएँ

इस्लामी बैंकिंग में **शुल्क-आधारित प्रतिभूति-व्यापार** का प्रावधान है । शुल्क आम तौर पर इसमें लगने वाली लागत और प्रयासों के आधार पर तय किया जाता है । वह लेनदेन के आकार/मात्रा से तब तक संबद्ध नहीं होता, जब तक कि उसके लिए बहुत ज्यादा अतिरिक्त प्रयासों और लागत की आवश्यकता न पड़े । इस प्रकार के लेनदेनों में बैंक अपने ग्राहकों के साथ एजेंसी-संबंध रखते हैं । इस्लामी बैंकों को नियत आय वाली प्रतिभूतियों का (लाभ बाँटने की पूर्वनिर्धारित दरों के आधार पर) और स्टॉक्स व डेरिवेटिव्स का व्यापार करने की अनुमति है । किंतु जीरो कूपन प्रतिभूतियों और जमा-प्रमाणपत्रों के व्यापार की अनुमति शरीयत के अंतर्गत नहीं है । कारण स्पष्ट है कि उनमें ब्याज का तत्व निहित रहता है । स्टॉक्स न्यास-वित्तपोषण का एक वैध रूप हैं । स्टॉक्स में **सट्टा-व्यापार** या शराब जैसे निषिद्ध क्षेत्रों में शेयरधारिता अवैध समझी जाती है । इसलामी अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार कमॉडिटी-ऑप्शंस या कमॉडिटी-फ्यूचर्स जैसे कमॉडिटी-डेरिवेटिव्स तब तक वैध हैं, जब तक कि वे सट्टे के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते (ग़रर या अनिश्चितता भी शरीयत के सिद्धांतों के अनुसार निषिद्ध है) । स्वैप्स, करेंसी-फ्यूचर्स, वारंट आदि वित्तीय डेरिवेटिव-उत्पादों की इस्लामी वित्तपोषण में इजाजत नहीं ।

किंतु जीरो कूपन प्रतिभूतियों और जमा-प्रमाणपत्रों के व्यापार की अनुमति शरीयत के अंतर्गत नहीं है । कारण स्पष्ट है कि उनमें ब्याज का तत्व निहित रहता है । स्टॉक्स न्यास-वित्तपोषण का एक वैध रूप हैं ।

एजेंसी-सेवाओं में सामान्य बैंकिंग-कार्य जैसे चेकों का भुगतान और समाशोधन, विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री, धन-अंतरण, मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा और वित्तीय परामर्श शामिल हैं । ये सेवाएँ प्रदान करने के लिए बैंक एक एजेंट की क्षमता में कार्य करता है । चूँकि ग्राहक इन सेवाओं से लाभ प्राप्त करते हैं और बैंक की भी इन्हें प्रदान करने में कुछ लागत लगती है, अतः शरीयत के अंतर्गत इनके लिए कुछ फीस लेना अनुमत है । पर यह फीस युक्तिसंगत और किए गए प्रयासों तथा लगाई गई लागत के अनुपात में होनी चाहिए । **साख-पत्र** जारी करते समय बैंक गारंटीदाता के रूप में कार्य करता है ।

इस्लामी बैंकिंग की समस्याएँ, मु- और चुनौतियाँ

लाभ और हानि आपस में बाँटकर वित्तपोषण करना इस्लामी बैंकों और ग्राहकों में अभी तक लोकप्रिय नहीं हो पाया है । इस्लामी बैंकों द्वारा अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी साख बनाना अभी बाकी है । लाभ और हानि आपस में बाँटकर वित्तपोषण करना अल्पकालिक वित्तपोषण या लाभेतर क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं । विकसित इस्लामी उत्पादों, संस्थाओं और बाजारों का अभाव है । इस प्रसंग में इसलामी वित्तीय संस्थाएँ अपनी जोखिम, प्रतिलाभ और **चलनिधि** को इष्टतम बनाने में कठिनाइयों का सामना कर रही हैं । इस्लामी बैंकों का नेटवर्क पूरी तरह विकसित होना शेष है । इस्लामी मुद्रा और पूँजी बाजार, जो किसी सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली की पहली जरूरत हैं, अभी विकसित होने हैं ।

इस्लामी बैंकिंग-प्रणाली के समक्ष कुछ **परिचालनगत चुनौतियाँ** भी हैं । सबसे महत्वपूर्ण चुनौती यह है कि इस्लामी बैंकों के **परिसंपत्ति-संविभागों** में लाभ में हिस्सेदारी पर

आधारित पर्याप्त सुदृढ़ घटक नहीं हैं । उनकी अनुपस्थिति के कारण निम्नानुसार हैं :

1) कानूनी और संस्थागत ढाँचे का अभाव, जो उपयुक्त संविदाओं और उन्हें लागू करने के लिए नियामक तंत्र की सुविधा उपलब्ध कराता है ।

2) निवेश की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वित्तीय लिखतों की पर्याप्त शृंखला का अभाव ।

निवेश और आर्थिक विकास पर कोई गंभीर विचार किए बिना परिसंपत्ति-संविभागों का एक बड़ा हिस्सा अल्पकालिक और व्यापार से संबंधित परिसंपत्तियों में केंद्रित है । तथापि ज्यादातर चुनौतियाँ तकनीकी हैं, जैसे शरीयत के अनुरूप पर्याप्त **वित्तीय लिखतों** का अभाव । **चलनिधि-प्रबंधन** के लिए उत्पादों का विकास और चलनिधि-अनुपातों की पूर्ति भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिस पर तत्काल ध्यान दिया जाना आवश्यक है । सरकारी वित्तपोषण के लिए उत्पादों का अभाव एक अन्य मु-ा है । बजट-घाटे को कवर करने और जनोपयोगी सेवाओं के वित्तपोषण या पुनर्वित्तपोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु **मुद्रा-प्रबंधन** और सरकारी वित्तपोषण में इसलामी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की भूमिका को बढ़ाया जाना जरूरी है । शरीयत के मानदंडों के अनुसार वित्तीय लिखतों के विकास के लिए विशेषज्ञता, अनुसंधान और प्रगति का अभाव इस्लामी बैंकों के सामने एक और चुनौती है । संविदाओं की कोई अन्य परिभाषा और व्याख्या नहीं है । ग्राहकों द्वारा की जाने वाली चूक और देरी को हतोत्साहित करने के लिए उपयुक्त तंत्र विकसित किया जाना आवश्यक है । इस्लामी बैंकिंग-प्रणाली की दक्ष एवं सुचारू कार्यप्रणाली के लिए चूक और देरी के समस्त संभव मार्ग बंद करने जरूरी हैं ।

शरीयत के मानदंडों के अनुसार वित्तीय लिखतों के विकास के लिए विशेषज्ञता, अनुसंधान और प्रगति का अभाव इस्लामी बैंकों के सामने एक और चुनौती है । संविदाओं की कोई अन्य परिभाषा और व्याख्या नहीं है ।

पर्याप्त लेखा-मानदण्डों की कमी चिंता का एक अन्य विषय है । बहरीन के एएओआइएफआइ (इसलामी वित्तीय संस्थाओं के लिए लेखांकन और लेखापरीक्षा संगठन) ने इसलामी वित्तीय लेनदेनों और बैंकों के वित्तीय विवरण अधिक तुलनीय और पारदर्शी बनाने के लिए लेखा-मानदंड तैयार करने में कुछ प्रगति की है । इस्लामी वित्तीय उत्पादों और संस्थाओं की विशेषताओं की पूर्ति के लिए उनके अनुरूप एक-जैसे पारदर्शिता-मानदंड विकसित करने आवश्यक हैं । इसका मतलब है इस्लामी बैंकिंग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग-मानदंड और सिद्धांत तथा अच्छी वैश्विक प्रथाएँ अपनाना ।

दीर्घ और अखंड परिचालन के लिए सारे इस्लामी देशों में वित्तीय बाजारों का एकीकरण अपेक्षित है । इस्लामी देशों में वित्तीय बाजारों की मौजूदा प्रणाली की खंडित उपस्थिति को **एकीकृत परिचालन** प्रारंभ करने के लिए भारी परिवर्तन से गुजरना होगा । अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) के तर्ज पर इस्लामी मुद्रा कोष की स्थापना परिचालनों के विस्तार का मार्ग प्रशस्त कर सकती है, जिससे इस्लामी बैंकों के **चलनिधि-तंत्र** में सुधार हो सकेगा । यह कोष इस्लामी वित्त के उन्नयन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता आमंत्रित कर सकता है ।

हाल की गतिविधियाँ

बहरीन मुद्रा एजेंसी ने घोषणा की है कि सिटी इस्लामिक बैंक द्वारा अपने मूल बैंक सिटी बैंक के साथ मिलकर एक 250 मिलियन डॉलर का इस्लामी बांड पेश किया जाने वाला है, जो खाड़ी से बाहर के निवशकों के लिए अपनी तरह की पहली पेशकश होगी । एचएसबीसी ने इसी वर्ष ब्रिटेन में इस्लामी **बीमा-उत्पाद** प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक ढाँचा खड़ा किया है । पश्चिमी वित्तीय संस्थाओं द्वारा की गई इन पहलों को हैरानी से देखा जा रहा है । बहरहाल, उनके इन प्रयासों के पीछे जो प्रेरणा है, वह इस्लामी वित्तीय उत्पादों के 250 बिलियन डॉलर के बाजार की अनुमानित संभावनाओं पर आधारित है । कठिनाई बस शरीयत के अनुरूप वित्तीय उत्पादों के विकास की है, जैसा कि पहले चर्चा की जा चुकी है ।

किंतु कुछ इस्लामी रूढ़िवादी नई गतिविधियों के विरोधी हैं, क्योंकि वे पवित्र धार्मिक प्रथाओं के उल्लंघन के प्रति आशंकित हैं । ऐसी आशंकाओं को दूर करने के लिए नवंबर

2002 में कुआलालंपुर में इस्लामी वित्तीय सेवाओं को **विनियमित करने** हेतु इस्लामी वित्तीय सेवा बोर्ड की स्थापना की गई थी । मुस्लिम निवेशकों की ओर से इस्लामी वित्तीय उत्पादों की बढ़ती माँग को देखते हुए इस्लामी वित्त के प्रवर्तकों के मूल स्थान पर ध्यान न देते हुए इस्लामी बैंकिंग आगे बढ़ने को तत्पर है ।

इस्लामी बैंकिंग को अभी वैश्विक स्वीकृति मिलनी बाकी है, क्योंकि वह अभी विकासशील अवस्था में है । संक्षेप में, अन्य अनेक उपयुक्त वित्तीय लिखत अभिकल्पित करना, शरीयत के अनुरूप **अर्थसुलभ मुद्रा बाज़ार लिखत** विकसित करना, इस्लामी वित्तीय संविदाओं के विशिष्ट जोखिम लक्षणों में अनुरूप विवेकपूर्ण नियम निर्धारित करना, अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य लेखा-मानदंड विकसित करना, एक वैश्विक विनियामक एजेंसी और एक व्यापक आधार वाला उत्पाद-संविभाग स्थापित करना-भावी प्राथमिकताएँ हैं । एक सुदृढ़ इस्लामी वित्तीय प्रणाली दूर का स्वप्न होते हुए भी पहुँच के भीतर है ।

प्रयुक्त शब्दावली

संवृद्धि	Growth
आरक्षित निधियाँ	Reserves
निदेशित ऋणदान	Directed Lending
निधि-प्रदाता	Fund Provider
वित्तदाता साझेदार	Financing Partner
प्रबंधनकर्ता साझेदार	Managing Partner
न्यास-वित्तपोषण	Trust Financing
परिचालन-लागत	Operational Cost
व्यापार-वित्तपोषण	Trade Financing
शब्दबहुल	Verbose
प्रतिसंदर्भ	Cross Reference
तत्थ्यात्मक सूचना प्रणाली	Factual Reporting System
शुल्क-आधारित प्रतिभूति-व्यापार	Fee-based Securities Trading
सट्टा-व्यापार	Speculative Trading
साख-पत्र	Letter of Credit
चलनिधि	Liquidity
परिचालनगत चुनौतियाँ	Operational challenges
परिसंपत्ति-संविभाग	Assets portfolio
वित्तीय लिखत	Financial Instruments
चलनिधि-प्रबंधन	Liquidity management
मुद्रा-प्रबंधन	Currency Management
एकीकृत परिचालन	Integrated operations
चलनिधि-तंत्र	Liquidity mechanism
बीमा-उत्पाद	Insurance products
विनियमित करना	To regulate
अर्थसुलभ मुद्रा बाजार लिखत	Liquid money market instruments

बैंकों की ऋण वसूली

● रविनाथ टण्डन
वरिष्ठ प्रबंधक (प्रशिक्षण)
बैंक ऑफ बड़ौदा प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल

भारतीय बैंकिंग उद्योग परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है । अनेक सुधार लाए जा रहे हैं । **अन्तर्राष्ट्रीय मानकों** को प्राप्त करना एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई है । अभी हम बासल समिति (प्रथम) के मानकों को ही पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर सके हैं जबकि अब बासल समिति (द्वितीय) के वर्ष 2006 से लागू करने की बात सामने आ रही है । इन प्रावधानों के लागू होने के पश्चात भारतीय बैंकिंग उद्योग को पुनः मानक पूंजी पर्याप्तता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा । भारतीय बैंकिंग उद्योग के समक्ष सबसे बड़ी समस्या है उसके कम लाभ, जिसके कारण उनकी पूंजी निर्माण की दर बहुत धीमी है । लाभ कम होने का एक मुख्य कारण बैंकों में गैर निष्पादक ऋणों की भारी मात्रा है । अपने को अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ढालने के लिए बैंकों को अपनी पूंजी को बढ़ाना होगा जिसके लिए उन्हें अपने अनर्जक ऋणों को नियंत्रण में रखना होगा । अतः आने वाले समय में भारतीय बैंकों के लिए अपने गैर निष्पादक ऋणों की वसूली एक प्रमुख मु-ा होने जा रहा है ।

अपने को अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ढालने के लिए बैंकों को अपनी पूंजी को बढ़ाना होगा जिसके लिए उन्हें अपने अनर्जक ऋणों को नियंत्रण में रखना होगा ।

भारतीय बैंकिंग उद्योग में अनेक सुधारों के लागू होने के पश्चात भी बैंकों के गैर निष्पादक ऋणों की समस्या का पूर्ण समाधान नहीं हुआ है । अभी भी हमारे अनर्जक ऋणों की मात्रा कुल ऋणों की लगभग 10 प्रतिशत है जो कि अन्तर्राष्ट्रीय मानकों से बहुत अधिक है । यदि हम अपने बैंकिंग क्षेत्र का स्वस्थ विकास चाहते हैं तो हमें अनर्जक ऋणों की वसूली के प्रति पूरी तरह से सजग रहना होगा । समस्त सुधारों के बाद भी यदि बैंकों के अनर्जक ऋणों की वसूली में अपेक्षित सुधार नहीं होता है तो स्थिति भयावह हो सकती है एवं आर्थिक मंदी का एक हलका सा झोंका पूरी बैंकिंग व्यवस्था के समक्ष गंभीर संकट उत्पन्न कर सकता है । पूर्व में बैंकों के समक्ष अपने ऋणों की वसूली के लिए कोई विशेष उपाय नहीं थे एवं वे अपने **अवरूद्ध एवं समस्यामूलक ऋणों** को सामान्य न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से वसूल करते थे । यह प्रक्रिया बहुत व्ययसाध्य थी एवं इसमें बहुत अधिक समय लगता था ।

आस्ति वर्गीकरण के नये प्रावधानों ने बैंकों के अनर्जक ऋणों की मात्रा को बहुत अधिक बढ़ा दिया एवं प्रावधान सम्बन्धी नवीन नियमों ने बैंकों की लाभप्रदता को विपरीत रूप से प्रभावित किया है जिसने भारतीय बैंकिंग उद्योग के समक्ष एक गम्भीर संकट उत्पन्न कर दिया है । भारत सरकार भी बैंकों की इस स्थिति से अपरिचित नहीं है एवं समय-समय पर बैंकों की ऋण वसूली के लिए उपाय करती रही है । इसी दिशा में उसने वर्ष 1993 में **ऋण वसूली न्यायाधिकरणों** की स्थापना की एवं वर्ष 2002 में भारतीय संसद ने एक नया कानून - 'वित्तीय सम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति लाभ प्रत्यावर्तन कानून - 2002' लागू किया है ।

ऋण वसूली न्यायाधिकरण

नरसिम्हन समिति (प्रथम) की अनुशंसाओं के आधार पर भारत सरकार ने वर्ष 1993 में ऋण वसूली न्यायाधिकरणों की स्थापना की जिनके माध्यम से बैंक 10 लाख रुपये एवं अधिक के ऋणों की वसूली कर सकते हैं । इन न्यायाधिकरणों

को ऋण वसूली के लिए बृहद् अधिकार दिए गए हैं । नियमानुसार, इन न्यायाधिकरणों में मामले का निपटारा अधिकतम 6 माह की अवधि में हो जाता है । साथ ही, न्यायाधिकरण के निर्णयों को लागू करने के लिए अर्थात ऋण की वसूली के लिए वसूली अधिकारी की भी नियुक्ति की गई है । बैंकों ने भी इस प्रक्रिया का भरपूर लाभ उठाने के लिए अपने अनर्जक ऋणों की वसूली के लिए इन न्यायाधिकरणों में दावे दायर किए हैं । दिनांक 31.03.2001 तक इन न्यायाधिकरणों में 19462 वाद दाखिल किए गए जिनमें बैंकों के 103345 करोड़ रुपये की धन राशि फंसी हुई थी जिसके विरूद्ध इन न्यायाधिकरणों ने 2583 करोड़ रुपये अर्थात् लगभग 2.5 प्रतिशत की वसूली की थी ।

वर्ष 2001-02 में यह वसूली 2153 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2002- 03 में 3252 करोड़ रुपये थी जो कि बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के अनर्जक ऋणों की भारी मात्रा को देखते हुए नगण्य कही जा सकती है ।

किसी भी कानूनी प्रक्रिया को प्रारम्भ करने में समय लगता है एवं बैंक जब तक कानूनी प्रक्रिया प्रारम्भ करता है तब तक ऋणी अपने स्टॉक को बेच चुका होता है ।

इस कमजोर वसूली का एक मुख्य कारण बैंकों / वित्तीय संस्थाओं को **भारित प्रतिभूतियों** के **निस्तारण** में आ रही समस्याएं भी हैं । ऋण वसूली न्यायाधिकरणों के निर्माण ने न्याय प्रक्रिया में **समावेशित** दोषों को एक हद तक दूर करने का प्रयास किया है किन्तु अभी भी प्रतिभूति के निस्तारण में आ रही बाधाएं पूरी तरह से दूर नहीं की जा सकी हैं । बैंकों / वित्तीय संस्थाओं को इस प्रक्रिया में मुख्य रूप से निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है :

- **ऋण वसूली न्यायाधिकरणों पर अधिक भार :** बैंकों में अनर्जक ऋणों के अनेक मामले होने के कारण ऋण वसूली न्यायाधिकरणों पर अधिक भार आ गया है । न्यायाधिकरण अधिकांश मामलों में अपने निर्णय तो शीघ्र दे देते हैं किन्तु उन निर्णयों के आधार पर वसूली करने के लिए वसूली अधिकारी कम हैं एवं वे प्रत्येक मामले पर वांछित समय दे सकने में असमर्थ हैं । परिणाम स्वरूप त्वरित निर्णय के बाद भी ऋण की वसूली में वांछित तेजी नहीं आ पा रही है । वसूली अधिकारियों की संख्या में वृद्धि करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है ।

- **सम्पत्ति के मूल्य में गिरावट :** अनेक मामलों में ऋण के अनर्जक हो जाने की स्थिति में ऋणी बैंक को भारित सम्पत्ति की उचित देखभाल नहीं करता है जिसके कारण सम्पत्ति के मूल्य में गिरावट आ जाती है ।

- **ऋणी द्वारा बैंकों को धोखा देने के उ˜ेश्य से सम्पत्ति का गैर कानूनी रूप से हस्तांतरण :** बैंक सामान्यतः ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में प्राप्त सम्पत्ति पर **सम्यक प्रभार** स्थापित करते हैं जिसका विवरण किसी भी भू अभिलेख में दर्ज नहीं किया जाता है । अनेक मामलों में ऋणी द्वारा बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को धोखा देने के उ˜ेश्य से सम्पत्ति का अन्य व्यक्तियों को हस्तांतरण कर दिया जाता है एवं जब बैंक उस सम्पत्ति को बेचना चाहता है तो उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में अन्य दावेदार सामने आ जाते हैं एवं बैंक को विभिन्न कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ।

- **बैंकों की ऋण वसूली से बचने के लिए विभिन्न अदालतों में ऋणी द्वारा स्वयं / अन्य पक्षों द्वारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में वाद दाखिल करना :** बैंक जब स्वयं को प्रभारित सम्पत्ति को बेचना चाहता है तो अनेक मामलों में ऋणी स्वयं अथवा अपने किन्हीं माध्यमों से सम्पत्ति के सम्बन्ध में न्यायालय में वाद प्रस्तुत करके ऋण की वसूली में देरी करवाने का प्रयास करते हैं ।

- **सम्पत्ति का खरीदार नहीं मिलना :** बैंक जब ऋण स्वीकृत करता है तब वह बैंक को प्रतिभूति के रूप में दी जा रही सम्पत्ति की विपणनशीलता पर पूरा ध्यान केन्द्रित नहीं करता है अपितु वह उसके मूल्य पर अधिक ध्यान देता है । निम्न मामलों में बैंक को सम्पत्ति के क्रेता ढूंढने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है :

ऋणी के बहुत असरदार व्यक्ति होने की स्थिति में ।

आवासीय सम्पत्ति का बेहतर इलाके में न होने पर ।

फैक्ट्री आदि को बेचने में उपयुक्त क्रेता का मिल पाना बहुत मुश्किल होता है ।

- **सम्पत्ति का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होना :** जब किसी सम्पत्ति की आपात बिक्री की जाती है तो सम्पत्ति का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता है एवं बाजार मूल्य से कम मूल्य पर बिक्री करने पर ऋणी द्वारा न्यायालय के माध्यम से प्रतिकार प्राप्त करने की संभावना रहती है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि बैंकों के अपने अनर्जक ऋणों की वसूली में त्वरित प्रक्रिया की समस्या के साथ-साथ **प्रभारित सम्पत्ति** के विक्रय की समस्या भी साथ रहती है ।

यदि हम इस समस्या की गहराई में जाएं तो हमें निम्न कारण नजर आते हैं :

1. बैंक ऋण स्वीकृति के पूर्व बैंक को प्रतिभूति के रूप में दी जा रही सम्पत्ति के सम्बन्ध में अपने अधिवक्ता की राय प्राप्त करते हैं । अनेक मामलों में यह राय दोषपूर्ण होती है जिसका पता तब चलता है जब बैंक ऋण की वसूली के लिए कानूनी प्रक्रिया प्रारम्भ करता है ।

2. अनेक बार बैंक के अधिवक्ता सम्पत्ति के स्वामित्व के सम्बन्ध में अपनी सीधी राय न देकर अनेक 'किन्तु-परन्तु' के साथ विवरण देते हैं जिसका तात्पर्य होता है कि सम्पत्ति का स्वामित्व किन्हीं शर्तों के अधीन है एवं आवेदक के पास क्लियर एवं विपणन योग्य स्वाधिकार नहीं है । किन्तु बैंकर अधिवक्ता की राय को क्लियर एवं शर्तरहित समझते हुए कार्यवाही कर देते हैं एवं बाद में समस्याओं का सामना करते हैं ।

3. ऋण स्वीकृति के पूर्व बैंक प्रतिभूति के रूप में प्रस्तावित सम्पत्ति के बाजार मूल्य के सम्बन्ध में **सर्वेक्षक** की रिपोर्ट प्राप्त करते हैं । अनेक मामलों में यह रिपोर्ट गलत निकलती है जिसमें सम्पत्ति का मूल्य उसके वास्तविक मूल्य से बहुत अधिक बताया गया होता है ।

4. **विधिक बंधक** में लगने वाले अधिक व्यय के कारण सामान्यतः बैंक **साम्य बन्धक** स्वीकार करते हैं जिसकी नोटिंग किसी भी भू - अभिलेख में नहीं होती है । इस कारण से ऋणी उस सम्पत्ति का हस्तांतरण करने में सफल हो जाता है ।

5. अनेक प्रकार की प्रतिभूतियों - यथा फैक्ट्री आदि के क्रेता आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं । इस प्रकार की प्रतिभूतियों में विपणनशीलता का अभाव होता है किन्तु ऋण स्वीकृत करते समय बैंकर का ध्यान इस ओर नहीं जाता है ।

किसी भी कानूनी प्रक्रिया को प्रारम्भ करने में समय लगता है एवं बैंक जब तक कानूनी प्रक्रिया प्रारम्भ करता है तब तक ऋणी अपने स्टॉक को बेच चुका होता है ।

6. अचल सम्पत्ति के अतिरिक्त बैंक स्टॉक का **दृष्टिबंधन** भी प्रतिभूति के रूप में रखते हैं किन्तु अधिकांश मामलों में यह प्रतिभूति बैंकर को बिक्री के लिए प्राप्त ही नहीं हो पाती है । चूंकि किसी भी कानूनी प्रक्रिया को प्रारम्भ करने में समय लगता है एवं बैंक जब तक कानूनी प्रक्रिया प्रारम्भ करता है तब तक ऋणी अपने स्टॉक को बेच चुका होता है ।

7. प्रतिभूति के रूप में व्यक्तिगत जमानत को भी एक मुख्य स्थान प्राप्त है किन्तु अधिकांश समय बैंक इसका भरपूर लाभ ले सकने में असमर्थ रहे हैं । जमानतदार की आस्तियों के निस्तारण में भी वही समस्याएं सामने आती हैं जो कि ऋणी की सम्पत्ति को बेचने में आती हैं एवं जिनका विवरण ऊपर दिया गया है ।

इन समस्याओं से बचने के लिए निम्न उपाय प्रयोग में लाए जा सकते हैं :

- बैंक अधिवक्ता की रिपोर्ट के लिए एक मानक प्रारूप का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें किसी भी विपरीत विवरण

के लिए स्पष्ट स्थान हो । यह स्थान सामान्यतः *"कोई विपरीत विवरण नहीं"* से भरा होना चाहिए । यदि इस स्थान पर अधिवक्ता कोई विवरण देता है तो बैंकर को सतर्क हो जाना चाहिए एवं उस सम्बन्ध में निर्दिष्ट कार्यवाही करके अधिवक्ता की रिपोर्ट पुनः प्राप्त कर लेनी चाहिए ।

- यदि बैंक यह पाए कि अधिवक्ता ने गलत रिपोर्ट दी है तो अधिवक्ता पर अविलम्ब कार्यवाही प्रारम्भ कर देनी चाहिए ।
- सम्पत्ति के बाजार मूल्य के सम्बन्ध में प्राप्त की गई रिपोर्ट की पुष्टि बैंकर को अपने स्तर पर भी करनी चाहिए ।
- सम्पत्ति के मूल्य के साथ-साथ बैंकर को उस सम्पत्ति की विपणनशीलता एवं उसके आपात विक्रय पर होने वाले मूल्य की गिरावट पर भी ध्यान देना आवश्यक है ।
- बैंकर्स को किसी उपयुक्त फोरम के माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करना चाहिए कि 'साम्य बंधन' की नोटिंग भी भू अभिलेखों में की जाए ।
- खातों के अनर्जक होने की आरम्भिक अवस्था में ही 'दृष्टि बंधक' स्टाक को 'गिरवी' में बदल दे ।
- ऐसे मामलों में जहां जमानतदार से ऋण वसूली की जा सकती हो वहां जमानतदार के विरूद्ध भी त्वरित कार्यवाही प्रारम्भ कर देनी चाहिए ।

सिक्यूरिटाइजेशन एक्ट

बैंकों के अनर्जक ऋणों की वसूली में ऋण वसूली न्यायाधिकरणों की धीमी प्रगति को देखते हुए भारतीय संसद ने वर्ष 2002 में "वित्तीय सम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति लाभ प्रत्यावर्तन कानून-2002" लागू किया है । इस कानून के माध्यम से बैंकों को निम्न अधिकार दिए गए हैं :

1. बैंक बिना किसी न्यायालय में गए प्रत्याभूतित सम्पत्ति को अधिग्रहीत कर सकते हैं ।
2. वे अधिग्रहीत सम्पत्ति को लीज पर दे कर उसके किराए से ऋण की वसूली कर सकते हैं ।
3. वे अधिग्रहीत सम्पत्ति का विक्रय कर सकते हैं ।
4. वे अधिग्रहीत सम्पत्ति का प्रबंधन अपने हाथ में ले सकते हैं ।
5. वे किसी व्यक्ति को अधिग्रहीत सम्पत्ति का प्रबंधक नियुक्त कर सकते हैं जिसका अधिग्रहण बैंक ने कर लिया है ।
6. वे ऐसे व्यक्ति से, जिसने बैंक को प्रत्याभूतित सम्पत्ति प्राप्त की है एवं जिससे ऋणी को धनराशि प्राप्त होनी है, धन की मांग लिखित रूप में कर सकते हैं ।

यदि हम गौर से देखें तो पाएंगे कि बैंक अभी इन प्रावधानों का भरपूर लाभ उठा सकने में सक्षम नहीं हैं । उनके पास अधिकार तो हैं किन्तु उन अधिकारों को लागू करने की क्षमता नहीं है ।

क्या बैंक इन अधिकारों का लाभ उठा सकने में समर्थ हैं ? यदि नहीं तो वे कौन से कार्य हैं जो बैंकों को करने चाहिए कि वे इन प्रावधानों का भरपूर लाभ उठा सकें ।

यदि हम गौर से देखें तो पाएंगे कि बैंक अभी इन प्रावधानों का भरपूर लाभ उठा सकने में सक्षम नहीं हैं । उनके पास अधिकार तो हैं किन्तु उन अधिकारों को लागू कर सकने की क्षमता नहीं है । इन प्रावधानों को लागू करने के लिए बैंकों को निम्न विशेषताएं प्राप्त करनी होंगी :

- अधिग्रहीत सम्पत्ति का रखरखाव
- अधिग्रहीत व्यापार का व्यावसायिक प्रबंधन
- अधिग्रहीत सम्पत्ति का विक्रय

चूंकि ये कार्य बैंकिंग से सम्बन्धित नहीं हैं अतः बैंक इन क्षेत्रों में अनुभवहीन हैं । यदि वे अपने अधिकारों का प्रयोग करके किसी सम्पत्ति को अधिग्रहीत कर भी लेते हैं तो भी

उस सम्पत्ति के माध्यम से अपना ऋण वसूल कर सकना उनके लिए एक समस्या है ।

जैसा कि हमने ऊपर चर्चा की है बैंकों की ऋण वसूली न्याधिकरणों के माध्यम से ऋण वसूली न हो सकने का एक बड़ा कारण भारित सम्पत्ति के विक्रय में आने वाली समस्याएं हैं । साथ ही यदि वे सम्पत्ति का अधिग्रहण करते हैं तो उनके पास अधिग्रहीत सम्पत्ति के रखरखाव, व्यापार प्रबंधन एवं उसके द्वारा ऋण वसूली का कोई भी अनुभव नहीं है ।

यद्यपि कुछ बैंकों ने आस्ति पुनर्गठन कम्पनियों का गठन किया है किन्तु वे भी इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य नहीं कर रही हैं । अतः इन प्रावधानों का पूरा लाभ उठाने के लिए बैंकों को निम्न उपाय अपनाने चाहिए ः

1. प्रत्येक बैंक सम्पत्ति प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त नहीं कर सकता है । अतः समस्त अथवा कुछ बैंक मिल कर एक विशिष्ट कम्पनी का निर्माण कर सकते हैं जिसका संचालन विशुद्ध व्यावसायिक दृष्टिकोण से किया जाए । इस प्रकार की कम्पनी के निर्माण में निजी क्षेत्र की सहभागिता भी प्राप्त की जा सकती है ।

2. विशिष्ट क्षेत्रों के लिए अलग-अलग कम्पनियों का निर्माण किया जा सकता है जैसे बड़े उद्योग, लघु उद्योग, सरकारी ऋण योजनाएं आदि । विशिष्ट उद्योगों के लिए भी अलग-अलग कम्पनियों का निर्माण किया जा सकता है । विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए भी अलग-अलग कम्पनियों का निर्माण किया जा सकता है ।

3. व्यवसाय की दृष्टि से इस क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं अतःनिजी क्षेत्र भी इस क्षेत्र में आने के लिए उत्सुक होगा । अतः निजी क्षेत्र की सहायता से इस प्रकार की कम्पनियों को संयुक्त उपक्रम के रूप में भी लाया जा सकता है ।

4. संदर्भित नवनिर्मित कम्पनी अपने लिए खुले बाजार से विशेष योग्यता प्राप्त व्यक्तियों की सेवाएं ले सकती है ।

5. यह कम्पनी अपने एवं अन्य बैंकों के लिए कार्य कर सकती है । कम्पनी प्रारम्भ में कमीशन आधार पर एवं बाद में ऋणों के सिक्यूरिटाइजेशन के माध्यम से कार्य कर सकती है ।

6. सम्पत्ति के रखरखाव एवं व्यापार के संचालन के लिए अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सहायता ली जा सकती है जो कि समान उद्योग में कार्यरत हों ।

7. कम्पनी की कार्यशील पूंजी के लिए **प्रवर्तक बैंकों** एवं निजी क्षेत्र के साथ-साथ भारत सरकार को भी आगे आना चाहिए । इस प्रकार की कम्पनी को पुनर्वित्त की सुविधा भी प्राप्त होनी चाहिए ।

8. कम्पनी मात्र प्रत्याभूतित ऋणों को ही क्रय करे एवं व्यवसाय परिचालन द्वारा ऋण-वसूली का प्रयास करे । ऋण की पूरी वसूली हो जाने के बाद सम्पत्ति का प्रबंधन वापस मूल स्वामी को हस्तांतरित कर दिया जाए ।

9. यदि व्यवसाय का परिचालन संभव न हो तो अन्तिम विकल्प के रूप में सम्पत्ति का विक्रय किया जा सकता है ।

10. इस कार्य के लिए कम्पनी किसी भी ऋण खाते को लेने के पूर्व एक विशेषज्ञ समिति के माध्यम से उसके अनर्जक होने के कारणों का विश्लेषण करे एवं तदनुरूप कार्ययोजना तैयार करे । यहां पर यह ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक अनर्जक ऋण खाते की विशिष्ट समस्याएं होती हैं एवं उसके लिए विशिष्ट कार्य योजना का निर्माण करना होगा ।

11. यदि व्यापार में अधिक धन निवेश की आवश्यकता हो तो उसके लिए भी कम्पनी को आवश्यक प्रबन्ध करना होगा ।

12. कम्पनी में विभिन्न विभाग होने चाहिए जो कि विपणन, निर्यात आदि में विशेषता रखते हों ।

इस प्रकार की कम्पनियां बहुउ`शीय होंगी । वे न केवल

बैंक ऋणों की वसूली करेंगी वरन् कमजोर उद्योगों को भी मजबूती प्रदान करेंगी । यदि हम अपने बैंकिंग क्षेत्र का स्वस्थ विकास चाहते हैं तो हमको सबसे बड़े खतरे-अनर्जक ऋणों की वसूली के प्रति पूरी तरह से सजग रहना होगा एवं नीति निर्माण स्तर पर इस दिशा में ठोस कदम अविलम्ब उठाने होंगे ।

प्रयुक्त शब्दावली

अंतर्राष्ट्रीय मानक	International standards	निस्तारण	Settlement
		समावेशित	Consolidated
अवरूद्ध एवं समस्यामूलक ऋण	Bad & Doubful Debts	सम्यक प्रभार	Due charge
		प्रभारित सम्पत्ति	Charged Assets
आस्ति वर्गीकरण	Assets classification	सर्वेक्षक	Surveyor
ऋण वसूली न्यायाधिकरण	Loan recovery tribunal	विधिक बंधक	Legal mortgage
		दृष्टिबंधन	Hypothecation
भारित प्रतिभूति	Charged security	प्रवर्तक बैंक	Promoter Bank

खाद्येतर सकल बैंक ऋण का क्षेत्रवार विनियोजन
(वर्ष के दौरान घटबढ़)

(करोड़ रुपए)

	क्षेत्र	2003-04*		2002-03@	
		समग्र राशि	प्रतिशत	समग्र राशि	प्रतिशत
1.	प्राथमिकता -प्राप्त क्षेत्र	52,225	24.7	28,540	16.3
2.	उद्योग (मझौले और बड़े)	12,042	5.1	28,011	16.3
3.	आवास	15,394	42.1	12,308	55.1
4.	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	2,675	18.9	4,399	45.6
5.	थोक व्यापार	2,289	10.1	1,939	9.5
6.	निर्यात ऋण	8,485	17.2	6,424	14.9

* 3 मई 2002 से विलयन के प्रभाव शामिल हैं ।
@ 3 मई 2002 से विलयन के प्रभाव शामिल नहीं हैं ।
टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं तथा चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से संबद्ध हैं जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋण का लगभग 90 प्रतिशत हैं ।

(साभार : रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, 2003-04)

भारतीय बैंकिंग : भावी चुनौतियां

• डॉ. नरेन्द्र पाल सिंह
वरिष्ठ प्रवक्ता
साहू जैन कालेज
नजीबाबाद (उत्तर प्रदेश)

भारतीय बैंकिंग प्रणाली को पिछले दशक में विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। पूंजी पर्याप्तता अनुपात, जोखिम भारिता निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण के कड़े मानदण्ड, अभिनिर्धारण ऋण निवेश, आस्ति देयता प्रबन्धन जैसे प्रमापों को समय सीमा के अन्तर्गत पूरा करने में भारतीय बैंकिंग ने जो प्रयास किये हैं उनके परिणाम वर्तमान में परिलक्षित होने प्रारम्भ हो गये हैं। भारतीय बैंकिंग ने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, अपनी लाभप्रदता बनाये रखने तथा सामाजिक उत्तरदायित्व को बखूबी निभाया है। आने वाले समय में भी बैंकों को समय के अनुरूप निरन्तर हो रहे परिवर्तनों को अपनाना होगा और ग्राहक सेवा, लाभप्रदता, तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी परिवर्तन, जोखिम प्रबन्धन एवं मानव शक्ति नियोजन का सफल प्रबन्धन करना होगा। प्रतियोगिता के इस परिवेश में भारतीय बैंकिंग उद्योग को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बैंकिंग उद्योग वर्तमान में भी उदारीकरण एवं सार्वभौमिकरण जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है लेकिन भविष्य में भी विकसित देशों की बैंकिंग और वित्तीय प्रणालियों का भी सामना करना पड़ेगा। विश्व की बैंकिंग व्यवस्था को इस प्रतियोगी वातावरण में जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है उनमें काफी समानतायें हैं जैसे प्रबन्ध के क्षेत्र में असफलता, संस्थागत असफलता, सरकारी नीतियों में समय-समय पर बदलाव एवं ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने को न ढाल पाना आदि। प्रतिदिन सेवाओं और उत्पादों के क्षेत्र में नयी-नयी अवधारणायें जन्म ले रही हैं और बैंकिंग में नवोन्मेषी उत्पाद और सेवाओं में भी तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही है, अतः बैंकिंग कारोबार में अनेक अवसर पैदा हो रहे हैं जिनका भरपूर लाभ उठाने के लिये हमारे देश में सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली की आधारभूत आवश्यकता है। पिछले दशक में बैंकिंग का संचालन एवं विकास सरकार द्वारा निर्धारित होता था जबकि धीरे-धीरे इसे नियन्त्रण मुक्त किया जा रहा है, परिणामस्वरूप भारतीय बैंकिंग प्रणाली का स्वरूप दिनोदिन विस्तृत होता जा रहा है। विभिन्न बैंकों में आशातीत शाखा विस्तार एवं जमा संग्रहण में भी वृद्धि हुई है तथा कमजोर वर्गों को ऋण सुविधायें भी मुहैया करायी गयी हैं। बैंकों का कार्य क्षेत्र अब बड़े शहरों के अलावा छोटे शहरों, ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में भी बढ़ रहा है। आर्थिक जगत में हो रहे परिवर्तन विश्वव्यापीकरण और उदारीकरण को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा और अधिक होगी और बैंकों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने हेतु समामेलन, अधिग्रहण, एकीकरण एवं पुनर्गठन का रास्ता भी अपनाना होगा। भविष्य में भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में परिवर्तन एवं चुनौतियां इस प्रकार होंगी -

बैंकिंग उद्योग वर्तमान में भी उदारीकरण एवं सार्वभौमिकरण जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है लेकिन भविष्य में भी विकसित देशों की बैंकिंग और वित्तीय प्रणालियों का भी सामना करना पड़ेगा।

प्रतिस्पर्धात्मक स्वरूप

बैंकों में उदारीकरण एवं निजीकरण के चलते सभी सेवाओं में प्रतियोगिता बढ़ी है। वित्तीय सुधारों के अन्तर्गत बैंकों को ब्याज दरों के निर्धारण में दी गयी छूट से उत्पाद मूल्यों के निर्धारण में कड़ी प्रतिस्पर्धा होने की सम्भावना बढ़ जायेगी और अन्य सेवाओं को भी बैंकों को मुक्त करना होगा। बैंकों

द्वारा लागू की गई योजनाओं में मूल्य एवं लागतों पर विशेष ध्यान रखना होगा और बहुआयामी मूल्य नीति बनानी होगी। ग्राहकों के समक्ष प्रस्तुत उत्पादों में विभिन्न बैंकों के बीच तथा एक ही बैंक के विभिन्न उत्पादों के बीच स्पर्धायें होंगी। ग्राहकों को बहुप्रयोजनीय तथा बहुउ्देशीय एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराना बैंकों की मजबूरी हो जायेगी। बैंकों को बाजार के विभिन्न क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति एवं अधिकाधिक बाजार हिस्से पर अपनी पकड़ तेज करनी होगी, बाजार का वर्गीकरण करना होगा और उस पर आधारित स्पर्धा जैसे व्यापार वित्त, लघु उद्योग वित्त, उपभोक्ता वित्त, वस्तु वित्त, बड़े उद्योग वित्त, रिटेल बैंकिंग, अप्रवासी भारतीय बैंकिंग सेवायें आदि क्षेत्रों में अपने प्रयास तेज करने होंगे। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के साथ-साथ सांख्यिकी का एकत्रण एवं सुरक्षा तथा जोखिमों का भी प्रबन्धन करना होगा। बैंकों को अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिये अपनी लागत पर भी नियन्त्रण करना होगा क्योंकि यदि बैंक लापरवाही के साथ उत्पादों का विविधीकरण करेंगे तो निश्चित रूप से लागत बढ़ जायेगी। बैंकों को गैर मूल्य प्रतिस्पर्धा पर अधिक ध्यान देना होगा तथा वर्तमान में सभी संसाधनों का पूर्ण क्षमता के साथ उपयोग सुनिश्चित करना होगा अन्यथा बैंकों की लाभदायकता पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता चला जायेगा। बैंकों द्वारा प्रयोग किये गये मानव संसाधन को भी पूर्ण रूप से विकसित करना होगा। भर्ती के समय तथा समय-समय पर अपने कर्मचारियों एवं अधिकारियों को प्रशिक्षित करना होगा तथा बैंकिंग सम्बन्धी नवीनतम जानकारी उपलब्ध करानी होगी ताकि बैंकिंग क्षेत्र में होने वाली आन्तरिक एवं बाह्य प्रतियोगिता का सामना किया जा सके। भविष्य में बैंकों के सामने उदारीकरण के चलते जमाकर्ता एवं उधार प्राप्तकर्ताओं में बैंकों के साथ सौदेबाजी अधिक होगी तथा बैंकों को अनर्जक आस्तियों में वृद्धि को भी ध्यान में रखना होगा क्योंकि प्रतिस्पर्धा के चलते ऋणों का वितरण बैंकों द्वारा अधिक मात्रा में होगा। ऋणों की वसूली के सन्दर्भ में लागतों में वृद्धि होकर लाभों की प्रतिस्पर्धा भी बढ़ सकती है। बैंकों में आपसी होड़ में करों की चोरी, लाभों के विभिन्न प्रयोग, धोखाधड़ी, गलत लेखांकन प्रणाली तथा अनधिकृत हथकंडे भी बैंकों द्वारा लागू करने की सम्भावनायें बढ़ सकती हैं। इस हेतु भी बैंकों को अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी।

बैंकों में कार्यनीति

इस दशक के अन्त तक वैश्वीकरण के चलते ग्राहकों द्वारा अपेक्षित न्यूनतम लागत की अवधारणा अर्थव्यवस्था में लागू होगी अर्थात ग्राहकों को कम मूल्य पर उत्पाद और सेवायें उपलब्ध होंगी। बचतकर्ता एवं उद्योगपतियों के बीच बैंकों की मध्यस्थता अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी होगी। प्रतिस्पर्धा के चलते बैंकों को लाभ कमाने के लिये सरकारी संरक्षण प्राप्त नहीं होगा और न ही वे अपने ग्राहकों को एकाधिकार प्रवृत्ति के दबाव में ला सकेंगे तथा अपनी पूर्ण क्षमता एवं कुशलता के साथ ही लाभ कमाना होगा। कृषि एवं व्यापार के क्षेत्र में लागू हो रहे नये-नये अनुसंधानों एवं तकनीक से इनमें वृद्धि होगी जिसका प्रभाव भारतीय बैंकिंग पर पड़ना निश्चित होगा। अतः बैंकों को भी अपना व्यवसाय कृषि, व्यापार एवं अन्य क्षेत्रों के अनुकूल बनाना होगा तथा अपनी पूंजी, कार्य कुशलता, विशेषज्ञता एवं मानव संसाधन का पूरी दक्षता के साथ प्रयोग करना होगा। बैंकों को अपनी आन्तरिक एवं बाह्य नीति निर्धारण की प्रक्रिया को स्पष्ट, लचीली, मितव्ययी एवं पारदर्शी बनाना होगा।

भविष्य में बैंकों को अपने संगठनात्मक रूप में परिवर्तन करने होंगे। पूरे देश में राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के पांच या छः भारतीय बैंक रह जायेंगे अर्थात बैंकों में एकीकरण, संविलयन एवं पुनर्निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी और उच्चार्जन क्षमता तथा उच्च स्तर के बैंक ही शेष रहेंगे, बाकि बैंकों का विलय हो जायेगा। छोटे स्तर पर स्व-क्षमता संचालित बैंक रहेंगे, इसके बाद तीसरी सीढ़ी पर सहकारी क्षेत्र बैंक तथा ग्रामीण बैंक कार्य करेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में यही बैंक जनता से सीधा सम्पर्क रखेंगे। सरकारी हस्तक्षेप में कमी आयेगी क्योंकि बैंकों को वैश्वीकरण की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करना होगा अतः बैंकों में संगठनात्मक परिवर्तन होने लगभग तय हैं। इस दशक के अन्त तक बैंकों को अपनी मानवीय संसाधनों का मूल्यांकन करने के लिये विवश होना पड़ेगा और यह मूल्यांकन विशेषज्ञता तथा कार्य के आधार पर किया जायेगा।

ग्राहक सेवा

आने वाले समय में ग्राहक सेवा का कार्य चुनौती भरा होगा और बैंकों के लिये यह आवश्यक हो जायेगा कि वह ग्राहकों के प्रति अपने अधिकारियों और कर्मचारियों में सकारात्मक सोच विकसित करें । बैंक को पुनर्गठन के दौरान मजबूत विपणन व्यवस्था और ग्राहक सेवा पर ही सारा ध्यान केन्द्रित करना होगा । ग्राहकों की अनेक रुचियां, अपेक्षाओं, इच्छाओं और समस्याओं के कारण बैंक विपणन में ग्राहक सेवा का स्थान सर्वोपरि हो जायेगा । बैंकों को अपना मूल्यांकन करते समय ग्राहकों को ही अपना आधार मानना होगा अर्थात वे ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करके ही अपने लाभ में वृद्धि कर सकेंगे । ग्राहकों के सम्मुख विश्व बाजार की स्थिति की जानकारी के लिये सेमिनार, अध्ययन यात्राएं, गोष्ठियां, विशिष्ट पखवाड़े आदि आयोजित करने होंगे । सम्पर्क बैंकिंग द्वारा बैंकों को अपने ग्राहक ढूंढने होंगे तथा ग्राहकों को होम बैंकिंग, टेली व कम्प्यूटर बैंकिंग, चल बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जैसी सेवायें प्रस्तुत करनी होंगी । बैंकों को ग्राहकों की सोच का पता लगाकर ही अपने उत्पाद तथा विपणन संरचना बनानी होगी । बैंक को जिन ग्राहकों से लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है उनके लिये बढ़ते खर्च को वसूलने के लिये अलग प्रणाली विकसित करनी होगी तथा इनके लिये कम लागत वाली बैंकिंग योजनाओं को विकसित करना होगा । बैंकों में खुदरा ग्राहकों को लाने एवं उन्हें बनाये रखने में बैंक परिसर में सजावट, वातानुकूलित कमरे, बैठने की उचित व्यवस्था तथा ग्राहकों को अलग कमरे में बैठाकर चर्चा करना, ऋणियों पर बराबरी का ध्यान केन्द्रित करना, असन्तुष्ट ग्राहकों का पता लगाकर उनका कारण जानना आदि बातों पर भविष्य में ध्यान केन्द्रित करना होगा ।

मानव संसाधन विकास और सूचना प्रौद्योगिकी

आने वाले वर्षों में मानव संसाधन विकास के महत्व में और अधिक वृद्धि हो जायेगी क्योंकि कार्य का मुख्य आधार नयी तकनीक होगी तथा बैंकिंग का स्थायी रूप नवोन्मेषी और सर्जनात्मक होगा । मशीनीकरण, कम्प्यूटरीकरण, सूचना एवं प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक साधनों ने बैंकिंग क्षेत्र में काफी प्रगति की है किन्तु बैंक कर्मचारियों को केवल ग्राहक सेवा देने एवं मशीनों को चलाने के कार्य तक ही सीमित नहीं रहना है बल्कि उनको अपनी छवि एक सृजनशील बैंकर के रूप में प्रस्तुत कर बैंकों में अनुकूल वातावरण तैयार करना है जो आज बैंकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है । बैंकों को अपने संसाधनों में वृद्धि कर मानव संसाधन के विकास के लिये शिक्षण, प्रशिक्षण, कार्य कुशलता, प्रबन्धकीय विकास एवं तकनीकी विकास करना होगा । बैंकों में दिन प्रतिदिन हो रहे बदलाव हेतु मानव संसाधन को समय-समय पर प्रशिक्षित कर पर्याप्त जानकारी देनी होगी । बैंकों में भर्ती, चयन, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि की प्रक्रिया में भी गुणात्मक व नवोन्मेषी बदलाव लाने होंगे ।

बैंकों में दिन प्रतिदिन हो रहे बदलाव हेतु मानव संसाधन को समय-समय पर प्रशिक्षित कर पर्याप्त जानकारी देनी होगी । बैंकों में भर्ती, चयन, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि की प्रक्रिया में भी गुणात्मक व नवोन्मेषी बदलाव लाने होंगे ।

सुयोग्य, प्रशिक्षित एवं अनुभवी कर्मचारियों की ही भर्ती की जा सकेगी तथा कार्यरत कर्मचारियों के पलायन को भी रोकना होगा । भविष्य में बैंक कर्मचारियों की सीमान्त उत्पादकता को ध्यान में रखकर अकुशल व बैंकों के प्रमापों को पूरा न करने वाले कर्मचारियों के संबंध में कोई सुयोग्य नीति बनानी होगी । दैनिक बैंकिंग जीवन का आधार, मानव संसाधन विकास, आपसी विश्वास, ईमानदारी, कार्य के प्रति समर्पण, सहयोग की भावना तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करना है जिस हेतु सभी कर्मचारियों को बैंक के प्रति अपनी पूरी निष्ठा, प्रतिबद्धता तथा नैतिकता की भावना को विकसित करना होगा । कम्प्यूटर के प्रयोग के साथ-साथ संप्रेषण पद्धति के उपयोग में आने से भविष्य में सूचना प्रौद्योगिकी का और अधिक विकास होगा । सूचना तकनीक से जुड़ी सेवाओं में एटीएम, इलेक्ट्रॉनिक कैश, होम बैंकिंग तथा वेबसाइट बैंकिंग आदि प्रमुख होंगे । बैंकों में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग सूचना को कम लागत पर उपलब्ध करायेगा, उत्पादकता तथा परिचालन क्षमता में वृद्धि करेगा, लागतों को घटायेगा,

लाभप्रदता को बढ़ायेगा तथा ग्राहक सेवा को और बेहतर करने में बैंकों में सहायक सिद्ध होगा।

नवोन्मेषी बैंकिंग एवं लक्ष्य

बैंकों द्वारा यह महसूस किया जाने लगा है कि केवल बड़े ग्राहकों पर ध्यान देकर ही अपने लाभ को अधिकतम नहीं किया जा सकता है। उदारीकरण, निजीकरण एवं भूमण्डलीकरण के बाद पूंजी बाजार में हुए परिवर्तनों के कारण बैंकों को भविष्य में अपने उत्पादों, योजनाओं एवं नीतियों पर पुनर्विचार कर उन्हें बाजारोन्मुख एवं ग्राहकोपयोगी बनाना होगा। परम्परागत ऋण और जमा योजनाओं के स्वरूप में भी परिवर्तन करना होगा। आने वाले समय में बैंकों में नयी-नयी योजनायें विचार धारायें, प्रभावपूर्ण विधियां, नयी संकल्पनायें भी लागू हो जायेंगी जिनको लागू करना आज हम काफी कठिन मान रहे हैं। बैंकों द्वारा रिटेल बैंकिंग ऋणों की नवोन्मेष एवं आकर्षक योजनायें प्रस्तुत करनी होंगी और इनके प्रति ग्राहक भी काफी मात्रा में आकृष्ट होंगे। नवोन्मेषी बैंकिंग के अन्तर्गत क्रेडिट कार्ड, कैश कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, चार्ज कार्ड, स्वर्ण कार्ड आदि कार्ड बैंकिंग संचालन का आधार होंगे। इन कार्डों में दुरूपयोग, कपट व चोरी की सम्भावनायें भी बढ़ जायेंगी। अतः ऐसी तकनीक विकसित करनी होगी जिससे इस तरह की घटनायें रोकी जा सकें। बैंकों को पारदर्शिता के मापदण्ड भी अक्षरशः लागू करने होंगे जिससे ग्राहक बैंकों के बारे में पूरी जानकारी रख सकें एवं बैंकों के प्रति अपना विश्वास बनाये रख सकें। भविष्य में पत्राचार बैंकिंग भी अपने पैर पसार सकती है। बैंक विदेशी विनिमय, ट्रेजरी बिल, सरकारी प्रतिभूतियों, खातों की जानकारी, हर समय मुद्रा का व्यवहार, इन सभी को कम्प्यूटर द्वारा संचालित करने में सफल होंगे और इन पर चौकसी भी कम्प्यूटर द्वारा रखी जा सकेगी। समय प्रबन्ध के प्रति भी बैंक अधिक जागरुक होंगे और समय बचाने का पूर्ण रूप से विश्लेषण कर इसको महत्वपूर्ण ढंग से लागू कर सकेंगे।

आनेवाले समय में बैंकिंग व्यवस्था को अपने लक्ष्य एवं चुनौतियां स्वयं निर्धारित करनी होंगी। बैंकों के लक्ष्यों एवं चुनौतियों का सामना करने के लिये कर्मचारियों को सामूहिक रूप से प्रयास भी करने होंगे। कर्मचारियों, उपभोक्ताओं, निवेशकों आदि सभी को राष्ट्रहित एवं बैंक के हित में सोचना होगा क्योंकि बैंक का लक्ष्य एवं इनका लक्ष्य एक ही दिशा में होना चाहिये। बैंकिंग व्यवस्था के लिये भी यह अनिवार्य होगा कि वह अपना लक्ष्य राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप ही निर्धारित करे। आय निर्धारण, प्रावधानीकरण, पूंजी पर्याप्तता और जोखिम प्रबन्धन आदि से सम्बन्धित प्रमापों को मुश्किल बनाने के सम्बन्ध में बैंकों के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों का कुशलतापूर्वक सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जायेगा। अपनी लागतों में कमी करनी होगी, इस हेतु प्रौद्योगिकी में आविष्कारों को लागू करना अनिवार्य हो जायेगा। भविष्य में आनेवाली जोखिमों का सामना भी करना होगा जैसे बाजार जोखिम, विनिमय जोखिम, विनियमन जोखिम, चूककर्ता जोखिम, तरलता जोखिम, लेन-देन जोखिम आदि। इन जोखिमों हेतु जोखिम प्रबन्धन का गहन ज्ञान आवश्यक हो जायेगा।

आनेवाले समय में बहुविध बैंकिंग तथा बहुशाखा बैंकिंग की सुविधा प्रदान करने वाले बैंक ही प्रतियोगिता में टिक पायेंगे। शाखाओं को सूचना एवं प्रौद्योगिकी तथा इन्टरनेट से जोड़कर कागज रहित बैंकिंग का बोलबाला रहेगा। सूचनाओं के आदान-प्रदान में फैक्स, इन्टरनेट, ई-मेल आदि का प्रयोग और बढ़ जायेगा। बैंक अपनी लागतों को घटाकर और ग्राहकों को अधिकाधिक सुविधायें एवं सेवायें प्रदान करने पर जोर देंगे और बैंकिंग विशेषज्ञों की सेवाओं का सहारा भी लिया जायेगा। ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवायें भी ग्राहकों में वृद्धि का आधार होंगी और ग्राहकों की अपेक्षायें पूरी करने के लिये बैंकों के सामने पुनर्गठन का विकल्प भी होगा। वित्तीय सुधारों के दूसरे चरण के लागू होने से भविष्य में बैंकों का परिदृश्य बिल्कुल बदल चुका होगा। तकनीकी तथा मानवीय कौशल में समन्वय बनाये रखना प्रबन्धन का लक्ष्य होगा। बैंकों को अपने लाभ को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय हितों को भी सर्वोपरि रखना होगा तभी ये अपने अस्तित्व को बचाने में सफल हो सकेंगे।

चीनी मुद्रा की प्लवमान पद्धति – भारत पर प्रभाव

• प्रल्हाद सबनानी
भारतीय स्टेट बैंक
इंदौर

हाल में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार, चीन शीघ्र ही प्लवमान मुद्रा पद्धति (फ्लोटिंग करेंसी सिस्टम) की ओर अग्रसर हो रहा है । प्लवमान मुद्रा पद्धति के अंतर्गत चीन की मुद्रा-युआन-को कुछ चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के बाजार मूल्य के साथ जोड़ा जायेगा । इन विदेशी मुद्राओं में शामिल हो सकते हैं - अमरीकी डॉलर, जापानी येन, यूरो, साऊथ कोरियन वोन, सिंगापुर डॉलर एवं कुछ अन्य विदेशी मुद्राएं ।

वर्ष 1996 से चीन की मुद्रा युआन का मूल्य अमरीकी डॉलर के साथ, प्रति डॉलर = युआन 8.276 से 8.280 के बीच स्थिर रहा है । अब वित्तीय बाज़ार में यह अभिमत है कि युआन का पुनर्मूल्यन होकर अमरीकी डॉलर का अवमूल्यन हो सकता है ।

प्लवमान मुद्रा पद्धति के साथ ही चीन पूंजी खाता परिवर्तनीयता की ओर भी धीरे-धीरे अग्रसर होने की योजना बना रहा है । हालांकि चीनी युआन पहले से ही व्यापार संबंधी सौदों के लिए विदेशी मुद्रा के साथ परिवर्तनीय है परंतु पूंजी संबंधी सौदों के लिए यह अभी भी अपरिवर्तनीय है ।

उक्त योजना के अंतर्गत सबसे पहले चीन की कंपनियों को विदेश में सीधे निवेश संबंधी नियंत्रणों को प्रगामी रूप से हटाया जाएगा । इससे चीन में डॉलर एवं अन्य विदेशी मुद्राओं की मांग बढ़ेगी तथा सरकार की बाहरी निवेश के प्रोत्साहन संबंधी नीति को बढ़ावा मिलेगा । वर्तमान में चीन के पास 44,000 करोड़ अमरीकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है ।

उक्त योजना की दूसरी मद के तौर पर, चीनी व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा देश के बाहर ले जाने संबंधी निर्धारित सीमा में छूट दी जा सकती है । यह एक और प्रयास होगा जिससे डॉलर की मांग बढ़ सकती है । इस उपाय से चीनियों को, जो विदेश में जाकर बस गये हैं, चीन से अपनी आस्तियों के हस्तांतरण की छूट दी जा सकती है। तीसरी मद के रूप में, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को चीन से अपनी निधि हस्तांतरण की सुविधा, बगैर किसी प्रतिबंध के, दी जा सकती है । चौथे, कुछ चुनी हुई चीनी वित्तीय संस्थाओं को विदेशी पूंजी बाज़ार में निवेश करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है । पांचवें, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को चीनी वित्तीय बाज़ार में बांड आदि जारी करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है । इस संबंध में, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निकाय, जापानी विकास बैंक आदि से चीन ने सैद्धांतिक समझौता कर लिया है ।

प्लवमान मुद्रा पद्धति

चीनी अर्थव्यवस्था में वर्ष 2004 की प्रथम तिमाही में विकास दर 9.7 प्रतिशत की रही है । यह, वर्ष 2003 की अंतिम तिमाही की विकास दर 9.9 प्रतिशत से कुछ ही कम है। साथ ही, यह विकास दर मुद्रा स्फीति के साथ हुई है । वर्ष 2004 की प्रथम तिमाही में मुद्रा स्फीति की दर 3 प्रतिशत रही जो कि पिछले वर्ष इस अवधि में मात्र 0.3 प्रतिशत थी । इस्पात की कीमत में 30 प्रतिशत, एल्यूमिनियम एवं कोयले की कीमत में 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । आवधिक आस्तियों में करिश्माई 43 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । स्पष्टतः चीनी अर्थव्यवस्था में बहुत तेज गति से वृद्धि हो रही है ।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उच्च स्तर, जो चीन में ऐतिहासिक रूप से एक सकारात्मक बिंदु माना जाता रहा है, अब एक मुख्य नीति संबंधी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है । विदेशी मुद्रा की आवक देश में लगातार बढ़ रही है, जिसे युआन में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा

आपूर्ति बढ़ रही है और बैंकों के ऋण देने योग्य क्षमता में वृद्धि हो रही है। इस परिस्थिति में, पारंपरिक रूप से, ब्याज दरों को बढ़ाकर अथवा मुद्रा का अधिमूल्यन करके बहुत तेज़ी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण पाया जा सकता है। बढ़ी हुई ब्याज दरों से कंपनियों एवं उपभोक्ताओं को अपने ऋणों की किस्तें चुकाने में अधिक ब्याज देना पड़ता है जिससे उनकी शुद्ध आय में कमी होती है और अंततः उन्हें निवेश करने एवं उपयोग करने हेतु कम राशि बचती है।

चीन ने वर्ष 1995 से ब्याज दरों में परिवर्तन नहीं किया है। कई अर्थशास्त्रियों के अनुसार, ब्याज दर में अचानक वृद्धि से अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों, जिनमें विकास दर कम है जैसे - कृषि एवं प्रौद्योगिकी आदि - पर विपरीत प्रभाव हो सकता है। अतः चीन में ब्याज दरों में फिलहाल वृद्धि की संभावना नहीं है।

अब दूसरा विकल्प - मुद्रा का अधिमूल्यन - ही चीन के रणनीतिकारों के पास बचता है। मुद्रा के अधिमूल्यन से अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में निर्यात प्रतिस्पर्धी नहीं रह पाते एवं इनमें कमी आती है। इस समय चीन में विदेशी मुद्रा भंडार 44,000 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक है एवं मार्च 2003 के बाद से मुद्रा आपूर्ति की दर 19 प्रतिशत से अधिक बनी हुई है। अतः इन कारणों से ही चीन ने प्लवमान मुद्रा पद्धति की ओर कदम बढ़ाने का सोचा है।

भारतीय एवं अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

अमेरिका का चीन के साथ व्यापार घाटा अमेरिकी डॉलर 12400 करोड़ का है। अमेरिका इसके लिए युआन के अवमूल्यन को मुख्य कारण मानता है। साथ ही, लगभग 24 लाख अमेरिकी रोज़गार के अवसर चीन में हस्तांतरित हुए हैं, ऐसा अमेरिका का मानना है। इसी कारण से अमेरिका भी लगातार चीन पर दबाव बना रहा था कि युआन को बाज़ार आधारित मूल्य प्रदान किया जाये।

युआन के मूल्य में बाज़ार आधारित परिवर्तन न होने के कारण चीन द्वारा उत्पादित वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कीमत अप्राकृतिक रूप से कम हो जाती है। यदि युआन के मूल्य में बाज़ार आधारित परिवर्तन किये जाते हैं एवं इसका अधिमूल्यन किया जाता है तो चीन में उत्पादित वस्तुएं कुछ हद तक अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में महंगी हो जाएंगी जिसका परिणाम अमेरिका के चीन के साथ व्यापार घाटे में कमी के रूप में देखने को मिल सकता है।

भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कुछ लाभ हो सकता है। क्योंकि जहां कहीं चीन के निर्यात में कमी आती है, वहां भारतीय कंपनियां प्रयास कर अपना निर्यात बढ़ा सकती है। इस हेतु भारतीय कंपनियों को न केवल चौकन्ना रहना चाहिए बल्कि अपने उत्पाद की गुणवत्ता सुधारकर उसकी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कीमत भी घटानी चाहिए ताकि इनके उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में प्रतिस्पर्धी हो सकें। हालांकि काफी कुछ युआन के अधिमूल्यन पर निर्भर करेगा। युआन का अधिमूल्यन जितना अधिक होगा भारतीय कंपनियों को लाभ भी उतना ही अधिक हो सकता है।

दूसरी ओर, युआन के अधिमूल्यन के कारण भारतीय स्टील, कृषि उत्पाद, कृषि रसायन, संसाधित खनिज आदि की कीमतें चीन के बाज़ार में प्रतिस्पर्धी हो सकती हैं। अतः इन उत्पादों के भारत से चीन की निर्यात बढ़ सकते हैं। इसके विपरीत चीन से आयात की जा रही वस्तुओं की कीमत भारतीय बाज़ार में बढ़ सकती है। अतः चीन से भारत में वस्तुओं का आयात कम हो सकता है। इस प्रकार, व्यापार शेष, जो इस वक्त चीन के पक्ष में है, में कमी आ सकती है। वर्ष 2002-03 में व्यापार शेष अमेरिकी डॉलर 82.35 करोड़ से चीन के पक्ष में था।

चूंकि चीनी कंपनियों को विदेशों में निवेश की अनुमति प्रदान की जा रही है। इसके कारण भारत में चीन की कंपनियों का पूंजी निवेश भी बढ़ सकता है।

कुल मिलकर युआन के अधिमूल्यन एवं चीन के प्लवमान मुद्रा पद्धति की ओर अग्रसर होने का भारत की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(स्रोत - दिनांक 23.04.04 एवं 24.04.04 को बिजनेस स्टैंडर्ड एवं फाइनांशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचार एवं लेख।)

इधर उधर से

संकलन - सावित्री सिंह

- **अल अज्र (Al-Ajr) -** अर्थात् सेवाओं के लिए वसूल किया जानेवाला कमीशन या शुल्क । हिंदी में इसे सेवा प्रभार कहते हैं ।
- **अल वादिया (Al Wadia) -**

  मूल लागत में बट्टा जोड़कर की गई माल की पुनः बिक्री ।
- **बैय मुअज्जल (Bai Muajjal)**

  आस्थगित भुगतान संविदा
- **बैय अल सलाम (Bai Al Salam)**

  किसी भी माल के संबंध में प्राप्त किया गया अग्रिम भुगतान ।
- **ग़रर (Gharar)**

  जो माल हाथ में या स्टॉक में उपलब्ध नहीं है उसकी बिक्री करना अर्थात् जिसके परिणामों का पता नहीं हो । दूसरे शब्दों में कहें तो जोखिमभरा बिक्री कार्य । जुआ भी एक प्रकार का ग़रर ही है । अनिश्चिततापूर्ण कार्य।
- **इजरा (Ijara)**

  पट्टेदारी की प्रक्रिया अर्थात् प्रभार लगाकर किसी भी प्रकार की आस्ति को एक निर्धारित अवधि के लिए पट्टे पर देना । इस प्रकार की पट्टेदारी वित्तपोषण के संदर्भ में भी हो सकती है ।
- **मुशरका (Mushraka)**

  सरल भाषा में इसे संयुक्त वित्तपोषण कहते है जिसमें एक या एक से अधिक वित्तपोषक किसी एक परियोजना के लिए वित्तपोषण प्रदान करते हैं अर्थात वेंचर कॅपिटल ।
- **क़र्द हसन (Quard Hasan)**

  इस्लामिक बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को दिया जानेवाला ब्याजमुक्त ऋण ।
- **रूक़्का (Ruq'a)**

  इस्लामिक बैंकिंग की प्रारंभिक अवस्था में भुगतान आदेश जैसे बैंकिंग लिखत के लिए रूक्का शब्द इस्तेमाल होता रहा है ।

स्वीकृत अधिकतम ऋण सीमा समर्थन
(Back up line of Credit)

वाणिज्यिक पत्र के निवेशक को चूक से बचाने के लिए वाणिज्यिक पत्र के जारीकर्ता द्वारा समान राशि के लिए बैंक से लिया गया आश्वासन उक्त वाणिज्यिक पत्र जारी करनेवाले को बैंक को प्रतिबद्धता शुल्क अदा करना होता है ।

बैरन सिद्धान्त सूचकांक
(Barron's confidence index)

उच्च ग्रेड के 10 बांडों से होनेवाली औसत आय और मध्यम ग्रेड के 10 बांडों से होनेवाली औसत आय के अनुपात का मापक सूचकांक । उच्च ग्रेडवाले बांडों और निम्न ग्रेडवाले बांडों की असमानता निवेशक के आत्मविश्वास की परिचायक है ।

मुद्रा समूह विकल्प (Basket-option)

एक ऐसा पैकेज जो आधार मुद्रा की समाप्ति पर दो से अधिक मुद्राओं का विकल्प देता है । समूह मुद्रा विकल्प का खरीदार प्रचलित विदेशी मुद्रा बाजार दर पर अथवा पहले से तय की गई विनिमय दर पर आधार मुद्रा के बदले में नामित

मुद्राओं को प्राप्त करने के अधिकार को खरीद लेता है न कि उसके दायित्व को । बहुमुद्रा नकदी आवकवाले बहुराष्ट्रीय कारपोरेशन अक्सर मुद्रा समूह विकल्प का प्रयोग करते हैं । क्योंकि समूह में शामिल प्रत्येक मुद्रा के लिए अलग-अलग विकल्प खरीदने की तुलना में सस्ता होता है ।

नकदी-दर-नकदी प्रतिफल (Cash-on-Cash return)

सक्रिय गौण बाजार के न होने की स्थिति में निवेश पर प्रतिफल की गणना करने की एक पद्धति । वार्षिक नकदी आय को कुल निवेश से विभाजित करके आय का निर्धारण किया जाता है ।

उत्प्रेरक ईक्विटी (Carrot Equity)

ईक्विटी निवेश के लिए प्रयोग की जानेवाली एक ब्रिटिश उक्ति जो यह दर्शाती है कि जब कोई कंपनी कुछ वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर लेती है तो निवेशकों को और अधिक ईक्विटी खरीदने का अवसर मिल सकता है । यह कुछ-कुछ बोनस शेयरों के समान ही होता है ।

विलोम विनिमय (Circus Swap)

चल यूएस डॉलर लिबोर भुगतानों के लिए एक स्थिर दर करेंसी विनिमय ।

अन्तरबैंक भुगतान प्रणाली समाशोधन गृह (CHIPS) Clearing House Interbank Payments System

प्रमुख बैंकों के एक समूह द्वारा उच्च मूल्यवर्ग के भुगतानों के लिए अपनाई जानेवाली एक अन्तर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक अन्तरण प्रणाली ।

सघन बाजार (Close market)

एक ऐसा सक्रिय बाजार जिसमें बहुत अधिक प्रतियोगियों के होने और व्यापार की अधिक मात्रा के कारण बोली और प्रस्तावित मूल्य के बीच बहुत ही कम अंतर होता है ।

प्रत्याशित ग्राहक संपर्क (Cold Calling)

स्टॉकों, बांडों और अन्य वित्तीय उत्पादों की बिक्री और कमीशन अर्जन की प्रत्याशा में संभावित नए ग्राहकों से संपर्क ।

आश्वासन पत्र (Comfort Letter)

प्रतिभूति हामीदारी करार में एक स्वतंत्र लेखाकार द्वारा दिया गया एक पत्र जो यह आश्वासन देता है कि पंजीकरण वक्तव्य और ब्यौरा पुस्तिका में दी गई जानकारी लेखाकार की दृष्टि से पूर्णतः सत्य है ।

पूंजी बाज़ार अंतर (Capital Market Line)

जोखिम मुक्त आस्तियों और बाज़ार संविभाग के संमिश्रण से परिलक्षित होनेवाला अंतर जो कि यह दर्शाता है कि अतिरिक्त जोखिम लेने पर आप कितना अतिरिक्त प्रीमियम कमा सकते हैं । वस्तुतः इस प्रकार की गणना पूंजी आस्ति मूल्यन प्रणाली से की जाती है ।

उत्पादक संघ (Cartel)

कारोबारियों या राष्ट्रों का एक ऐसा समूह जो बाजार पर अपना नियंत्रण बनाये रखने के लिए एक ही सा उत्पाद करते हैं । ऐसे संघ या चौकड़ी अपने उत्पाद की मात्रा में घट बढ़ करके उसके मूल्यों को प्रभावित करती है । यही कारण है कि अमेरिका में इस प्रकार की चौकड़ियां बनाने पर कानूनी प्रतिबंध है ।

कामधेनुरूपी कंपनी (Cash Cow)

एक ऐसी कंपनी जो अपनी अधिकांश अर्जित राशि अपने शेयर धारकों को प्रतिशेयर लाभांश के रूप में बांटती है । दूसरे शब्दों में कहें तो कोई कंपनी या उसका कोई संभाग लगातार और उल्लेखनीय रूप से मुक्त नकदी प्रवाह बनाए रखता है । ऐसी कंपनी कामधेनु की तरह लगातार धनवर्षा करती रहती है ।

कैडल (CEDEL)

यूरो बांड के लिए स्थापित की गई केन्द्रीय समाशोधन प्रणाली ।

बैंकिंग परिदृश्य

(राशि करोड़ रुपयों में)

चयनित संकेतक *		**14 नवंबर 2003**	**12 नवंबर 2004**
1. कुल जमाराशियां	:	92,427	96,617
2. बैंक ऋण	:	61,926	9,95,517
3. ऋण-जमा अनुपात	:	54.72	62.35
4. नकद-जमा अनुपात	:	5.16	5.90
5. निवेश - जमा अनुपात	:	46.03	43.31

6. जनसंख्या समूह		**रिपोर्ट करनेवाले कार्यालयों की संख्या**	**कुल योग का प्रतिशत**	**कुल जमाराशियां (करोड़ रुपयों में)**	**कुल योग का प्रतिशत**	**सकल बैंक ऋण (करोड़ रुपयों में)**	**कुल योग का प्रतिशत**
ग्रामीण	जून 2003	32,231	48.32	1,74,709	13.48	75,101	10.15
	जून 2004	32,027	47.73	1,93,265	12.67	86,199	9.74
अर्धशहरी	जून 2003	14,875	22.30	2,41,817	18.65	83,351	11.27
	जून 2004	15,059	22.44	2,65,541	17.41	1,00,732	11.38
शहरी /	जून 2003	19,586	29.36	8,79,466	67.86	5,80,773	78.56
महानगरीय	जून 2004	20,011	29.82	10,65,740	69.90	6,97,506	78.86
योग	जून 2003	66,692	100	12,95,993	100	7,39,226	100
	जून 2004	67,097	100	15,24,546	100	8,84,436	100

*** टिप्पणी :**

(1) मद संख्या 1 से 5 में दिये गये आंकड़े 14 नवंबर 2003 और 12 नवंबर 2004 की स्थिति दर्शाते हैं । ये आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन के दिनांक 6 दिसंबर 2003 और 4 दिसंबर 2004 के "वीकली स्टेटिस्टिकल सप्लीमेंट" से लिये गये हैं तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित हैं ।

(2) मद सं. 6 में दिये गये आंकड़े जून 2003 और जून 2004 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति दर्शाते हैं । ये आंकड़े भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित, बैंकिंग सांख्यिकी से संबंधित जून 2003 और जून 2004 की तिमाही पुस्तिकाओं पर आधारित हैं ।

जमाराशियों / ऋण की मात्रा के अनुसार
सर्वोच्च स्तर के पच्चीस केंद्र
मार्च 2004

(राशि करोड़ रुपयों में)

जमाराशियाँ					ऋण				
दर्जा	केन्द्र का नाम	रिपोर्टकर्ता कार्यालयों की संख्या	राशि	वार्षिक वृद्धि (%)	दर्जा	केन्द्र का नाम	रिपोर्टकर्ता कार्यालयों की संख्या	राशि	वार्षिक वृद्धि (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मुंबई	1,479	2521,47	31.3	1	मुंबई	1,479	2245,54	10.5
2	दिल्ली	1,459	1804,60	28.6	2	दिल्ली	1,459	1116,96	15.9
3	बंगलूर	796	529,57	33.6	3	चेन्नई	792	494,72	16.4
4	कोलकाता	1,006	516,40	16.4	4	कोलकाता	1,006	372,13	13.8
5	चेन्नई	792	429,43	21.6	5	बंगलूर	796	335,78	31.6
6	हैदराबाद	543	298,56	17.8	6	हैदराबाद	543	224,36	31.3
7	अहमदाबाद	473	219,24	41.4	7	चंडीगढ़	172	148,56	42.5
8	पुणे	329	158,68	13.6	8	अहमदाबाद	473	147,87	11.6
9	लखनऊ	255	144,55	18.7	9	पुणे	329	108,22	20.0
10	चंडीगढ़	172	100,33	10.8	10	जयपुर	264	83,07	40.8
11	जयपुर	264	90,88	12.5	11	कोयम्बतूर	195	74,30	24.7
12	कानपुर	294	84,27	9.2	12	लुधियाना	219	69,82	26.3
13	भोपाल	167	82,63	42.0	13	वड़ोदरा	196	61,75	10.2
14	वड़ोदरा	196	80,43	7.6	14	इन्दौर	193	56,32	26.9
15	कोची	219	78,71	24.0	15	कोच्ची	219	51,96	20.4
16	पटना	176	77,04	17.7	16	तिरुवनन्तपुरम	170	47,81	36.0
17	लुधियाना	219	72,27	11.3	17	लखनऊ	255	44,47	25.7
18	जालंधर	158	71,85	10.1	18	तिरुपुर	51	32,62	40.6
19	देहरादून	92	71,40	7.8	19	नागपुर	171	30,50	24.4
20	तिरुवनन्तपुरम	170	68,83	12.0	20	भुवनेश्वर	118	29,64	27.5
21	इन्दौर	193	64,52	21.3	21	श्रीनगर	95	29,43	6.1
22	कोयम्बतूर	195	57,39	10.3	22	कानपुर	294	29,21	21.7
23	सूरत	167	56,51	17.9	23	भोपाल	167	25,89	9.0
24	नागपुर	171	55,11	14.8	24	सूरत	167	25,71	27.8
25	विशाखापट्टनम	133	54,91	41.5	25	रायपुर	66	25,67	47.1

(स्रोत : बैंकिंग सांख्यिकी, तिमाही पुस्तिका मार्च 2004)

बैंकिंग

बैंक स्वयं की चेक समाहरण (कलेक्शन)नीति बनायें

रिज़र्व बैंक ने समस्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सूचित किया है कि वे निम्नलिखित मामलों को शामिल करते हुए एक व्यापक और पारदर्शी नीति तैयार करें : (i) स्थानीय / बाहरी केंद्र के चेक तत्काल जमा करना, (ii) स्थानीय / बाहरी केंद्र के चेकों के समाहरण के लिए समय-सीमा, तथा (iii) विलंबित समाहरण के लिए ब्याज़ की अदायगी । परिणाम स्वरूप, इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा पहले जारी किये गये अनुदेश अब खारिज समझे जायेंगे ।

अपनी चेक समाहरण नीतियां तैयार करते समय बैंकों को निम्नलिखित पर ध्यान देने के लिए सूचित किया गया है :

- समाशोधन व्यवस्थाओं के लिए अपनायी गयी अपनी प्रौद्योगिकीगत क्षमताओं, प्रणालियों तथा क्रियाविधियों को तथा संपर्क सूत्रों (कोरेसपोंडेंट्स) के माध्यम से समाहरण की अन्य आंतरिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखें ।
- अपनी विद्यमान व्यवस्थाओं तथा क्षमताओं की समीक्षा करें तथा समाहरण अवधि को घटाने के लिए कोई योजना तैयार करें ।
- यह सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त सावधानी बरतें कि छोटे जमाकर्ताओं के हितों की पूर्णतः रक्षा की जाती है ।
- वे देखें कि इस संबंध में निर्धारित नीति को भारतीय बैंक संघ की मॉडल जमा नीति के अनुरूप रखा जाता है ।
- उनके द्वारा निर्धारित किये गये मानकों का स्वयं उनके द्वारा अनुपालन न किए जाने से हुए विलंब के कारण देय ब्याज के भुगतान के संबंध में अपनी देयता निर्धारित करें । जहां आवश्यक हो, वहां ग्राहक द्वारा दावा किये बिना ही ब्याज के भुगतान के रूप में मुआवजा दिया जाए ।

बैंकों को चाहिये कि वे इस नीति को, इस संबंध में रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के साथ अपने बैंक के बोर्ड के सामने रखें और नीति के औचित्य के संबंध में बोर्ड का विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करें ।

बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे अपनी नीति को वेब-साइट पर तथा अपनी शाखाओं में सूचना पट्टों पर प्रदर्शित कर उसका व्यापक प्रचार करें । वे अपने ग्राहकों को जमाकर्ता, उधारकर्ता अथवा अन्यथा के रूप में उससे शुरूआती संबंध स्थापित होने के समय सेवाओं के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी दें । इसके अलावा, बैंकों को चाहिये कि वे अपनी नीति में समय-समय पर होने वाले परिवर्तनों के बारे में ग्राहकों को अवगत कराने के लिए आवश्यक कदम उठाएं ।

बैंकों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक तथा बैंकिंग लोकपाल, बैंक एवं उसके किसी ग्राहक के बीच बैंक की प्रकाशित नीतियों तथा क्रियाविधियों की तुलना में उत्पन्न होने वाले विवादों की जांच करने के अपने विशेष अधिकार का उपयोग करना जारी रखेगा ।

एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज मासिक आधार पर

एनआरई तथा विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों पर ब्याज दरें निर्धारित करने की क्रियाविधि में एकरूपता लाने के लिए बैंकों को सूचित किया गया है कि वे एफसीएनआर (बी) पर ब्याज दरें, पहली नवम्बर 2004 से प्रभावी करते हुए, पिछले माह के अंतिम कार्य दिवस पर मौजूद लिबोर / स्वैप दरों के आधार पर तय करें । अलबत्ता, ब्याज दरों पर अधिकतम सीमा, येन जमाराशियों के मामले को छोड़ कर लिबोर / स्वैप दर मायनस 25 आधार पाइंट बनी रहेगी । येन जमाराशियों के मामले में बैंकों को एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर दरें निर्धारित करने की स्वतंत्रता है और वे लिबोर के बराबर अथवा कम हो सकती हैं ।

अनिवासी (विदेशी) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दर

यह निर्णय लिया गया है कि अगली सूचना मिलने तक पहली नवंबर 2004 से संविदागत, एक से तीन वर्ष की अवधिपूर्णता की अनिवासी विदेशी रुपया जमाराशियों पर लागू होने वाली ब्याज दरें तदनुरूपी परिपक्वता के अमेरिकी डॉलर के लिए पिछले महीने के अंतिम कार्य दिन की लिबोर/स्वैप दरों में 50 आधार बिंदुओं को मिलाकर आनेवाली दर से अधिक नहीं होनी चाहिए । तीन वर्ष की जमाराशियों के लिए निर्धारित ब्याज दरें, परिपक्वता अवधि तीन वर्ष से अधिक हो जाती है तो भी लागू होंगी । ये दरें वर्तमान परिपक्वता अवधि के बाद नवीकृत जमाराशियों पर भी लागू होंगी ।

देशी/सामान्य अनिवासी (एनआरओ) मीयादी जमाराशियों की अवधि में कटौती

मीयादी जमाराशियों के स्वरूप में एकरूपता लाने की दृष्टि से बैंक अपने विवेकानुसार 15 लाख रुपये से कम राशि वाली देशी/सामान्य अनिवासी जमाराशियों की न्यूनतम अवधि 15 दिन से घटाकर 7 दिन कर सकते हैं । अलबत्ता, 15 लाख रुपये तथा उससे अधिक की मीयादी जमाराशियों पर विभेदक ब्याज दर देने की स्वतंत्रता बैंकों को रहेगी । संशोधित अनुदेश पहली नवंबर 2004 से लागू हैं ।

इससे पूर्व, बैंक न्यूनतम 7 दिन की अवधिपूर्णता अवधि की 15 लाख रुपये तथा उससे अधिक की मीयादी जमाराशियां स्वीकार कर सकते थे । 15 लाख रुपयों से कम की मीयादी जमाराशियों के मामले में अवधिपूर्णता की न्यूनतम अवधि 15 दिन थी ।

निर्यात आय के लिए वसूली की समय सीमा बढ़ायी गयी

इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (ईएचटीपी), सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एसटीपी) तथा बायो-टेक्नालॉजी पार्क (बीटीपी) में स्थापित इकाइयों तथा 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयों को अब इस बात की अनुमति है कि वे निर्यात की तारीख से 12 महीने की अवधि के भीतर पूरे निर्यात मूल्य की वूसली कर सकती हैं और राशियां वापस ला सकती हैं । यह रियायत पहली सितम्बर को अथवा उसके बाद किये गये निर्यातों पर उपलब्ध होगी । अलबत्ता, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी (ईईएफसी) खाते में विदेशी मुद्रा अर्जनों के 100 प्रतिशत को जमा लिखने के संबंध में मौजूदा दिशानिर्देश जारी रहेंगे ।

वाणिज्यिक पत्रों पर न्यूनतम परिपक्वता अवधि घटायी गयी

निर्गमकर्ताओं को वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) के जरिये अल्पकालिक संसाधन जुटाने के लिए एक विकल्प उपलब्ध कराने हेतु तथा निवेशक बेहतरीन अल्पकालिक विलेखों में निवेश करने के अवसर पा सकें, इस दृष्टि से वाणिज्यिक पत्रों की परिपक्वता अवधि तत्काल प्रभाव से 15 दिन से घटा कर 7 दिन कर दी गयी है ।

सेकेण्ड हैण्ड आस्तियों के लिए बैंक वित्त

रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे उनके द्वारा वित्तपोषित सेकेण्ड हैण्ड आस्तियों पर गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को वित्त प्रदान कर सकते हैं । बैंक सेकेण्ड हैण्ड आस्तियों के वित्तपोषण के लिए अपने-अपने निदेशक मण्डल के अनुमोदन से यथोचित ऋण नीतियां तैयार करें ।

इससे पूर्व, बैंकों को इस तरह की आस्तियों की खरीद के लिए मीयादी ऋण के जरिये अथवा इस तरह की आस्तियों की खरीद तथा पुनः लीज के लिए लीजिंग कम्पनियों को वित्तपोषण के जरिये मौजूदा आस्तियों पर वित्त मंजूर करने से मना किया गया था ।

लघु औद्योगिक इकाइयों के लिए संमिश्र ऋण सीमाएं बढ़ायी गयीं

लघु औद्योगिक इकाइयों को ऋण सुगमता से उपलब्ध हो सकें, इसके लिए लघु औद्योगिक इकाइयों के उद्यमियों के लिए संमिश्र ऋण सीमा 50 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दी गयी है ।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत प्रतिभूतिकृत आस्तियों में बैंकों के निवेश

लघु उद्योग क्षेत्र में ऋणों के प्रतिभूतिकरण (सिक्यूरिटाइज़ेशन) को बढ़ावा देने के लिए, लघु उद्योग को प्रत्यक्ष ऋणों के रूप में प्रतिभूतिकृत आस्तियों में बैंकों के निवेशों को अब प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत लघु उद्योग क्षेत्र को उनके प्रत्यक्ष ऋण के रूप में माना जायेगा बशर्ते,

- पूल की गयी आस्तियां, जो लघु उद्योग क्षेत्र को प्रत्यक्ष ऋण दर्शाती हैं, इन्हें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत गिना जाता है, तथा
- प्रतिभूतिकृत ऋण बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से शुरू होते हैं ।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत आवासीय ऋण की अधिकतम सीमा

आवासीय क्षेत्र को ऋण की उपलब्धता को और अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से बैंक, अपने-अपने निदेशक मण्डल के अनुमोदन से, स्थल पर ध्यान दिये बिना प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अपने ऋणों के हिस्से के रूप में 15 लाख रुपये तक का प्रत्यक्ष वित्त आवासीय क्षेत्र को दे सकते हैं ।

छोटे तथा सीमांत किसानों को उधार

बैंकों को सूचित किया गया है कि वे मार्च 2007 तक विशेष कृषिगत ऋण योजनाओं के अन्तर्गत छोटे और सीमांत किसानों

को अपने संवितरण अपने प्रत्यक्ष अग्रिमों के 40 प्रतिशत तक बढ़ाने के प्रयास करें । बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे विशेष कृषिगत ऋण योजनाओं (एसएसीपी) के अन्तर्गत संवितरणों की छमाही विवरणी में छोटे तथा सीमांत किसानों को अपने उधारों के आंकड़े अलग से दें ।

कृषिगत मशीनरी के लिए ऋण तथा निविष्टियों का वितरण

कृषिगत क्षेत्र को ऋण उपलब्धता में और अधिक सुधार लाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों सहित कृषिगत मशीनरी में डीलरों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत अग्रिमों की सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर तीस लाख रुपये तथा उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए निविष्टियों के वितरण के लिए 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 40 लाख रुपये कर दिया जाये ।

अभावग्रस्त शहरी गरीबों के लिए वित्त

शहरी गरीबों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली के भीतर लाने के प्रयोजन से यह निर्णय लिया गया है कि बैंक अभावग्रस्त शहरी गरीबों को यथोचित संपार्श्विक अथवा समूह जमानत पर ऋण दें ताकि वे गैर संस्थागत उधार देने वालों को अपने कर्ज चुका सकें । बैंक इस संबंध में अपने-अपने निदेशक मण्डल के अनुमोदन से यथोचित दिशानिर्देश तैयार करें । इस संबंध में शहरी गरीब के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे परिवार आयेंगे जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं ।

इसके अलावा, बैंक शहरी गरीबों को दिये जाने वाले इस तरह के ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कमज़ोर वर्गों को ऋणों के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं । अलबत्ता, इस तरह के ऋण, रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों में अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के व्यापक शीर्षक के अन्तर्गत गैर संस्थागत उधारकर्ताओं के ऋणी शहरी गरीबों को ऋण के एक अलग से उप-शीर्षक के अन्तर्गत रिपोर्ट किये जायें ।

(साभार : मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू, नवम्बर 2004)

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना - राष्ट्रीय प्रभाव आकलन सर्वेक्षण (एनआइएएस)

उक्त योजना के लाभ

- कृषि को दिये जानेवाले ऋण प्रवाह में वृद्धि हुई है ।
- किसानों को केसीसी देने के बाद उनकी उधार-लागत में 6 प्रतिशत कमी आयी ।
- अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहने वाले उधारकर्ताओं की तुलना में औपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहनेवाले केसीसी धारकों की उधार लागत 3 प्रतिशत कम हुई ।
- अपनी अल्पावधि ऋण-आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्णतः अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहनेवाले उधारकर्ताओं की संख्या में काफी कमी आई है ।
- अनौपचारिक स्रोतों से उधार लेने की लागत लगभग 3 प्रतिशत कम हुई है ।
- अल्पावधि कृषि ऋण प्राप्त करने में लगने वाले समय में भारी बचत हुई है ।
- क्रियाविधि के सरलीकरण से ऋण सुपुर्दगी लागत कम हुई है ।

इसमें और सुधार के अवसर

- बैंक अभी भी किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने में कई प्रतिबंध लगाते हैं ।
- बैंकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण किसान क्रेडिट कार्ड धारक जारीकर्ता शाखा के अलावा अन्य शाखा में कार्ड का उपयोग नहीं कर पाते हैं ।
- सामान्यतः, समय पर चुकौती करने पर कोई प्रोत्साहन / पारितोषिक नहीं दिया जाता ।
- बैंकों, द्वारा स्वीकृत ऋण सीमाएं बहुत ही अपर्याप्त होती हैं ।
- व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के बारे में जागरूकता / क्रियान्वयन का स्तर काफी कम है ।

(साभार : रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, 2003-04)

नये आर्थिक परिप्रेक्ष्य में बैंकिंग उद्योग का बदलता स्वरूप*

● ओम प्रकाश गैरोला
सी.टी.ओ., पंजाब नैशनल बैंक
देहरादून

यह निर्विवाद सत्य है कि आज न केवल भारत, अपितु विश्व का आर्थिक और बैंकिंग परिदृश्य महत्वपूर्ण परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यावसायिक और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा में अपनी स्थिति को मजबूत बनाये रखने के लिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में आन्तरिक साम्य होना आवश्यक है। इसके लिए बदलते आर्थिक परिप्रेक्ष्य के सन्दर्भ में राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों में परिवर्तन और समय-समय पर उनके मूल्यांकन की जरूरत है।

वित्तीय क्षेत्र में आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण के फलस्वरूप बैंकिंग उद्योग में उत्पन्न प्रतिस्पर्धा का प्रभाव स्पष्ट है। 1990 के बाद शुरू हुए आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप बैंकिंग उद्योग का स्वरूप भी बदल रहा है।

बदलता आर्थिक परिप्रेक्ष्य - परिवेश

बदलते आर्थिक परिप्रेक्ष्य में वैश्विक अर्थव्यवस्था संरचनात्मक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। क्रांतिकारी परिवर्तनों से देश के आर्थिक क्षेत्र को नया रास्ता मिला है। प्रतिस्पर्धा बढ़ने से गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। व्यापार का वैश्वीकरण और उदारीकरण होने से नवीनतम प्रौद्योगिकी और संचार-सूचना तकनीकों का सहारा लेकर विश्व के राष्ट्र एक दूसरे के पास आ रहे हैं। इस दशा में बैंकों से यह अपेक्षा है कि वे परम्परागत और निगमित क्षेत्र के ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर जमा व ऋण सेवा प्रदान करने के माध्यम मात्र न रहकर विस्तृत वित्तीय दुकान बनें।

आज नये लेखा मानदण्डों व प्रतिमानों के चलते वित्तीय, आर्थिक और बैंकिंग क्षेत्र की कार्यशैली में परिवर्तन लाकर अपेक्षाकृत अधिक पारदर्शिता लाने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। आर्थिक गतिविधियों के नियामक भारतीय रिजर्व बैंक के अंकुशों, ब्याज दरों में परिवर्तनों और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली आर्थिक हलचलों के अनुरूप बैंकों व वित्तीय संस्थानों को अपनी दिशा तय करनी होगी। आज उदारीकरण के दौर में बहुराष्ट्रीय कम्पनियां और विदेशी फर्में भारत तथा अन्य विकासशील देशों में अपनी आर्थिक गतिविधियां प्रारम्भ कर रहीं हैं।

नया आर्थिक परिप्रेक्ष्य-भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। एक अनुमान के अनुसार सन 2010 तक भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जायेगी। इसके साथ ही, एक सक्षम और प्रतिस्पर्धी बैंकिंग उद्योग की झलक भी हमारे सामने आती है। जून 1991 तक देश की अर्थव्यवस्था अत्यन्त डांवाडोल स्थिति में थी। मुद्रा स्फीति की अनियंत्रित दर तथा भुगतान संतुलन में असाम्य, औद्योगिक प्रगति में नकारात्मक वृद्धि और विश्व बाजार में देश के आर्थिक स्थायित्व के प्रति सन्देह की स्थिति ने उन्नति के प्रायः सभी मार्ग अवरुद्ध कर दिये थे। राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां परस्पर विरोधी तेवर दिखा रही थीं। भारतीय अर्थव्यवस्था के इस गम्भीर गतिरोध को दूर किया संरचनात्मक सुधारों और भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति में सकारात्मक परिवर्तनों ने।

*भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए अंतर बैंक निबंध प्रतियोगिता वर्ष 2003-04 में क्षेत्र 'क' में प्रथम पुरस्कार प्राप्त निबंध। पत्रिका के अनुरूप संपादित।

अगस्त 1991 में मुद्रा स्फीति की जो दर 16.5 थी, वर्तमान में वह दर 5.76%के स्तर पर है । चूंकि बैंक देश के आर्थिक ढ़ांचे की रीढ़ होते हैं और देश की आर्थिक व वित्तीय क्रियाओं के 75% भाग का निष्पादन बैंक और वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से होता है अतः नए आर्थिक परिप्रेक्ष्य में बैंकिंग उद्योग ने अपनी रीति-नीति और स्वरूप में आमूल-चूल परिवर्तन का उपक्रम प्रारम्भ कर दिया है, ताकि राष्ट्रीय और अन्तरर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में अपना अस्तित्व बनाये रखा जा सके ।

उदारीकरण और व्यापार का वैश्वीकरण

वैश्वीकरण से तात्पर्य है - विश्व की अर्थव्यवस्था से सामंजस्य स्थापित करना । वर्तमान में व्यापार के वैश्वीकरण की लहर न केवल भारत में अपितु विश्व के अनेक देशों में कहीं तीव्र तो कहीं मंद गति से चल रही है । इससे एक नई आर्थिक और बैंकिंग क्रांति का सूत्रपात हुआ है । पिछली शताब्दी के अंतिम दशक से ही यह स्पष्ट होने लगा था कि 21वीं सदी का आर्थिक, व्यापारिक, व्यावसायिक, बैंकिंग एवं बाजार परिदृश्य अन्तरर्राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त कर लेगा ।

आर्थिक सुधार

1990 के दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण और आर्थिक सुधारों की जो नीति अपनाई गई, उसका सर्वाधिक प्रभाव बैंकिंग गतिविधियों पर पड़ा । किसी भी अर्थव्यवस्था में जब परिवर्तन की बात प्रारम्भ होती है, तो सबसे पहले इसकी शुरूआत वित्तीय क्षेत्र में सुधार से होती है क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उसके वित्तीय क्षेत्र का मजबूत होना अत्यन्त आवश्यक है । इन्हीं सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सन् 1991 में भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर, श्री एम. नरसिम्हम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसकी सिफारिशें 1992-93 से लागू की गईं । इस समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेष उपाय किये गये :

सांविधिक चलनिधि अनुपात (एस.एल.आर.) प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सी.आर.आर.) ब्याज दरों की युक्तिसंगत व्याख्या, विवेकपूर्ण मानदण्ड, आय-निर्धारण, परिसंपत्ति वर्गीकरण, पूंजी पर्याप्तता और प्रावधानीकरण, आदि ।

इन सुधारों और परिवर्तनों का उ-ेश बैंकिंग क्षेत्र का प्रगति-पथ प्रशस्त करना था । वर्तमान वर्षों में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया से बैंकों को स्वायत्तता प्राप्त हुई है ।

सुधार प्रक्रिया - नरसिम्हम् समिति के बाद का दौर

1991 में कुछ समय के आर्थिक संकट के पश्चात् जो आर्थिक सुधार प्रारम्भ हुए थे, उनका संबंध भी बाजारोन्मुखी बैंकिंग से था । वित्तीय क्षेत्र में सुधारों का उ-ेश्य मौद्रिक नीति में सकारात्मक परिवर्तन के साथ-साथ वित्तीय संस्थाओं को मजबूती प्रदान करना तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को एकीकृत करना है ।

इस दौर में, बैंकों के स्वरूप में प्रासंगिक परिवर्तन करके उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने, उनमें वित्तीय अनुशासन लाने, ऑडिट पर्यवेक्षण करने, उन्हें प्रौद्योगिकी उन्नयन की दिशा में ठोस प्रगति के योग्य बनाने, उनकी प्रबंधकीय क्षमताओं का विकास करने व मानव संसाधन की सामग्र गुणवत्ता में सुधार लाने आदि के प्रयास जारी हैं ।

वर्ष 2002-03 में पूरे विश्व की आर्थिक क्रियाओं में निरंतर मंदी और अनेक बाह्य-आंतरिक, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष आघातों के कारण बने भ्रामक वातावरण के बावजूद समष्टिगत आर्थिक नीतियों की स्थिति संतोषजनक रही । अन्तर्राष्ट्रीय अशांति, देश की सीमा पर तनाव, भयंकर सूखे व कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के कारण देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई । किन्तु वर्ष के अधिकांश भाग में मुद्रा-स्फीति की दर प्रायः कम ही रही ।

विश्व के अन्य देशों में आर्थिक सुधार

जिस प्रकार भारत में आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप बैंकिंग और वित्तीय स्वरूप परिवर्तित हुआ, उसी प्रकार अन्य देशों के परिवर्तित आर्थिक परिप्रेक्ष्य में उन देशों की अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा । वर्ष 2002 में बैंकों के एन.पी.ए. घटाने में ताइवान के जो प्रयास हुए, राजैतिक

हस्तक्षेप के कारण उसमें बाधा उत्पन्न हुई । इसी प्रकार वर्ष 2003 में फिलीपींस में भी अशोध्य ऋणों को बेचने का कानून बना । भारत में भी प्रतिभूतिकरण विधेयक बना । परन्तु इसमें विशेष प्रगति नहीं हुई । तुर्की, इण्डोनेशिया, स्लोवाकिया, चीन तथा अन्य विकासशील देशों में भी आर्थिक क्षेत्र के सुधारों का कमोवेश प्रभाव वहां की बैंकिंग व्यवस्था पर पड़ा और उनमें क्रांतिकारी परिवर्तन आया । 'पेरीस्त्रोइका' व 'ग्लास्नोत्स' नीतियों के तहत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी शक्ति सोवियत संघ के विघटन के पश्चात् अमेरिका के एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरने, पूर्वी व पश्चिमी जर्मनी के एकीकरण, डंकल प्रस्तावों की आम स्वीकृति के साथ 'विश्व व्यापार संगठन' की स्थापना, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का स्थान, स्थानीय बाज़ारी अर्थव्यवस्था द्वारा लिये जाने की स्थिति के बाद भारत के समक्ष नये आर्थिक परिप्रेक्ष्य में बैंकिंग उद्योग के स्वरूप में बदलाव लाकर सतत उत्पादकता व लाभप्रदता बढ़ाने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं था ।

बैंकिंग उद्योग का बदलता स्वरूप

भारतीय बैंकिंग उद्योग में वैश्वीकरण का शुभारम्भ नरसिम्हम समिति ने सन् 1991 में ही कर दिया था । परम्परागत बैंकिंग व्यवसाय के साथ-साथ नवोन्मेष बैंकिंग का सूत्रपात हुआ । बासल समिति द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता मानदण्ड, परिसंपत्ति वर्गीकरण, भूमंडलीकरण, ब्याज दर, अविनियमन और उदारीकरण आदि संरचनात्मक परिवर्तन इस समिति की सिफारिशों में भी सम्मिलित किये गये हैं । इस आधार-शिला पर खड़े होकर, आनेवाले समय में भारतीय बैंक न केवल अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नवीनतम प्रौद्योगिकी और संचार - सूचना क्रांति का अवलम्बन लेकर प्रतिस्पर्धा में समर्थ होंगे, अपितु नये आर्थिक परिवेश, अर्थजगत के उत्कृष्ट आयामों और अपने सशक्त व निपुण मानव संसाधन के बल पर कुछ नवीन तथा अनछुये क्षेत्रों में भी सहभागिता करेंगे ।

बदलते स्वरूप का आधार

बदलते बैंकिंग के स्वरूप पर चर्चा करते हुए रिज़र्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर डॉ. सी. रंगराजन ने स्पष्ट कहा था कि बैंकिंग उद्योग दूसरी क्रांति की दहलीज पर खड़ा है । अब गुणात्मक उत्पादकता, कार्यकुशलता और उत्तम ग्राहक सेवा ही बैंकिंग का आधार रह जायेगा ।

कतार बैंकिंग से क्लिक बैंकिंग

आज बैंकिंग कतार बैंकिंग से क्लिक बैंकिंग की ओर अग्रसर है । भारत में इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का आंरभ हो चुका है । पेपर लैस बैंकिंग, ई-बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग और क्रेडिट-/डेबिट कार्डों का उपयोग होने लगा है । बाज़ार की सूचना इंटरनेट पर क्लिक करते ही उपलब्ध हो जाती है । ऑनलाइन बैंकिंग/ट्रेडिंग संपन्न हो रही है । कहीं भी एटीएम से मुद्रा का आहरण सम्भव है । ग्राहकों के समय और श्रम की बचत हो रही है । प्रौद्योगिकी उन्नयन के कारण बैंकिंग का कार्य सुगम तो हुआ है, पर साथ ही असुरक्षा भी बढ़ी है । अतः ग्राहकों के लिये इन्टरनेट आधारित अनुप्रयोग, सुरक्षा एवं गोपनीयता के कोड भी विकसित करने होंगे ।

बाजार का विकास

वर्तमान में बैंकिंग क्षेत्र में विस्तार के साथ-साथ बैंकों की संख्या, शाखाओं की संख्या, जमाराशियों, ऋण-अग्रिमों, व्यवसाय, आय-व्यय और लाभ में वृद्धि आदि के रूप में बाजार विकास स्पष्ट दृष्टिगोचर है । आज मुद्रा बाजार के विकास से पूंजी बाजार का विकास हो रहा है, वहीं दूसरी ओर पूंजी बाजार मुद्रा बाजार की प्रगति में सहायक है । बाजार विकास से प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होने से तीव्र बैंकिंग विकास की संभावनाएं भी प्रबल प्रतीत होती हैं ।

परस्पर प्रतिस्पर्धा

वर्तमान में भारत के बैंकिंग उद्योग में तीव्र प्रतिस्पर्धा है । यह प्रतिस्पर्धा बैंकों के साथ-साथ गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों से भी जारी है । बैंकों तथा विकास वित्तीय संस्थाओं के कामकाज में एकीकरण के परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धा और बढ़ी है । ब्याज दरों के निर्धारण, पूंजी पर्याप्तता, पारदर्शी तुलन पत्र, कम्प्यूटरीकरण, भर्ती, ग्राहक सेवा, पर्यवेक्षण प्रणाली, नये उत्पाद और लाभप्रदता के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक परिवेश बन चुका है ।

बैंकों को स्वायत्तता

आज बैंकों को, अपनी संस्थागत नीति और लक्ष्यों के अनुरूप कर्मचारियों की भर्ती करने की स्वायत्तता प्राप्त है। निदेशकों की गैर-राजनैतिक नियुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। सेवा-प्रभार सेवा की गुणवत्ता पर आधारित है। भविष्य में वेतन संरचना बैंक की लाभप्रदता के अनुपात पर आधारित होगी, इसमें सन्देह नहीं है।

ब्याज दर निर्धारण

ब्याज दरों के निर्धारण में यद्यपि बैंकों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, तथापि बैंकों को चरणबद्ध तरीके से ढील दी गई है। अब बैंक, बचत खाते के संबंध में स्वयं ब्याज दरें निर्धारित कर सकते हैं। दो लाख रूपये तक के ऋणों पर दरें रिज़र्व बैंक के निर्देश के अनुसार और अन्य ऋणों पर दरें संबंधित बैंक की बेंचमार्क दर (मूल ऋण दर) से कम न हों। इन शर्तों पर बैंक अपनी उधार दरें निर्धारित कर सकते हैं। इस दिशा में अब पूर्ण स्वतंत्रता दी जा सकती है। जहाँ एक ओर, आज बैंक स्व विवेक से सेवा लागत के आधार पर उच्च प्रतिफल हेतु ब्याज दर निर्धारित कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर, ग्राहक सेवा की गुणवत्ता के आधार पर न्यूनतम लागत वाला बैंक चुनने के लिये स्वतंत्र हैं। ब्याज दर का निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होने जा रहा है। घटती ब्याज दरें बैंकिंग उद्योग के लिये दुधारी तलवार का काम करती हैं।

नई योजनाएं - बैंक सेवाओं का विपणन

नये आर्थिक परिप्रेक्ष्य और गलाकाट प्रतिस्पर्धा के युग में बैंक नये उत्पाद - आवास, शिक्षा, वाहन, बीमा, व्यवसाय, कृषि ऋण, पेंशनभोगियों के लिये ऋण व जमा योजनायें, फॅक्टरिंग, और म्यूचुअल फण्ड आदि को प्रचालित कर रहे हैं। बैंकिंग के क्षेत्र में परम्परागत और नवोन्मेष दोनों सेवाओं का विपणन आवश्यक है। प्रश्न उठता है कि विपणन क्या है ?

''विपणन व्यावसायिक कार्य-कलापों की वह प्रक्रिया है; जो उत्पादों एवं सेवाओं को उत्पादकों से ग्राहक या उपभोक्ता तक पंहुचाती है।''

अमेरिकन मार्केटिंग संघ

फिलिप कोटलर के शब्दों में ''विपणन वह प्रक्रिया है, जो मानव की इच्छाओं और आवश्यकताओं को लेनदेन की क्रिया से संतुष्ट करती है।''

आज बैंक इस बात को भली-भांति जानते हैं कि सेवा का समुचित विपणन ही उच्चतर उत्पादकता व सतत लाभप्रदता का मार्ग प्रशस्त करता है। उचित विपणन से ही बैंक अपने लक्ष्यों की प्राप्ति व अपने स्वरूप के परिमार्जन में सफल होते हैं।

बैंकिंग उद्योग में कंपनी अभिशासन

आर्थिक क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों और नये आर्थिक परिप्रेक्ष के सन्दर्भ में भारतीय व वैश्विक बैंकिंग उद्योग में जो बदलाव आ रहे हैं, उनके अनुरूप स्वयं को रूपान्तरित करने हेतु, बैंकों में जो उपाय किये जा रहे हैं - उसी दिशा में 'कंपनी अभिशासन' (कार्पोरेट गवर्नेंस) भी एक शुरूआत है। कैडबरी समिति ने बैंकों के अभिशासन में सुधार हेतु अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी के पद पर स्वतंत्र व्यक्तियों की नियुक्ति को अधिक महत्व दिया है। सरकार भी बैंकों के कामकाज को अधिक पुख्ता व पारदर्शी बनाना चाहती है।

कंपनी अभिशासन का सबसे बड़ा दायित्व कनेक्टेड लेंडिंग की समस्या से मुक्ति पाना है। यद्यपि, भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, किंतु यह प्रणाली आज भी जारी है। वर्तमान में, एक ओर बैंकों की ब्याज-आय घट रही है, दूसरी ओर, जमा-अग्रिम अनुपात 50% से भी कम होता जा रहा है। आज कंपनी अभिशासन संहिता बैंकों में पारदर्शिता, ईमानदारी और जवाबदेही का पर्याय बनती जा रही है।

रूपान्तरण का प्रबन्धन

आज प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के प्रभाव से भारतीय बैंकिंग प्रणाली रूपान्तरण के दौर से गुज़र रही है। हाल ही में एक प्रसिद्ध वित्तीय पत्रिका द्वारा किये गये अनुसंधान से स्पष्ट है कि 27 बैंकों के निवल लाभ में वर्ष 2001-02 में 92.4%,

की उल्लेखनीय वृद्धि हुई । परिसंपत्तियों में 12.2%, जमाराशियों में 12.7%, और अग्रिमों में भी 15.8% की वृद्धि हुई । कुशल प्रबन्धन के फलस्वरूप परिचालन खर्च में पहले से कम 5.7% की वृद्धि दर्ज की गई ।

आज बैंकिंग उद्योग का बदलता स्वरूप व रूपान्तरण जहां एक ओर देश की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक उन्नति का संवाहक बनेगा, वहीं परिसंपत्ति देयता प्रबन्धन, सूचना प्रौद्योगिकी उन्नयन, अन्तर्राष्ट्रीय प्रगति, कंपनी अभिशासन और खुदरा ऋण बढ़ोत्तरी उसे वैश्विक चुनौतियों का सामना करने का सामर्थ्य भी प्रदान करेगी ।

बैंकों में व्यावसायिक पूर्वानुमान

बैंकिंग जगत में भी पूर्वानुमान की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं । सामान्य शब्दों में, व्यावसायिक पूर्वानुमान का अर्थ व्यवसाय के भविष्य के बारे में जानना, भविष्य की परिस्थितियों का अनुमान लगाना है । आज बैंक भावी परिस्थितियों का सामना करने हेतु नीति निर्धारित करते हैं ।

लेखांकन मानकों का अनुपालन

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों का बैंकों द्वारा अनुपालन किया जा रहा है । जब कभी लेखा परीक्षकों के बीच मतभेद हों, तो उनका समाधान, यदि आवश्यक है, भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व परामर्श करके किया जाता है ।

अनर्जक परिसंपत्तियों का प्रबन्धन

अनर्जक परिसंपत्तियों के प्रबन्धन हेतु, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तैयार ढांचे के तहत, बैंकों को स्वतंत्रता है कि वे ऋण वसूली की नीतियां बनायें, कार्यान्वित करें तथा समझौते व बातचीत द्वारा मामलों का निपटारा करें । सरकारी क्षेत्र के बैंक 10 करोड़ तक की पुरानी अनर्जक परिसंपत्तियों को समझौते द्वारा निपटारा करने के प्रदत्त अवसर का लाभ उठा रहे हैं । एशिया पैसिफिक इकॉनॉमिक के अनुसार, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट प्रमुख श्री डोनाल्ड हेना ने कहा है कि ''भारत का एनपीए, स्टेटस अन्य देशों के मुकाबले अच्छा है । फिलीपींस और अमेरिका के मुकाबले रिटर्न ऑन कैपिटल में भारत पीछे है ।''

भारत सरकार ने 1993 में बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को देय ऋण वसूली अधिनियम पारित किया था । हाल ही में, सरकार से वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन (एस ए आर एफ ए इ एस आई) अधिनियम - 2002 जारी कर, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यायालयों व न्यायाधिकरणों के हस्तक्षेप के बिना वसूली का प्रावधान किया है ।

उत्तम ग्राहक सेवा

विगत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का बाजार पर एकाधिकार था, जिससे वे अदक्ष बन गये थे । इससे ग्राहकों की शिकायतें बढ़ने लगी थीं । आज यदि ग्राहक बैंक की सेवाओं से खुश नहीं हैं, तो उनके पास बेहतर विकल्प हैं । इसी को ध्यान में रखते हुये बैंक अपनी अभिनव विपणन तकनीक व कारपोरेट रणनीतियां तैयार करके उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान कर रहे हैं । ग्राहकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये खुदरा ऋण में विस्तार किया जा रहा है । निःसन्देह, उपभोक्ता ऋण में विस्तार मात्र ही अर्थव्यवस्था में गतिरोध को पार करने का सशक्त माध्यम होगा ।

मानव संसाधन प्रबन्धन

यह एक निर्विवाद और समय-परीक्षित सत्य है कि अच्छी मानव संसाधन विकास पद्धतियों का व्यवहार, ग्राहकों और कर्मचारियों में संतोष उत्पन्न कर, वित्तीय और अन्य निष्पादन सूचकों को प्रभावित कर सकता है । मानव संसाधन विकास किसी संस्था की जान है । इसको ध्यान में रखते हुए नये आर्थिक परिवेश में, बैंक मानव संसाधनों की निपुणता विकसित करने के साथ-साथ कर्मचारियों की सोच, मनोवृत्ति एवं व्यवहार में परिवर्तन के लिये स्टाफ के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था कर रहे हैं । कर्मचारियों को निर्णय प्रक्रिया का एक अंग बनाया जा रहा है । ये नीतियां ही बैंकों के स्वरूप का निर्धारण करने में सहायक सिद्ध होंगी ।

प्रौद्योगिकी उन्नयन

आज के बदलते आर्थिक परिवेश में बैंकों के कारोबार में वृद्धि, त्वरित तथा उत्तम ग्राहक सेवा एक बड़ी चुनौती है । इसका समाधान प्रौद्योगिकी विकास के रूप में उभरा है । आज बैंक कम्प्यूटर, स्विफ्ट, इनफीनेट, ई-मेल, इन्टरनेट फोन बैंकिंग का उपयोग कर रहे हैं । बैंकों की शाखायें सी.बी.एस. के माध्यम से जोड़ी जा रहीं हैं । वास्तव में सूचना प्रौद्योगिकी मानव-स्मृति व उसकी सृजन-क्षमता की परिचायक है । आज बैंक लैन, वैन व मैन का आवश्यकतानुसार प्रयोग कर अपना व्यवसाय बढ़ा रहे हैं ।

बैंकों में राजभाषा तथा भारतीय भाषाओं का प्रयोग

हिंदी देश की राष्ट्रभाषा, राजभाषा और अधिसंख्य लोगों द्वारा बोली जाने वाली जनभाषा है । यह राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना की संवाहक, आत्मगौरव की प्रतीक व ग्राहक संतुष्टि की कसौटी है । यह सरल, सक्षम और समृद्ध वैज्ञानिक भाषा है । हमारा देश बहुभाषी देश है । ग्राहक अनेक भाषाएं बोलते हैं, पर सभी को एकता के सूत्र में बांधने का काम हिंदी ही करती है । बैंकिंग में हो रहे परिवर्तनों का लक्ष्य ग्राहकों की बदलती हुई आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप है, अतः ग्राहक-सेवा में हिंदी और भारतीय भाषाओं का महत्व निरंतर बना रहेगा । साथ ही, भारत एक कृषि प्रधान व विकासशील राष्ट्र है । अधिकांश जनसंख्या गांवों में बसती है । राष्ट्रीयकरण के पश्चात 'विशिष्ट बैंकिंग' से 'जन बैंकिंग' का सूत्रपात हुआ । बैंकिंग को व्यापकता देने की दृष्टि से बैंकों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग पर जोर दिया जा रहा है । वैश्वीकरण के दौर में हिंदी अपने बदले तेवरों के साथ बैंकों में प्रयुक्त हो रही है ।

बैंकिंग उद्योग - आसन्न चुनौतियां

देश का आर्थिक परिदृश्य लगातार रूपान्तरण के दौर से गुजर रहा है । विश्व का व्यापार देशों की सीमाओं के बन्धन से परे जा चुका है । अत; बैंकिंग स्वरूप में परिवर्तन व चुनौतियों का आना स्वाभाविक है । लागत में कमी, उत्पादकता व लाभप्रदता में वृद्धि, सामाजिक दायित्वों का निर्वाह, वैधानिक सुधारों में सामंजस्य, औद्योगिक सम्बन्धों का निर्वाह, नियामक व पर्यवेक्षी मामले, कार्यगत स्वायत्तता तथा पारस्परिक प्रतिस्पर्धा आदि अनेक चुनौतियां हैं ।

पुनर्गठन - एक विकल्प

किसी भी संस्था में निरंतर विकास को सुनिश्चित करने के लिये पुनर्गठन आवश्यक है । पूंजी का दक्षतापूर्ण प्रबन्धन, अनर्जक परिसंपत्तियों का प्रबन्धन, जोखिम प्रबन्धन, विलय एवं अधिग्रहण, प्रौद्योगिकी व मानव संसाधन का लाभप्रद उपयोग एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है ।

निजी कौशल का विकास-प्रशिक्षण

नये आर्थिक परिप्रेक्ष्य में प्रशिक्षण का उ‍ेश्य कर्मचारियों के कार्यज्ञान के स्तर में सुधार लाकर संस्था के बारे में उन्हें पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना है । स्टाफ के प्रशिक्षण और ग्राहकों के शिक्षण की आवश्यकता आज सर्वाधिक है । अध्ययनशीलता का गुण निजी कौशल के विकास में सहायक है । सभी बैंक इस ओर ध्यान देकर अपने स्वरूप का परिमार्जन कर रहे हैं ।

भारतीय बैंकिंग विजन - 2010

परिवर्तन के अतिरिक्त कुछ भी स्थाई नहीं है । सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मानसिकता में जहां बदलाव आवश्यक है, वहीं इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सन् 2010 तक भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जायेगी, नये आर्थिक परिप्रेक्ष्य में आर्थिक सुधारों पर पुनर्विचार कर, भारतीय अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारने के सार्थक प्रयास भी करने होंगे ।

अन्त में यह कहना अत्युक्तिपूर्ण न होगा कि नये आर्थिक परिप्रेक्ष्य में बैंकिंग का जो वर्तमान स्वरूप है, उसमें उत्तरोत्तर निखार लाने के लिए बैंकों को अपनी भावी दिशा निर्धारित करनी होगी । इसके लिए बैंकों के व्यावसायिक स्वरूप, ग्राहकोन्मुखी व निवेशोन्मुखी बैंकिंग, बैंकिंग उत्पादों के प्रभावी विपणन, कर्मचारियों के कौशल विकास, मानव संसाधन

विकास, समय व स्थान की अनिवार्यता, नवीनतम प्रौद्योगिकी के उपयोग व संचार सूचना क्रांति के साथ सामंजस्य पर सम्यक विचार करना आवश्यक होगा ।

विश्व व्यापार संगठन के दोहा सम्मेलन और हाल ही में सम्पन्न कानकून सम्मेलन के सन्दर्भ में भी रणनीति बनाने की आवश्यकता है ।

मौद्रिक संग्रहालय-एक अनूठा प्रयास

भारत के महामहिम राष्ट्रति डॉ. ए.पी. जे. अब्दुल कलाम ने 18 नवंबर 2004 को भारतीय रिज़र्व बैंक के मौद्रिक संग्रहालय का उद्‌घाटन किया । भारत में अपनी तरह का यह पहला संग्रहालय बैंक के केन्द्रीय कार्यालय के पास मुंबई में स्थित है । डॉ. वाइ. वी. रेड्‌डी, गवर्नर भारतीय रिज़र्व बैंक ने महामहिम राष्ट्रपति को संग्रहालय की सैर करायी ।

देश का केन्द्रीय बैंक होने के नाते भारतीय रिज़र्व बैंक देश की मौद्रिक विरासत का अभिरक्षक भी है । भारतीय रिज़र्व बैंक के मौद्रिक संग्रहालय का लक्ष्य भारत की मौद्रिक विरासत का प्रलेखन तैयार करना, उसका अनुरक्षण करना और उसे जनता के समक्ष प्रस्तुत करना है । संग्रहालय समय बीतने के साथ-साथ रिज़र्व बैंक के सार्वजनिक शिक्षण और विस्तार कार्यक्रमों के लिए केन्द्र बिंदु के रूप में कार्य करेगा ।

इस संग्रहालय में पाषाणयुगीन मुद्राओं से शुरू करते हुए स्टोर वैल्यू कार्ड तक के मुद्रा के प्रदर्श दिखाये गये हैं । प्रदर्शित वस्तुएं तीन मुख्य दीर्घाओं में विभाजित की गयी हैं । पहली दीर्घा में आगंतुक को मुद्रा की संकल्पनाएं, विचार और मुद्रा से संबंधित जानकारी दी गयी है । इनमें मुद्रा की शुरुआत की विनिमय (बार्टर) प्रणाली से लेकर वर्तमान प्रणाली तक की यात्रा और इन सभी वर्षो के दौरान उनके रूप और आकार में हुए परिवर्तन के बारे में बताया गया है । यहां पर विश्व के कुछ सबसे छोटे सिक्के, समय बीतने पर उन्हें दिये जाते रहे नाम, उनमें प्रयुक्त धातुएं,मिश्र धातुएं आदि प्रदर्शित की गयी हैं ।

दूसरे खंड में ईसा पूर्व छठी शताब्दी से लेकर आज तक के सिक्कों के विकास की खोज-खबर ली गयी है, जिसमें क्रमवार घटनाओं के साथ प्रतिनिधि सिक्के प्रदर्शित किये गये हैं ।सिक्कों से बैंक नोटों तक की यात्रा कैसे हुई ? बैंकिंग का विकास कैसे हुआ ?इन प्रश्नों के उत्तर तीसरे खंड में दिये गये हैं । यह खंड देशी बैंकिंग, हुंडी और अन्य वित्तीय लिखतों की यात्रा कराते हुए भारत में 18 वीं सदी के अंत में और 19 वीं सदी के आरंभ से आज तक के बैंक नोटों की झलक दिखाता है । यहां पर देश में मुद्रा की मांग और आपूर्ति का प्रबंधन कैसे किया जाता है इसके बारे में तथा बैंक नोटों की सुरक्षा विशेषताओं के बारे में भी जानकारी उपलब्ध है । साथ ही यह संग्रहालय दर्शकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यों की एक झलक भी दिखाता है ।

(रिज़र्व बैंक की प्रेस विज्ञप्ति से साभार)

स्वर्ण जयंती प्रतियोगिता
पुरस्कृत निबंध

बैंकिंग प्रशिक्षण – वर्तमान स्थिति एवं भावी चुनौतियां *

● **संदीप एम. खानवलकर**
वरिष्ठ प्रबंधक (संकाय)
पंजाब नैशनल बैंक
देहरादून

राष्ट्रीयकरण के बाद से ही बैंकों को देश के सामाजिक-आर्थिक उन्नति का एक महत्वपूर्ण साधन माना गया था । बैंकिंग में सुधार की प्रक्रिया आरम्भ होने के बाद से तो बैंकों पर लाभप्रदता में वृद्धि करने व अपनी कार्यकुशलता बढ़ाने जैसी कई और भी आवश्यकताएं जोड़ दी गयी हैं । नब्बे के दशक में प्रारम्भ हुए बैंकिंग सुधारों के परिणामस्वरूप आज की बैंकिंग अत्यंत चुनौतियों एवं जोखिम से भरपूर है । सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर आज मजबूत पूंजी आधार, ऋणों की गुणवत्ता, अच्छे ग्राहकों को बनाये रखना व विभिन्न ग्राहकों की बढ़ती हुई अपेक्षाओं को लगातार पूरा करने हेतु भारी दबाव है ।

इन परिवर्तनों के म-ेनजर बैंकिंग उद्योग को अपने कार्य करने के स्वरूप में निरंतर परिवर्तन करना पड़ रहा है, एवं अपने आपको सतत नवीनता व रचनात्मकता से भरपूर रखना पड़ रहा है, वर्तमान परिवेश में बैंकों की सफलता बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि वे प्रभावी तरीके से प्रतिस्पर्धा का सामना किस तरह करते हैं तथा नये उत्पाद व नयी टैक्नॉलाजी का इस्तेमाल करते हुए अपनी लागत को कम कर व्यवसाय-विकास किस तरह कर पाते हैं ।

हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु भारी निवेश की आवश्यकता है, इसका सीधा-सा अर्थ यह है कि बैंकिंग क्षेत्र में कृषि ऋणों की भारी मांग लगातार जारी रहेगी जिसके लिए बैंकों को न सिर्फ कृषि ऋण या कृषि प्रसंस्करण हेतु ऋण बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे-छोटे व्यापार हेतु ऋणों एवं कृषकों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऋण प्रदान करने के लिए अपने संसाधनों का अधिकतम इस्तेमाल करना होगा ।

प्रशिक्षण-आवश्यकता

बैंकिंग एक सेवा उद्योग है जिसमें पूंजी बढ़ायी जा सकती है, उत्पाद भी बदले जा सकते हैं व तकनीक में भी परिवर्तन किया जा सकता है लेकिन एक अनुभवी व विज्ञ कर्मचारी को बदलना बहुत कठिन है । कर्मचारियों से जहां बदलते परिवेश में विभिन्न तरह के कार्य विभिन्न तकनीक से किये जाने अपेक्षित हैं वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों की बढ़ती हुई औसत आयु इन नये-नये तरीकों से कार्य करने में कुछ-न-कुछ बाधा अवश्य ही पैदा करती है ।

पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने नई तकनीक पर काफी निवेश किया है, परन्तु उसमें भी अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है । यह कार्य इसलिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण है क्योंकि अधिकतर कर्मचारियों को कम्प्यूटर सम्बंधी कार्य-साधक ज्ञान भी नहीं है ।

इन परिस्थितियों में प्रशिक्षण का महत्व स्वतः स्पष्ट है । प्रशिक्षण जहां एक ओर कर्मचारियों को अद्यतन ज्ञान प्रदान करने में सक्षम होता है वहीं दूसरी ओर उनके बढ़ते कार्य के बोझ से निपटने में सहायता प्रदान करता है ।

वस्तुतः बैंकों में प्रशिक्षण की आवश्यकता बिल्कुल उस लकड़हारे की तरह है, जो अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज किये बिना लगातार लकड़ी काटता जाता है और अंत में काटी

*बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित अंतर बैंक (हिंदी) निबंध लेखन प्रतियोगिता में **प्रथम पुरस्कार** प्राप्त ।

गयी लकड़ी की गुणवत्ता तथा मात्रा पर स्वयं ही संतुष्ट नहीं होता ।

प्रशिक्षण-वर्तमान स्थिति

बैंकों में प्रशिक्षण कोई नया क्षेत्र नहीं है, सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों के अपने-अपने प्रशिक्षण संस्थान हैं इसके अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक के भी उच्चस्तरीय प्रशिक्षण संस्थान लगातार सभी स्तर के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं ।

यदि हम किसी भी बैंक की प्रशिक्षण संस्था द्वारा प्रदान की जा रही प्रशिक्षण कार्य-योजना को देखें तो पाएंगे कि अधिकतर प्रशिक्षण कार्यक्रम कर्मचारियों के *कार्य-ज्ञान* के विकास हेतु आयोजित किये जाते हैं । अधिकतर प्रशिक्षण संस्थान क्लासरूम में चॉक व टॉक के माध्यम से अपनी बात प्रशिक्षणार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं । हाल ही में सभी बैंकों ने आई.टी. से सम्बंधित विषयों एवं बैंक द्वारा लागू किये गये पैकेजों के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण देना प्रारम्भ जरूर किया है, परन्तु उसमें भी अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है । नयी तकनीक का पूर्ण उपयोग कर उससे पूर्ण लाभ प्राप्त करने का बैंक प्रबंधन का लक्ष्य अभी भी दूर प्रतीत होता है । यह कार्य इसलिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण है क्योंकि अधिकतर कर्मचारियों को कम्प्यूटर सम्बंधी कार्य-साधक ज्ञान भी नहीं है, जिससे उन्हें किसी भी नये पैकेज पर काम करने के लिए गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है ।

आज जब बैंकिंग सभी क्षेत्रों से चुनौतियां प्राप्त कर रही है तो प्रशिक्षण इससे वंचित कैसे रह सकता है ? इस पृष्ठभूमि में बैंकिंग प्रशिक्षण की कुछ भावी चुनौतियां निम्नानुसार हो सकती हैं :--

प्रशिक्षण केंद्र-बैंक कर्मचारी
एवं ग्राहकों के बीच सेतु

भविष्य में प्रशिक्षण केंद्र को अपने बैंक के कार्यपालकों व कर्मचारियों के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करना होगा । बैंक की नीतियों व रणनीतियों का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से कर्मचारियों तक पहुंचाना तथा कर्मचारियों द्वारा महसूस की जा रही मुश्किलों को बैंक के उच्चाधिकारियों तक पहुंचाना एक महत्वपूर्ण चुनौती है । प्रशिक्षण केंद्रों को दोहरा सम्वाद स्थापित करने का पूर्ण प्रयास करना होगा । प्रशिक्षण केंद्रों को बहुआयामी कार्य करना होगा । शाखा के ग्राहकों द्वारा शाखा की सेवाओं में या बैंक की योजनाओं में किसी भी तरह की असुविधा को प्रशिक्षण केंद्रों को बैंक या शाखा के संज्ञान में लाना होगा, इसके लिए प्रशिक्षण केंद्रों को ग्राहकों से भी सम्वाद स्थापित करने का प्रयास करना होगा ।

प्रशिक्षण केंद्र-बैंक के अनुसंधान
एवं विकास विभाग के रूप में

प्रतिस्पर्धा के इस युग में यह जानना बहुत आवश्यक होता है कि दूसरे बैंक या वित्तीय संस्थान अपने व्यवसाय विकास हेतु किन नये बाजारों, तरीकों को अपना रहे हैं । स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण केंद्र को इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी तथा अपने बैंक को सतत अनुसंधान के माध्यम से नये बाजार, नये उत्पाद, नये तरीके तथा बैंकिंग में नवोन्मेष के निरंतर प्रयोग हेतु लाभकारी सूचनाएं प्रदान करनी होंगी ।

प्रशिक्षक को अध्यापन से आगे आना होगा

कर्मचारियों को अधिक उत्तरदायित्व सम्भालने हेतु तैयार करना व अपने दैनिक कार्य को अधिक कुशलता से निपटाने हेतु सक्षम बनाना, यही प्रशिक्षण का मुख्य उ-ेश्य होता है । वास्तव में जहां शिक्षा मात्र तथ्यों को समझने का साधन है वहीं प्रशिक्षण सिद्धांतों से परे व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर तार्किकता के साथ उसे लागू करने का एक जांचा हुआ तरीका है । सभी कर्मचारी अपने बैंक के प्रशिक्षण केंद्रों को मार्ग-दर्शक के रूप में मान्यता देते हैं तथा अपने कैरियर के विकास में मदद हेतु निःसंकोच प्रशिक्षण केंद्रों से सम्पर्क करते हैं ।

प्रशिक्षण, बैंकिंग परिचालन से भिन्न कोई अलग प्रणाली नहीं है, यह तो बैंकिंग परिचालन का एक अभिन्न अंग है और इसकी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि दिया गया प्रशिक्षण

कर्मचारी के ज्ञान और उसके कौशल में अभिवृद्धि करे जिससे उसके कार्य-निष्पादन में सुधार आ सके। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण की पद्धति में परिवर्तन कर नये कार्यक्रम प्राथमिकताओं के आधार पर तय करने होंगे। कर्मचारियों को यह समझना होगा कि प्रशिक्षण उनके कैरियर का एक महत्वपूर्ण अंग है।

एक प्रशिक्षक का कार्य अध्यापक के कार्य की अपेक्षा कहीं अधिक जटिल व चुनौतीपूर्ण होता है। प्रशिक्षक को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विविधता लानी होगी व किसी भी विषय को रोचक बनाते हुए प्रशिक्षणार्थियों तक अपनी बात पहुंचानी होगी। इसके लिए आवश्यक है कि प्रशिक्षक न सिर्फ अनुभवी व ज्ञानयुक्त हो बल्कि उसमें मानवीय व्यवहार को समझकर वयस्क को सिखाने की तकनीक मालूम हो। कम्प्यूटर्स व मल्टी-मीडिया के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम को रोचक तथा विविधतापूर्ण बनाया जा सकता है। प्रशिक्षक द्वारा इन नये उपकरणों का सुरूचिपूर्ण उपयोग करना प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

ई-लर्निंग को बढ़ावा देना

नये संचार-साधनों के माध्यम से आज यह सम्भव है कि दूर बैठा हुआ कर्मचारी अपने घर के आरामदायक वातावरण में बैंक के सम्बंध में बहुत सारी नयी जानकारी प्राप्त कर सके। प्रशिक्षण केंद्रों को अपने पोर्टल बनाने होंगे तथा अद्यतन जानकारी कर्मचारियों को उपलब्ध कराकर उनकी ज्ञान-पिपासा को शांत करना होगा। इसके यों तो कई फायदे हैं लेकिन सबसे बड़ा फायदा प्रत्येक कर्मचारी के पास अद्यतन जानकारी माउस के क्लिक मात्र पर उपलब्ध होना है। प्रशिक्षण केंद्रों के लिये यह निश्चित ही चुनौतीपूर्ण कार्य है जिसमें उनके कार्य-ज्ञान से कम्प्यूटर ज्ञान तक सभी की परीक्षा होगी।

प्रशिक्षण कार्य-योजना में कर्मचारियों की दक्षता

आनेवाले समय में कर्मचारियों को विशेष तरह के ग्राहकों, कार्यों, तकनीकों का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए आवश्यक होगा कि कर्मचारियों के रूझान को ध्यान में रखते हुए उन्हें विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाए व तदनुसार उनसे कार्य-निष्पादन की अपेक्षा की जाए। प्रशिक्षण केंद्रों को कर्मचारियों में उस विशेष कार्य-दक्षता का विकास करने हेतु कार्य-योजना बनानी होगी। यथा --यदि किसी क्षेत्र में विपणन अधिकारियों की आवश्यकता महसूस की जा रही है तो प्रशिक्षण केंद्रों को उस क्षेत्र विशेष में विपणन हेतु उपयुक्त अधिकारियों का चयन कर उन्हें इस विधा में दक्ष करना होगा ताकि वे अपने बैंक को उनके द्वारा चयनित क्षेत्र में सर्वोत्तम परिणाम दे सकें। इसी तरह कम्प्यूटर सम्बंधित प्रशिक्षण हो या ऋण खातों की निगरानी (मानीटरिंग) सभी क्षेत्र विशेष में दक्षता प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण केंद्रों को अपना ध्यान केंद्रित करना होगा।

कर्मचारियों के चयन, पदोन्नति, तैनाती इत्यादि में प्रशिक्षण केंद्रों की भूमिका

किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु चयनित प्रशिक्षणार्थी के प्रशिक्षणोपरांत तैनाती पर प्रशिक्षण केंद्रों से सलाह नहीं ली जाती है। वास्तव में प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षक-गण प्रशिक्षणार्थियों के व्यक्तित्व के इतने सारे पहलू देख पाते हैं कि वे उनकी योग्यताओं, क्षमताओं के बारे में अपने उच्चाधिकारियों को सही फीड-बैक प्रदान कर सकते हैं। आने वाले समय में जब सही व्यक्ति को सही कार्य हेतु तैनात करना प्रत्येक बैंक की आवश्यकता होगी तब प्रशिक्षण केंद्रों को उनके द्वारा प्रशिक्षित कर्मचारियों की पदोन्नति व तैनाती हेतु तथा नये कर्मचारियों के चयन में भी महत्वूपर्ण भूमिका निभानी होगी।

प्रशिक्षण केंद्र-सलाहकार के रूप में

अक्सर बैंक अपने व्यवसाय, कार्य-पद्धति इत्यादि में सुधार हेतु बाहरी सलाहकारों को नियुक्त करता है। भविष्य में भी इस तरह के सलाहकार जहां बैंक स्तर पर अपने परामर्श से बैंक को लाभन्वित करते रहेंगे वहीं क्षेत्र-स्तर पर किसी शाखा के बैंक की अपेक्षानुसार लगातार कार्य न कर पाने की दशा में प्रशिक्षण केंद्र उस शाखा विशेष का गहन विश्लेषण कर बैंक को महत्वपूर्ण सलाह प्रदान कर सकते हैं, जिससे शाखा विशेष के कार्य-निष्पादन में सुधार आ सके।

प्रशिक्षण केंद्रों का सभी स्तर के कर्मचारियों तक पहुंचना

प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा बैंक के सभी स्तर के कर्मचारियों हेतु वर्ष-भर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं फिर भी कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो या तो व्यक्तिगत कारणों से या फिर प्रशासनिक कार्यों के कारण प्रशिक्षण केंद्रों में जाकर अपने ज्ञान को अद्यतन नहीं कर पाते हैं । प्रशिक्षण केंद्रों के सम्मुख यह बहुत बड़ी चुनौती होगी कि वे अपने कार्य-क्षेत्र में कार्य कर रही विभिन्न शाखाओं / कार्यालयों के प्रत्येक-स्तर के कर्मचारी तक पहुंचने का प्रयास करें । इसके लिए प्रशिक्षण केंद्रों को शाखा स्तर पर पहुंचना होगा एवं छोटे-छोटे लेकिन फोकस के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने होंगे । परिवर्तन के इस दौर में प्रशिक्षण का फोकस ऐसे विषय होने चाहिए जिससे स्टाफ सदस्य परिवर्तन स्वीकार कर उसके अनुसार स्वयं में परिवर्तन कर सकें ।

चुनौतियों से परिपूर्ण भविष्य में कर्मचारियों के लगातार सर्वश्रेष्ठ कार्य-प्रदर्शन हेतु स्व-प्रेरण अति आवश्यक है जिसके लिए प्रशिक्षण केंद्र को कर्मचारियों के मित्र, एवं मार्ग-निर्देशक की भूमिका निभानी होगी । वास्तव में प्रशिक्षण एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिससे कर्मचारियों में नई व उनमें मौजूद योग्यताओं का विकास लगातार किया जाता है, बैंकिंग की बदलती हुई आवश्यकताओं में प्रतिदिन नये नियमों एवं नीतियों का प्रादुर्भाव हो रहा है अतः बैंकों को अपने मानव संसाधनों के विकास हेतु प्रशिक्षण के माध्यम से उनकी कार्य-कुशलता में वृद्धि करनी होगी, नई टैक्नालाजी से उन्हें परिचित कराना होगा व उनमें प्रबंधकीय गुणों के विकास हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करना होगा ।

आज जब बैंकिंग का उदारीकरण व भूमंडलीकरण हो रहा है तो ऐसे में मानव संसाधन को कार्य-निष्पादन के दायित्वों को निभाने हेतु उनके प्रशिक्षण का महत्व और भी बढ़ जाता है । यह सही है कि कम्प्यूटर कई कार्य दक्षता के साथ कर लेता है और भविष्य की बैंकिंग बिना कम्प्यूटर की मदद से सम्भव नहीं होगी लेकिन कम्प्यूटर के पीछे बैठा कर्मचारी आज भी और कल भी सदा महत्वपूर्ण रहेगा । रणनीति तैयार करने और नीतिगत फैसले लेने में कर्मचारी की उपयोगिता कभी भी कम नहीं होगी । ऐसे में आइये, आशा करें कि बैंकों के दक्ष, प्रेरित व प्रशिक्षित कर्मचारी अपने संस्थानों को भविष्य में लगातार जनमानस की अपेक्षाओं पर खरा उतार पाएंगे ।

बैंकों में लाभप्रदता

बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा "बैंकों में लाभप्रदता" पुस्तक का प्रकाशन किया गया है । इस पुस्तक में लाभप्रदता के विविध पहलुओं को उजागर करते हुए उससे जुड़े विविध मानदण्डों एवं उसकी प्रभावशीलता पर व्यापक एवं विश्लेषणात्मक प्रकाश डाला गया है । यह पुस्तक न केवल बैंकिंग से जुड़े व्यक्तियों बल्कि बैंकिंग में रूचि रखनेवाले लोगों के लिए भी उपयोगी साबित होगी । इस पुस्तक का मूल्य 200/- रुपये (डाक व्यय अतिरिक्त) निर्धारित किया गया है । इसे निम्नांकित पते पर प्राप्त किया जा सकता है -

संस्कार साहित्य माला

004/बी3, यूनिक प्लाजा, शांति पार्क, मीरा रोड (पूर्व), मुंबई - 401 107

ई-मेल : sanskar_sahityamala@yahoo.com

फोन : 022-2810 4405

पुस्तक समीक्षा

पुस्तक का नाम	:	**वस्तुनिष्ठ बैंकिंग विधि एवं व्यवहार**
लेखक का नाम	:	विनय बंसल
प्रकाशक	:	उपकार प्रकाशन, आगरा
पृष्ठ संख्या	:	348
मूल्य	:	145/- रुपये

कोई भी पुस्तक अपने वज़न से नहीं पहचानी जाती बल्कि उसकी अहमियत उसमें दी गई सामग्री की गुणवत्ता से आंकी जाती है। पुस्तक हाथ में आते ही हमारी पैनी निगाह सबसे पहले सरसरी जायज़ा लेने के बाद उसमें खामियां निकालने, गलतियां तलाश करने में जुट जाती है। इस पुस्तक में बहुत देर तक सर मारने के बावजूद भी मायूसी हाथ लगती है। थक हार कर उन पहलुओं की तलाश शुरू होती है जहां कोई कमी हो, विषय अधूरे हों या उनका कवरेज मुकम्मल न लगता हो। थोड़ा आगे बढ़कर हम इसे मानक शब्दावली की कसौटी पर परखने लगते हैं, वर्तनी की भूलें ढूंढने लगते हैं और समूची पुस्तक को सम-सामयिकता के तराज़ू में तौलने से बाज़ नहीं आते। इतने सारे मानदण्डों के दरम्यान कई बार लेखक का प्रयास सायास सामने होता है तो कई बार पुस्तक स्वतः बोलने लगती है। पाठकों को पुस्तक के मिज़ाज में कहीं खामोशी नज़र नहीं आएगी, बल्कि कई बार पाठक रोचक प्रश्नों को पढ़कर आत्मसात् करने की कोशिश करेंगे। यही वह गुण हैं जो पुस्तक के रौशन पहलू को उजागर करते हैं।

विनय बंसल जी की पुस्तक 'वस्तुनिष्ठ बैंकिंग विधि एवं व्यवहार' जेएआईआईबी, सीएआईआईबी तथा पदोन्नति परीक्षाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई है और ताज़ातरीन रूप में उपकार प्रकाशन, आगरा द्वारा बाज़ार में उतारी गई है। 348 पृष्ठों की यह पुस्तक अपने विषय के साथ पूरा न्याय करती हुई लगती है क्योंकि पुस्तक अपने भीतर विभिन्न विषयों की एक सदी समेटे हुए है। 17 अध्यायों में विभिन्न विषयों के 152 उप अध्यायों में 2482 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। अध्यायवार देखा जाए तो 62 उप-अध्यायों में 1-10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न 70 उप-अध्यायों में 11-25 प्रश्न, 16 उप-अध्यायों में 26-50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 4 उप अध्यायों में 51-104 प्रश्न दिए गए हैं। अध्याय 5.1 में 'परक्राम्य लिखत अधिनियम' पर 95 प्रश्न और अध्याय 17.19 में 'बैंकिंग पर समितियां व कार्यदल' पर सर्वाधिक 104 प्रश्न दिए गए हैं। अध्याय 15.12 'वैश्विक निक्षेपागार रसीद' अध्याय में सबसे कम 3 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नों की सेटिंग संभवतः विषय-विशेष के महत्व और उसमें उपलब्ध सामग्री के आधार पर की गई है। प्रश्नों के उत्तर भी प्रत्येक उप-अध्याय के अंत में दिए गए हैं जो पाठक को कहीं भटकने या अटकलें लगाने से बचाते हैं, इससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। लेखक ने पुस्तक के अंत में हिंदी-अंग्रेज़ी शब्दावली देकर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। विभिन्न अध्यायों में प्रयुक्त हिंदी शब्दावली वर्ण

क्रमानुसार है और उसमें कुल 1435 हिंदी-अंग्रेज़ी पर्याय दिए गए हैं । इससे पुस्तक की उपयोगिता तो बढ़ती ही है साथ ही इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि एक बड़े पाठकवर्ग में बैंकिंग उद्योग एवं अन्य तकनीकी क्षेत्रों में प्रचलित मानक शब्दों का प्रयोग बढ़ेगा और भाषा में एकरूपता विकसित होगी ।

पुस्तक की भूमिका में लेखक का यह इक़बालिया बयान कि 'न केवल सरकारी नीतियों के अनुपालनार्थ वरन् अपनी भाषा के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझते हुए यह हमारा कर्तव्य है कि हम हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें' प्रशंसनीय है और उन सभी लेखकों के लिए अनुकरणीय है जो तकनीकी विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं या करने का विचार रखते हैं । पुस्तक के विविध विषयों के बारे में प्रश्नोत्तरी तैयार करने में लेखक ने खासी मेहनत की है । एक ओर जहां भारतीय वित्तीय प्रणाली की गिरह खोली गई है, वहीं भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक-ग्राहक संबंध, बैंक के कर्तव्य एवं अधिकार, वाणिज्यिक सन्नियम, ऋण के सामान्य सिद्धांत, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, बैंक गारंटी एवं साखपत्र, बैंक की अनुषंगी सेवाएं, सरकारी व्यवसाय, सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं, वित्तीय विवरण, निरीक्षण एवं लेखा-परीक्षा, मुद्रा बाज़ार एवं म्युचुअल फंड, पूंजी बाजार एवं डेरिवेटिव ट्रेडिंग तथा अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग के ताने बाने बुने गए हैं । यदि यह कहा जाए कि लेखक ने गागर में सागर भरने का काम किया है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी । मौद्रिक एवं ऋण नीति, सेबी, ईसीएस, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग आदि के बारे में नवीनतम जानकारी पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं । शब्दावली के प्रयोग में लेखक की साफगोई अच्छी लगी । उन्होंने ऐसे शब्दों का हिंदीकरण करने से परहेज़ किया है जो बहुअर्थी हों या जिनके प्रयोग से भ्रम की गुंजाइश पैदा हो । पुस्तक में अच्छी शब्दावली का प्रयोग किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि रिज़र्व बैंक की बैंकिंग शब्दावली और विधि मंत्रालय की विधि शब्दावली का बेहतर इस्तेमाल किया गया है, जो वांछित भी है । लेखक ने राजभाषा हिंदी को भी शामिल करके पुस्तक में नया रूझान पैदा किया है । राजभाषा के संबंध में दिए गए 19 प्रश्न काफी लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे । पुस्तक के अध्याय 11.1 के प्रश्न 21 का उत्तर संभवतः भूलवश रह गया है । जहां तक पुस्तक में प्रयुक्त शब्दावली का सवाल है, कहीं-कहीं कुछेक शब्दों के संबंध में मामूली मतभेद हो सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें पचाया न जा सके । जैसे - cash flow के लिए रोकड़ प्रवाह दिया गया है जबकि इसके लिए नकदी प्रवाह शब्द बेहतर होता, Public sector banks के लिए 'सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक' जो पहले प्रयोग किया जाता था किंतु इसके बजाय 'सरकारी क्षेत्र के बैंक' अब काफी प्रचलित है,Paper currency के लिए 'पत्र करेंसी' लिखा गया है, इसे 'कागज़ी करेंसी' लिखा जा सकता था क्योंकि पत्र से कागज़ का अर्थ नहीं निकलता है ।

पुस्तक के कुछ उप-अध्यायों के शीर्षक संक्षिप्त रूप में दिए गए हैं जो उपयुक्त नहीं लगते हैं जैसे- IDBI, SIDBI, HDFC, HUDCO, NABARD, IFCI, IDFC, OTCE, हालांकि इनके पूरे नाम हिंदी में दिए जा सकते थे, जैसाकि अन्य उप-अध्यायों में किया गया है । जगह-जगह हिंदी शब्दों के अंग्रेज़ी पर्याय कोष्ठक में दिए गए हैं जिससे अहिंदी भाषा-भाषियों को समझने में सहायता मिलेगी ।

अभी भी कुछ अध्यायों में और अधिक प्रश्न बनाए जाने की पूरी गुंजाइश मौजूद है, शायद अगली कोशिश में इस ओर ध्यान अवश्य दिया जाएगा । पुस्तक की कीमत मुनासिब है और अच्छे ढंग से तरतीब दी गई है । इस पुस्तक की उपयोगिता केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ही नहीं अपितु विद्यार्थियों, संकाय-सदस्यों, व्याख्याताओं, विद्वानों और अनुसंधानकर्ताओं के लिए भी बहुत अधिक है । आनेवाले समय में इसकी उपयोगिता और भी बढ़ेगी ऐसी उम्मीद है । लेखक को इस प्रयास के लिए साधुवाद ।

काज़ी मुहम्मद ईसा
प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक
मुंबई

लेखकों से

इस पत्रिका का उद्देश्य बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों पर हिन्दी में मौलिक सामग्री उपलब्ध कराना है । बैंकिंग विषयों पर हिन्दी में मूल रूप से लिखनेवाले सभी लेखकों से सहयोग मिले बिना इस उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी ? हमें इसमें आपका सक्रिय सहयोग चाहिए । बैंकिंग विषयों पर हिन्दी में मूल रूप से लिखे स्तरीय लेखों की हमें प्रतीक्षा रहती है । साथ ही, अर्थशास्त्र, वित्त, मुद्रा बाज़ार, पूंजी बाज़ार, वाणिज्य, विधि, मानव संसाधन विकास, कार्यपालक स्वास्थ्य, मनोविज्ञान, परा बैंकिंग, कम्प्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञ इन विषयों पर व्यावहारिक या शोधपूर्ण मौलिक लेख भी हमें प्रकाशनार्थ भेज सकते हैं । प्रकाशित लेखों और पुस्तक समीक्षाओं पर सांकेतिक **मानदेय देने** की व्यवस्था है । ***कृपया प्रकाशनार्थ सामग्री भेजते समय यह देख लें कि :-***

- सामग्री ***बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों*** पर ही है ।
- उसमें दी गयी जानकारी ***उपयोगी*** और ***अद्यतन*** है एवं ***अधिकतम 8 टंकित पृष्ठों*** में है ।
- वह कागज़ के ***एक ओर*** स्पष्ट अक्षरों में ***लिखित*** अथवा ***टंकित*** है ।
- यथासंभव ***सरल और प्रचलित हिंदी शब्दावली*** का प्रयोग किया गया है और अप्रचलित एवं तकनीकी शब्दों के अर्थ कोष्ठक में अंग्रेजी में दिये गये हैं ।
- लेख यदि संभव हो तो **फ्लापी में आकृति / एपीएस फांट** में भेजने की व्यवस्था की जाए ।
- यह प्रमाणित करें कि लेख ***मौलिक है,*** प्रकाशन के लिए ***अन्यत्र नहीं भेजा गया है*** और 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' में प्रकाशनार्थ प्रेषित है ।
- लेख में शामिल ***आंकड़ों, तथ्यों आदि के संबंध में स्रोत*** का स्पष्ट उल्लेख करें ।
- प्रकाशन के संबंध में यह सुनिश्चित करें कि ***जब तक लेख संबंधी अस्वीकृति की सूचना प्राप्त नहीं होती,*** संबंधित लेख किसी ***अन्य पत्र-पत्रिका में प्रकाशनार्थ न भेजा जाए ।***

प्रकाशकों से

जो प्रकाशक अपनी पुस्तक की समीक्षा करवाना चाहते हैं
वे कृपया अपनी पुस्तकों की **दो प्रतियां** भिजवाने की व्यवस्था करें ।

पाठकों से

इस पत्रिका को आप **निःशुल्क** प्राप्त कर सकते हैं । इसके लिए आपको लिखित रूप में " कार्यकारी संपादक, बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन " से अनुरोध करना होगा । आपका पत्र मिलते ही आपका नाम डाक सूची में शामिल कर लिया जाएगा और तदनंतर आपको पत्रिका निरंतर मिलती रहेगी । आपसे अनुरोध है कि अपने सहयोगियों को भी यह जानकारी प्रदान करें तथा अपनी मांग से हमें तत्काल अवगत कराएं ताकि हम तदनुसार प्रतियों का मुद्रण कर सकें । **पुराने पाठक कृपया पत्राचार करते समय अपनी सदस्यता संख्या का उल्लेख अवश्य करें ।**